1

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 3] षष्ठम् विधान सभा के तृतीय सत्र का दूसरा दिवस [संख्या 2

1] [2

बुधवार,

दिनांक 1 मार्च, 1978

विधान सभा की बैठक म. पू. 11-00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री लक्ष्मण सिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

राज्य में भिक्षावृत्ति

1. श्री भैंरवलाल कालाबादल (खानपुर) [श्री ओंकारलाल चौहान (अटरू) की अनुपस्थिति में] : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज्य सरकार राज्य में भिक्षावृत्ति रोकने के सम्बन्ध में कोई कानून बनाने जा रही है ? यदि हां, तो इसका क्या प्रारूप होगा और किन किन जगहों पर यह लागू किया जावेगा ?

(2) क्या राज्य सरकार ने इस सम्बन्ध में आंकड़े इकट्ठे किये हैं ? डिविजनवार आंकड़े सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

राज्य मंत्री, समाज कल्याण (श्रीमती विद्या पाठक) : (1) जी हां। राज्य सरकार द्वारा राजस्थान में भिक्षावृत्ति रोकने के सम्बन्ध में कानून बनाने का निर्णय ले लिया गया है। कानून का प्रारूप विधि विभाग के पर्यालोचन में है।

भिक्षावृत्ति निवारण कानून फिलहाल जयपुर, अजमेर और उदयपुर जिलों में लागू किये जाने का प्रस्ताव है जिसका विस्तार शनैः शनैः अन्य जिलों में भी किया जायेगा।

(2) जी हां। वर्ष 1971 की जनगणना के अनुसार आंकड़े इकट्ठे किये गये हैं। डिविजनवार भिक्षुकों के आंकड़े सदन की मेज पर रख दिये गये हैं। (आंकड़ों के लिए कृपया परिशिष्ट 1 देखें)

श्री मदनसिंह दांता (दांतारामगढ़) : इसके सम्बन्ध में मैं यह पूछना चाहता हूं कि जो भिक्षुक हैं उनमें वे महात्मा भी आ गये जो हमेशा रोटी मांग कर खाते हैं, जिनका काम भिक्षावृत्ति है ? जैसे जैनियों के हैं, हमारे भी हैं। कैटेगराइज कैसे करेंगे ? आप इनको कैसे रोकेंगे ? भिक्षावृत्ति बिल्कुल समाप्त कर दी जाये चाहे महात्मा हो, चाहे कोई हो।

श्रीमती विद्या पाठक : भिक्षुक परिभाषा के अनुसार किसी सार्वजनिक स्थान में व्यक्त अथवा अव्यक्त रूप से किसी भी रीति से धन, भोजन, वस्त्र अथवा मूल्य से आने वाली अन्य वस्तु की भीख मांगना, भीख मांगने की कोटि

Page No 2

(2)

(श्रीमती विद्या पाठक)

में माना जावेगा। लेकिन यदि वह किसी धर्म या व्रत के पालन में हो, जो कोई न्यूसेन्स न होते हुए रूढ़ि या धर्म सम्मत हो, अथवा किसी विधि द्वारा प्राधिकृत हो अथवा लाइसेन्स्ड हो, अथवा मजिस्ट्रेट द्वारा विहित रीति से प्राधिकृत हो तो वह भी भीख मांगने की कोटि में नहीं आयेगा। इसी प्रकार पब्लिक के मनोरंजन के लिये नाचना, गाना अथवा प्रतिफल हेतु हाथ की सफाई के खेल दिखाना या भाग्य बतलाना भीख मांगने की कोटि में नहीं आयेगा। इसके अतिरिक्त ऐसे साधू सन्यासी जो निजी परिसरों में अपने धर्म से सम्मत भिक्षावृत्ति पर निर्वाह करते हैं, वे भिक्षावृत्ति या भीख मांगने की कोटि में नहीं आयेंगे।

श्री मदनसिंह दांता : वे हजारों की संख्या में...

मुख्य मंत्री (श्री भैरोंसिंह शेखावत) : जिस समय यह बिल पेश हो उस समय सब बातों पर विचार कर लेंगे।

श्री अब्दुल अजीज (मकराना) : इसमें सरकार समय बताने की कृपा करे, कब तक भिक्षावृत्ति खतम कर दी जायेगी?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, जैसे बेकारी खतम करने के लिये कहा वैसे ही सरकार भिखारी समस्या को कब तक खत्म कर देगी?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इस सम्बन्ध में बिल इसी सदन में प्रस्तुत होगा। उस समय जो सुझाव आप रखेंगे उन पर सरकार विचार करेगी। व्यापक रूप से उस समय विचार होगा।

श्री शंकर लाल (जैतारण) : ऐसा कानून कुछ क्षेत्र में लागू करने और कुछ क्षेत्र में लागू नहीं करने की सरकार की मन्शा है तो वे एक जिले से निकलकर दूसरे जिले में चले जायेंगे।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 2। श्री रावत राम आर्य।

(अनुपस्थित)

एक माननीय सदस्य : यह प्रश्न पूछा जाना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : कोई माननीय सदस्य अधिकृत नहीं हैं इस प्रश्न को पूछने के लिये।

श्री जय नारायण सालोदिया (निवाई) : यह महत्वपूर्ण प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यों की इच्छा है तो आप पूछ सकते हैं।

अनुसूचित जाति के थानेदार

2. श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) [श्री रावतराम आर्य (सुजानगढ) की अनुपस्थिति में]: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) अनुसूचित जाति के कितने थानेदार फिलहाल राज्य में थाना इन्चार्ज हैं? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि अनुसूचित जाति के थानेदारों को स्वतन्त्र रूप से

(श्री जयनारायण सालोदिया)
थाना इंचार्ज नहीं बनाया जाता है। और उनके साथ जान-बूझ कर पक्षपात किया जाता है ? यदि हां, तो इस संबंध में राज्य सरकार की क्या नीति है ?

गृह मंत्री (श्री सम्पतराम) : (1) वर्तमान में 7 थानेदार अनुसूचित जाति के राज्य में थाना इन्चार्ज हैं। सूची संलग्न है।

(2) जी नहीं, अनुसूचित जाति के लोगों को भी अन्य जाति के अनुरूप ही थाना इंचार्ज बनाया जाता है व इसमें कोई पक्षपात जैसी बात नजर नहीं आती है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 2 देखें)।

श्री श्योपतसिंह मकासर (हनुमानगढ़): सब इन्डिपेंडेंट थानों पर हैं ?

श्री सम्पत राम : मैंने पहले भी अर्ज कर दिया, इन्डिपेंडेंट थानों पर हैं।

श्री प्रद्युम्नसिंह (राजाखेड़ा) : सवाल सिर्फ इतना सा है, राजस्थान में कुल कितने थाने हैं ? जो थानों का नम्बर बताया है वह कुल का कितना पर्सेन्ट पड़ता है ?

श्री सम्पतराम : इस समय कुल मिला कर 1150 थानेदार हैं।

श्री प्रद्युम्नसिंह : कुल थाने कितने हैं ?

श्री सम्पतराम : अध्यक्ष महोदय, आपके संरक्षण में जवाब देना चाहता हूं। सदन मेरी बात को शांतिपूर्वक सुने।

अभी सब इन्सपेक्टरों की संख्या 1150 है जिनमें से अनुसूचित जाति के 13 हैं, अनुसूचित जन जाति के 22 है और 1115 हैं। इस प्रकार कुल 1150 हैं। जहां तक पोस्टिंग का सवाल है, 13 सब इन्सपेक्टर शिड्यूल्ड कास्ट्स के हैं उनमें से 7 इन्डिपेंडेंट रूप से इन्चार्ज हैं। इसका पर्सेन्टेज आता है 54। अनुसूचित जन जाति के 22 में से 11 पुलिस स्टेशनों पर कार्यरत हैं। उनका प्रतिशत है 45। अन्य का प्रतिशत आता है 44।

(व्यवधान)

श्री अब्दुल अजीज : उनमें से मुस्लिम थानेदार कितने हैं ?

श्री सम्पतराम : यह सवाल पूछा नहीं गया था।

श्री अब्दुल अजीज : जाति के आधार पर सूची पूछी गई है। यह कोरिलेटेड है कि राजस्थान में कितने मुस्लिम थानेदार हैं ?

श्री सम्पतराम : यहां जाति का प्रश्न नहीं है। शिड्यूल्ड कास्ट्स व शिड्यूल्ड ट्राइब्स सर्विसेज में एक विशेष महत्व रखते हैं, उनके लिए संरक्षण है। उस दृष्टिकोण से मैंने अर्ज किया है, जाति की बात नहीं है।

श्री प्रद्युम्नसिंह : शिड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स के लोगों को अधिक संख्या में थाना इन्चार्ज बनायेंगे तो जो राजस्थान के अन्दर हरिजनों के ऊपर अत्याचार होते हैं उसको रोकने में सफलता मिलेगी, क्या आप यह महसूस करते हैं ?

श्री सम्पतराम : यह तो कोई जरूरी नहीं है कि जो शिड्यूल्ड कास्ट्स के इन्सपेक्टर लगेंगे वहीं इस समस्या को हल कर सकेंगे।

Page No 4

(५)

श्री प्रद्युम्नसिंह : इसमें फर्क पड़ेगा, आपको सहायता मिलेगी । अध्यक्ष महोदय, इसका जवाब आना चाहिये । बहुत महत्वपूर्ण सवाल है । इससे सरकार के हाथ मजबूत होंगे ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, सरकार की ओर से जवाब आने दें ।

श्री सम्पतराम : अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार का उत्तरदायित्व है कि थाने में कोई भी लगे लेकिन कमजोर और वीकर सेक्शन को प्राथमिकता मिलनी चाहिये । यह सरकार सबको समान रूप से समझती है । आप यह समझें कि शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग पुलिस थाने में नहीं लगाये जाते हैं, यह बात नहीं है । और अगर होगी तो हम इसको और देख लेंगे ।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : आपके सामने आंकड़े तो आ गये, आप इसको देखें ।

(व्यवधान)

श्री जयनारायण सालोदिया : माननीय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करें कि शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स का जो नौकरियों में कोटा निर्धारित है, वह पुलिस डिपार्टमेंट में नहीं है ?

श्री सम्पतराम : नहीं, राज्य सरकार की सभी नौकरियों में रिजर्वेशन है ।

श्री जयनारायण सालोदिया : अभी जैसा माननीय मंत्री महोदय ने जवाब दिया, 1150 थानेदारों में से केवल 13 थानेदार शिड्यूल्ड कास्ट्स के हैं । क्या सरकार ने यह जानकारी करने का प्रयास किया है कि इतने कम क्यों हैं ? वजह क्या है, बतायें ? मैं पूछना चाहता हूं, 1150 थानेदार में केवल 13 थानेदार ही शिड्यूल्ड कास्ट्स के क्यों लगाये हैं ? क्या और नहीं हो सकते हैं ?

श्री श्रवणलाल (हिन्डौन) : अध्यक्ष महोदय, इसके साथ साथ मेरा भी प्रश्न है । जैसा माननीय मंत्री महोदय ने बताया, 1150 थानेदार हैं उनमें से केवल 13 शिड्यूल्ड कास्ट्स के हैं और उनमें से भी केवल 7 को ही इन्चार्ज बना रखा है । मैं पूछना चाहता हूं, 6 जो हैं वे किस कारण से इन्चार्ज नहीं बनाये गये हैं ?

श्री सम्पतराम : अध्यक्ष महोदय, जैसा अभी माननीय सदस्य ने पूछा कि कितने सब इन्सपेक्टर्स को शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स का होने के नाते लगाया गया या नहीं लगाया गया, यह मनोवृत्ति नहीं है । अगर विभाग में कहीं भी यह मनोवृत्ति पाई गई तो उसको खत्म किया जायेगा । जहां तक उनको इन्चार्ज बनाने का सवाल है, जो लायक होंगे उनको पदस्थापित किया जा सकता है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें । माननीय सदस्य कृपया स्थान ग्रहण करें ।

(व्यवधान)

I will not allow. माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें ।

मैं मानता हूं यह महत्वपूर्ण प्रश्न है । यह प्रश्न नीति का भी है । माननीय सदस्यों की उद्विग्नता के साथ मेरी एक हद तक सहानुभूति है लेकिन एक एक करके प्रश्न पूछें ।

(श्री अध्यक्ष)

आपने प्रश्न पूछ लिया है। श्री श्योपत सिंह।

श्री श्योपतसिंह मकासर : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि अभी फर्माया कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लोगों को रिजर्वेशन लिमिट में प्राथमिकता देना जरूरी है तो क्या पुलिस विभाग के थानेदारों की पोस्ट पर लगाने में प्राथमिकता दी गई है ? आप यह कहते हैं क्या ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : विपक्ष की ओर से दो सप्लीमेन्ट्री पूछ लेने दीजिये। आपको उनके प्रति उदारता बरतनी चाहिये।

श्री रामनारायण चौधरी (मंडावा) : अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहता हूं सरकार से आपके द्वारा कि 1150 थानों में थानेदार नियुक्त हैं। जब आपके नियमों में स्पष्ट है कि 16 प्रतिशत शिड्यूल्ड कास्ट्स और 12 प्रतिशत शिड्यूल्ड ट्राइब्स के सब-इन्सपैक्टर्स हो सकते हैं तो रिजर्वेशन की संख्या 180 से ऊपर आती है। जो शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को कोटा मिलना चाहिये, वह नहीं मिला है, इसका क्या कारण है ?

(व्यवधान)

यह कोटा अब कब तक पूरा कर देंगे ? जब तक यह कोटा पूरा नहीं हो तब तक सब इन्सपैक्टर्स की भर्ती शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स में से ही की जाय।

श्री रामेश्वर प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, इसी से रिलेवेन्ट मेरा एक प्रश्न है। 1150 सब इन्सपैक्टर्स हैं और उनमें से केवल 13 ही शिड्यूल्ड कास्ट्स और 22 शिड्यूल्ड ट्राइब्स के हैं तो क्या यह भर्ती जनता सरकार के समय में हुई है ?

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : जनता सरकार ने तो एक भी नहीं किया है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, इस प्रश्न पर काफी चर्चा हो गई है। मैं स्वयं स्वीकार करता हूं कि जो सूचना और जानकारी दी गई है सरकारी पक्ष के द्वारा, वह पर्याप्त नहीं है और उचित भी नहीं है।

मुख्य मंत्री (भैरोंसिंह शेखावत) : अध्यक्ष महोदय, मैं यह मानने को तैयार नहीं हूं कि जो सूचना दी गई है वह पर्याप्त नहीं है। जो सरकार के पास सूचना है, वह पर्याप्त है....

(व्यवधान)

आप सुन तो लीजिये। व्यवस्था का सवाल नहीं है, अध्यक्ष महोदय की कोई व्यवस्था नहीं है। इसे व्यवस्था मानकर नहीं चलें।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर) : व्यवस्था नहीं है तो और क्या है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय ने यह कहा है सूचना पर्याप्त नहीं है।

श्री अब्दुल अजीज : पक्ष या विपक्ष द्वारा व्यवस्था नहीं चाही गई है जो आप अध्यक्ष महोदय के वर्डिंग्स् को ओवर लुक करें।

श्री अध्यक्ष : सरकारी पक्ष का उत्तर भी सुन लें, माननीय सदस्य।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं केवल यह निवेदन कर रहा था जो सरकार के पास सूचना उपलब्ध थी, वह सदन के सामने रख दी गई है। जो सूचना करेक्ट थी वह सदन में रखी गई है। यह मैं भी मानता हूं कि इतनी बड़ी संख्या में थानेदार लगे हुये हैं उनमें शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों की जितनी नियुक्ति होनी चाहिये थी, वह नहीं हुई है। लेकिन यह गलती हमारी नहीं है। जो माननीय सदस्य प्रश्न पूछ रहे हैं वे कृपया अपने दिल को टटोलें कि निश्चित निर्धारित कोटा क्यों नहीं पूरा हुआ है ?

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : आपकी सरकार ने कौनसी नियुक्तियां की हैं ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अभी कोई नियुक्तियां हमारी सरकार ने नहीं की हैं ?

श्री वृद्धि चन्द्र जैन : थानेदार की नियुक्ति की या नहीं की, इन 8 माह में ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं की।

श्री अब्दुल अजीज : आपकी सरकार ने एक भी नियुक्ति क्यों नहीं की ? इसके बारे में आप क्या कहते हैं ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं यह कह रहा था जब भी नियुक्तियां होंगी तो मैं सरकार की ओर से आश्वासन देना चाहता हूं कि शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स का जो निर्धारित कोटा है, उसकी निश्चित रूप से पूर्ति की जायेगी।

श्री हयोपतसिंह मकासर : कोटा पूरा करने की कार्यवाही की जाये।

श्री कल्याणसिंह सांखला (अजमेर पूर्व) : हम तो सरकार से यह जानना चाहते हैं कि कोटे की पूर्ति कब तक कर दी जावेगी ?

(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्नसिंह : क्या मंत्री महोदय यह बात कहने के लिए तैयार हैं कि जब तक इनका कोटा पूरा नहीं किया जावेगा कोई अन्य नियुक्ति नहीं की जावेगी ?

श्री अध्यक्ष : पर्याप्त है, माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

इस प्रश्न के सम्बन्ध में विपक्ष को भी अपनी खामियों का दायित्व स्वीकार करना चाहिए।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य ! माननीय सदस्य ! माननीय सदस्य !

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, ऐसा लगता है कि मुख्य मंत्रीजी ने आपको प्रभावित कर दिया।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, क्या आप आसन को सहयोग नहीं करेंगे ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : मैं तो आपका ताबेदार हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 3।

(व्यवधान)

I will not allow any supplementary

श्री कौशलकिशोर जैन।

राज्य में पीने के पानी की दरों में असमानता

3. श्री कौशल किशोर जैन (भीलवाड़ा) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या यह सही है कि राज्य में ही एक जिले में दूसरे जिले से पीने के पानी की न्यूनतम दरों में असमानता है ?

(2) क्या यह भी सही है कि राज्य के शहरों में पानी की न्यूनतम दर गांवों की दरों से कम है ?

(3) क्या यह भी सही है कि राज्य के गांवों के लिए मीटर प्रणाली उपलब्ध नहीं है ?

(4) राज्य में ही इस असमानता को दूर करने के लिए राज्य सरकार क्या कार्यवाही करेगी ?

राज्य मंत्री, जन स्वास्थ्य (श्री महबूब अली) : (1) हां, यह सही है कि एक ही जिले में पीने के पानी की दरों में असमानता है।

(2) यह सही है कि शहरों की जल शुल्क की दरें अधिकांश गांवों की जल शुल्क की दरों से कम है।

(3) यह सही है कि अधिकांश ग्रामीण जल प्रदाय योजनाओं में मीटर प्रणाली नहीं है।

(4) ग्रामीण क्षेत्रों में जल पूर्ति दरों में एकरूपता लाने एवं संशोधित दरों का मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है।

श्री श्योपतसिंह मकासर : यह मामला कब तक विचाराधीन रहेगा ?

श्री एच. एन. शर्मा (बेगू) : यह विचाराधीन कब तक रहेगा ?

श्री कौशल किशोर जैन : मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा, जैसा कि मैंने प्रश्न में पूछा है कि एक ही जिले के अन्दर असमानता है। दूसरे जिले की बात नहीं है बल्कि एक ही जिले में, जहां मीटर प्रणाली नहीं है, एक जगह दस रुपया न्यूनतम दर है और दूसरे जिले में सात रुपया है। इस असमानता का क्या कारण है ?

श्री महबूब अली : मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि जब जल प्रदाय योजना बनाई जाती है तो उसकी कास्ट पर कैपिटा कितनी आती है उसके आधार पर दर निर्धारित की जाती है। इस पर एक कमेटी ने भी विचार किया है। विद्युत् से चलने वाली योजना जहां है वहां दस रुपया न्यूनतम दर ली जाती है और जहां पर डीजल से मोटर चलती है वहां पर पन्द्रह रुपया न्यूनतम दर ली जाती है। सारी योजनाओं में समानता लाने की स्थिति में राज्य सरकार नहीं है क्योंकि योजना पर लगने वाले खर्च के आधार पर न्यूनतम दर निर्धारित की जाती है।

श्री कौशल किशोर जैन : बिजली से ही चलने वाली योजना में किसी जगह पर दस रुपया लिया जाता है और दूसरी जगह सात रुपया लिया जाता है, यह असमानता का प्रश्न है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुंझुनूं) : क्या मंत्री महोदय यह उचित समझते हैं कि

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)
डीजल से चलने वाली योजना में पन्द्रह रुपये लिये जावें और बिजली से चलने वाली ग्रामीण योजना में ग्रामीण लोगों से दस रुपये और शहरों में सात रुपये लिये जायं ?

श्री महबूब अली : उचित और अनुचित का प्रश्न नहीं है। प्रश्न यह है कि कितनी कास्ट इस पर आती है उसके अनुसार न्यूनतम दर ली जाती है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : क्या आप इसे न्यायसंगत समझते हैं ?

श्री महबूब अली : न्यायसंगत और न्याय-असंगत का प्रश्न नहीं है····

(व्यवधान)

श्री श्योपतसिंह मकासर : सवाल न्यायसंगत और न्यायअसंगत या उचित-अनुचित का नहीं है लेकिन सवाल यह है कि क्या गरीब ग्रामीण लोगों को पीने के लिए पानी महंगा दिया जाय और शहरों में जो साधन सम्पन्न लोग रहते हैं उनको सस्ता पानी दिया जाय ? क्या सरकार किसी तरह से भी इसको ठीक समझती है ?

श्री मदनसिंह दांता क्या मंत्री महोदय, यह न्यायसंगत समझते हैं कि जब शहरों में सस्ता ही नहीं बल्कि विधायकों को फ्री पानी मिलता है तो गरीबों से ज्यादा दर ली जाय? यह नहीं होना चाहिए।

(व्यवधान)

श्री श्योपतसिंह मकासर : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही संजीदा सवाल है। विधायकों को फ्री पानी मिलता है और दूसरों को नहीं मिलता है यह प्रश्न नहीं है असली सवाल यह है कि क्या हम यह दृष्टिकोण लेकर चलना चाहते हैं कि गांवों में भी ऐसे लोगों को फ्री पानी दिया जावे जो गरीब हैं ? न्यायसंगत तो यह है कि जहां खारा पानी है, दूर-दूर से लोग पानी लाते हैं और जिनके पास कोई साधन नहीं हैं उनको मुफ्त पानी दिया जावे। लेकिन इससे बिल्कुल उल्टा हो रहा है। क्या इस असमानता को दूर किया जायेगा ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या प्रश्न पूछ रही है कि कल्याणकारी व्यवस्था किस को कहते हैं ?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : क्या यह समाजवाद की मूल भावना के बिल्कुल विपरीत नहीं है ?

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक सवाल है।

श्री मनोहरसिंह मेहता : अध्यक्ष महोदय, मैं भी एक प्रश्न पूछना चाहता हूं।

(व्यवधान)

श्री श्योपतसिंह मकासर : अध्यक्ष महोदय, मेरा बहुत ही अहम् सवाल है कि सरकार गरीबों को मुफ्त पानी देगी या पानी की दरें नफे नुकसान के आधार पर लेगी ? यह बिजनेस नहीं है, सरकार लोगों को पीने के लिए पानी दे रही है। सरकार दुकान पर थोड़े ही बैठी है जो नफे नुकसान की बात कर रही है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री मेहताजी।

श्री मनोहरसिंह मेहता : अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहता हूं कि जब आपने गांवों में जल प्रदाय योजना प्रारम्भ की उसके पहले गांव वालों को क्या यह फर्मा दिया था कि तुम्हें शहरों के मुकाबले में ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे ? वे तो इसी चक्कर में रह गए कि सस्ती दर पर पानी मिलेगा। इसके अलावा क्या एक ही जिले में अलग अलग न्यूनतम दरें होना पक्षपातपूर्ण नहीं है ? क्या आपने पहले कह दिया था कि तुम्हारे ज्यादा पैसे आयेंगे ?

श्री मदनसिंह दांता : इसमें एक बहुत अहम प्रश्न है। गांवों की योजना का एक बैंक ग्राउण्ड है और वह यह कि गांव के बीच में एक या दो टूंटी होंगी। आज गांवों में भी बड़े बड़े पूंजीपतियों ने दो-तीन टूंटियां लगा रखी हैं। इससे राज्य सरकार का काम नहीं चलने वाला है। अब आप फ्री पानी देने के लिए दबाव दे रहे हैं जब कि गांव के अन्दर जहां तहां टंकी बना कर नल दे रहे हैं। ओरिजिनल योजना को देखेंगे तो गांव के बीच में दो टूंटी लग जानी चाहिए। बस इतना ही योजना में है, इससे ज्यादा नहीं है। राज्य सरकार उससे ज्यादा कर कर रही है।

(व्यवधान)

इसमें नाराज होने की बात नहीं है, वास्तविक बात है। माननीय सदस्य चाहते हैं कि घर घर टूंटी फ्री लगाई जावे।

(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मेरी ओर भी ध्यान दें।

श्री राम कृष्ण दास गुप्ता (कोलायत) : अध्यक्ष महोदय, मैं भी बार बार आपका ध्यान दिला रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : आप पूछिए।

श्री राम कृष्ण दास गुप्ता : जनता सरकार को पहले ही कांग्रेस सरकार की हर नीति गलत नजर आ रही है तो क्या इस बारे में वह नहीं समझती कि यह भी गलत नीति है।

श्री रतनलाल वर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं . . .

(व्यवधान)

श्री सुखलाल सेणचा (रायपुर) : क्या सरकार जल प्रदाय योजना की व्यवस्था को गांव की पंचायत को सौंपने पर विचार कर सकती है ? यह व्यवस्था पंचायत को सौंप दी जावे तो वे स्वयं ठीक से इसकी व्यवस्था कर लेंगी।

श्री रतनलाल वर्मा : क्या मंत्री महोदय यह बताने का कष्ट करेंगे कि जिस परिवार में आठ सदस्य होते हैं उनसे दस रुपये लेती है और नौ सदस्य होते ही बीस रुपये ले लेती है ? परिवार में एक बच्चा होते ही दस से बीस रुपये हो जाते हैं। यह इसी साल किया गया है। यह व्यवस्था कहां तक उचित है ?

(व्यवधान)

श्री श्योपतसिंह मकासर : अध्यक्ष महोदय, मैं कहता हूं कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। क्या सरकार

(श्री श्योपतसिंह मकासर)
इसको कार्मशियल बेसिस पर चलाना चाहती है ? लोगों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था को कार्मशियल बेसिस पर चलाना चाहती है ? मुख्य मंत्री इसका स्वयं जवाब दें। यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। यह बेचारे राज्य मंत्री के बस की बात नहीं है।

श्री रतनलाल वर्मा : यह क्या बेचारे लगा रखा है। बेचारे तो कांग्रेस वाले होंगे।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री प्रद्युम्नसिंह : माननीय मंत्री महोदय उत्तर तो फर्मायें।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय का जवाब सुनने की तो कृपा करें। आपने सप्लीमेंट्री बहुत पूछ लिए। केवल सप्लीमेंट्री की बौछार का कोई अर्थ नहीं है जब तक ट्रेजरी बैंच से जवाब न आए। ट्रेजरी बैंच का कोई उत्तर तो आप सुनिये।

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय,....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप बोल लीजिए।

श्री रामनारायण चौधरी : मेरा निवेदन है कि आप भेदभाव से पानी क्यों दे रहे हैं ? इन्साफ से एक भाव से पानी क्यों नहीं बेच रहे हैं ? इस बारे में सरकार का क्या कहना है ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात की खुशी है कि माननीय सदस्य जो प्रश्न पूछ रहे हैं, यह रेट उन्हीं के द्वारा लागू की गई है। ज्यादा अच्छा होता...

(व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : हर मामले में आप यही कहते हैं। कोई भी बात हो....

(व्यवधान)

आप गलती किये जा रहे हैं लेकिन गलती मानते नहीं हैं। थोड़े से दिनों में ही आपका हमारे से भी ज्यादा बुरा हाल होने वाला है।

श्री शंकरलाल : अध्यक्ष महोदय, आप इस बात की घोषणा कीजिए कि गांवों में आप ज्यादा से ज्यादा पीने के पानी की योजना चालू करेंगे।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 4।

(व्यवधान)

श्री रघुनाथ विश्नोई : आप खाली इतना कह दें...

श्री रतनलाल वर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि आप पूरा जवाब नहीं सुनने देना चाहते हैं। समय नष्ट करना चाहते हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ! माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

नेक्स्ट क्वेश्चन। श्री रघुनाथ विश्नोई।

(व्यवधान)

यह प्रश्न समाप्त हो गया है।

(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : आपसे निवेदन है कि आप प्रश्न का जवाब आने दीजिए।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुआ। प्रश्न का तात्पर्य पूरा हो चुका है।

नेक्स्ट क्वेश्चन।

(व्यवधान)

जो व्यवस्था है, वह आपने सुन ली है।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : सरकार की नीति क्या है?

श्री प्रद्युम्न सिंह : आपने पीने के पानी के लिए घोषणा की थी। मुख्य मन्त्रीजी कहते हैं कि आपने यह किया, वह किया। मैं कहता हूं कि 10 महीने में आपने क्या किया है?

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : पीने के पानी की योजना क्या है?

श्री अध्यक्ष : इस प्रकार तो व्यवस्था नहीं हो सकती है। दस महीने या सात महीने में इस नयी सरकार को कोई मौका नहीं दिया है।

प्रश्न संख्या 4।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न का उत्तर नहीं आया है। प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है। यह सरकार गलतियां स्वीकार करने को तैयार है या नहीं?

(व्यवधान)

क्या यह सरकार पानी की व्यवस्था नहीं कर सकती?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य!

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : यह सरकार पानी की ठीक व्यवस्था करने को तैयार नहीं है।

मेजर श्री फतहसिंह : अध्यक्ष महोदय, पानी की दरों में राजस्थान में असमानता है, क्या सरकार इसको मानती है? क्या सरकार असमानता दूर करने का विचार रखती है?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रश्न का उत्तर दे रहा था। मुझे सुनते तो मैं समझता हूं कि सारी स्थिति अपने आप स्पष्ट हो जाती। मेरा आशय पुरानी सरकार को बदनाम करने का नहीं है। स्थिति को स्पष्ट करने की नीयत से मैं बता रहा था लेकिन माननीय सदस्य नाराज हुए। पिछली सरकार का नाम क्यों लिया...

(व्यवधान)

आप बीच में नहीं बोलें।

मैं यह निवेदन कर रहा था। यह जो सारी रेट्स हैं, 1974 में ये लागू की गई थीं। उससे पहले 1961 में निर्णय लिया गया था। फिर 1976 में इसमें 721.34 लाख रु. का घाटा रहा तो प्रश्न पैदा हुआ है रेट्स का। हम इसे कामशियल बेसिस पर नहीं चला रहे हैं। पहले घाटा था। मैं सरकार की ओर से नहीं, मेरी ओर से कहना चाहता हूं...

श्री रामनारायण चौधरी : अपनी तरफ क्यों सरकार की तरफ से कहिये।

श्री भैरोंसिह शेखावत : आपको शान्ति रखनी चाहिए। आप मन्त्री रहे हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : आप मुख्य मन्त्री हैं। मुख्य मन्त्री की हैसियत से बोल रहे हैं ?

श्री भैरोंसिह शेखावत : हां, मैं मुख्य मन्त्री की हैसियत से बोल रहा हूं। मेरे पास ऐसे क्षेत्रों से कई आवेदन-पत्र आये हैं जहां कि खारा पानी है। जैसा कि रामकृष्ण दास गुप्ता ने कहा, कई जगह खारा पानी है वहां क्यों नहीं जल प्रदाय योजना लागू की जाती। यह जो पंचायतें और नगरपालिकाएं हैं, ये वाटर वर्क्स अपने हाथ में ले लें तो हम तैयार हैं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : इस प्रश्न पर आधे घण्टे की चर्चा रख दें।

एक माननीय सदस्य : आप सुनिए।

श्री भैरों सिंह शेखावत : चर्चा का समय आप को मिलेगा। गवर्नर के एड्रेस पर मिलेगा। बजट प्रस्तुत होगा तब मिलेगा। एप्रोप्रिएशन बिल पेश होगा तब चर्चा का समय मिलेगा। आधे घण्टे की चर्चा का प्रश्न आप अपनी तरफ से उठाइये। आप नगरपालिकाओं और पंचायतों को हैण्ड-ओवर करने की बात उठाइये। मैं उस पर गम्भीरता से विचार करूंगा। आप जो कहेंगे मैं उस पर जरूर विचार करूंगा।

श्री प्रद्युम्न सिंह : होता यह है कि गवर्नर के एड्रेस पर चर्चा होगी तो कोई मिनिस्टर नहीं होंगे। बजट और फाइनेंस बिल पर चर्चा होगी तो मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर नहीं होंगे। मैं समझता हूं कि आप अपने सहयोगी मन्त्रियों को आदेश दें कि वह सदन में बैठें।

श्री भैरोंसिह शेखावत : मैं यह विश्वास दिलाता हूं कि कोई भी मन्त्री गायब नहीं होगा।

पंचायत समिति क्षेत्र सांचोर में चिकित्सा की सुविधा

4. **श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) :** क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति क्षेत्र सांचोर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सांचोर एवं उसके उप केन्द्रों में एड पोस्टों में, चितवाना एवं झाब डिस्पेंसरीज में अब तक पूरा स्टाफ नहीं लगाया गया है ? यदि हां, तो सब जगह कितने कितने स्टाफ की कमी है एवं उसकी पूर्ति कब तक कर दी जावेगी ?

(2) क्या यह भी सही है कि सांचोर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं चीतलवाना एवं झाब डिस्पेंसरी में पूरी दवाएं उपचार हेतु उपलब्ध नहीं हैं ? यदि हां, तो क्यों ? अब राज्य सरकार उक्त जगहों पर पर्याप्त दवाएं एवं अन्य सामग्री गरीबों के उपचार हेतु कब तक उपलब्ध करवा देगी ?

(3) क्या यह भी सही है कि उप केन्द्रों एवं एड पोस्टों पर भी पूरी दवाएं एवं अन्य सामग्री उपलब्ध नहीं है ? यदि हां, तो उनका बन्दोबस्त कब तक करवा दिया जायेगा ?

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

(4) क्या राज्य सरकार जनसंख्या के आधार पर अस्पतालों में पूरी दवाओं, उपचार की आवश्यकताओं के अनुरूप ग्रामीण क्षेत्रों में बजट बढ़ाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो इस बारे में कब तक क्या कदम उठाये जायेंगे ?

चिकित्सा मंत्री (श्री त्रिलोकचन्द जैन) : (1) जी हां, पंचायत समिति क्षेत्र सांचोर की उक्त चिकित्सा संस्थाओं में स्टाफ की कमी का ब्यौरा निम्न प्रकार है:—

संस्था का नाम	रिक्त पद
प्रा. स्वा. केन्द्र, सांचोर	एल. एच. वी.–1
	ए. एन. एम.–3
	च. श्रे. कर्म.–1
डिस्पे. चीतलवाना	दाई–1
	कम्पा.–2
डिस्पे. भाब	कम्पा.–2
एडपोस्ट सुराचन्द	ए. एन. एम.–1
एडपोस्ट भवातडा	ए. एन. एम.–1
एडपोस्ट डूंगरीग्राम	ए. एन. एम.–1

प्रशिक्षित व्यक्तियों के उपलब्ध होते ही रिक्त स्थानों की पूर्ति कर दी जायेगी।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं।

(4) राजकीय अस्पतालों में रोगियों की संख्याओं के आधार पर ही बजट का प्रावधान किया जाता है एवं अतिरिक्त मांग आने पर पृथक से धनराशि स्वीकृत की जाती है। उपकेन्द्रों पर न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम के अन्तर्गत 2000 रुपये की दवाइयों का प्रावधान है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, स्टाफ की कमी है, इससे क्या आप सन्तुष्ट हैं ? पूरे के पूरे साल कमी रही है। आपने बताया है कि कमी है। कितने वर्षों से कमी है ? वहां दो लाख की जनसंख्या है वहां मलेरिया जैसी डिसीज फैल रही है, तो आप क्या व्यवस्था करेंगे ? वहां पर जो स्टाफ की कमी है वह कब तक पूरी करेंगे ?

श्री टीकम चन्द कान्त (जालोर) : जालोर जिले में कम्पाउन्डर्स के स्वीकृत पदों की कुल संख्या 54 है जब कि वहां पर केवल 22 कम्पाउण्डर काम कर रहे हैं। इसकी पूर्ति आप कब तक करेंगे ?

श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर) : अध्यक्ष महोदय, बाड़मेर जिले में भी कम्पाउण्डर्स और नर्सेज की कमी है। मैंने एक प्रश्न रखा था जिसके उत्तर में बताया गया था कि ट्रेनिंग दी जा रही है। मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करें कि बाड़मेर, जैसलमेर और जालोर जिलों में कब तक कम्पाउण्डर्स और नर्सेज की अवेलेबिलिटी हो जायेगी ?

श्री त्रिलोक चन्द जैन : अध्यक्ष महोदय, मैंने निवेदन किया कि ज्यों ज्यों प्रशिक्षित व्यक्तियों की उपलब्धि होती जा रही है त्यों-त्यों पूर्ति की जा रही है। प्रश्न यह भी है कि नियुक्ति करते हैं लेकिन जब तक जोइन नहीं कर पाते हैं, तब तक स्थिति मालूम नहीं होती है। करीब-करीब सभी स्थानों पर नियुक्तियां की जा रही हैं लेकिन पहुंच नहीं पाते हैं इसलिए सही स्थिति का अन्दाजा नहीं लग पाता है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : आपके पास जो सूचना आई है वह सही नहीं है । वहां पर कोई स्टाफ नहीं है दूसरी बात यह है कि आप स्टाफ की पूर्ति कब तक करवा देंगे ? आपके पास आदमी हैं, जहां पर कमी हो बराबर बराबर बांटने चाहिए ।

श्री त्रिलोक चन्द जैन : इस प्रकार की बात नहीं है । सभी जगह पूर्ति की जा रही है ।

श्री रघुनाथ विश्नोई : आप कोई कन्विंसिंग रिप्लाई तो दीजिए ।

श्री त्रिलोक चन्द जैन : सांचोर में कोई स्थान खाली नहीं है । लेकिन जितना स्टाफ वहां होना चाहिए, ज्यों-ज्यों अवेलेबिलिटी होती जा रही है, त्यों-त्यों स्टाफ पूर्ति के प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 5 । श्री शंकरलाल !

श्री रघुनाथ विश्नोई : साल भर पहले जो एड पोस्ट आपने खोलीं उनमें स्टाफ नहीं है । वहां पर आप कब तक स्टाफ भेज देंगे और कब तक दवाइयों आदि की व्यवस्था कर देंगे ?

श्री त्रिलोक चन्द जैन : एक मेल नर्स है ।

श्री रघुनाथ विश्नोई : डूंगरी भयातड़ा में वह नहीं पहुंचा ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 5 ।

श्री मनोहर सिंह मेहता : मेल नर्स पहुंची नहीं या पहुँचा नहीं ।

श्री रघुनाथ विश्नोई : कब तक आप व्यवस्था कर देंगे ? वहां गरीब आदमी हैं, काफी लम्बे एरिया में एड पोस्ट है । उसके अन्दर भी दवाइयां और स्टाफ उपलब्ध नहीं है । आपके सामने क्लियर पिक्चर आ गई है, तो अब सरकार की क्या नीति होगी इस विषय में ?

श्री त्रिलोक चन्द जैन : सांचोर में 32 हजार की दवाइयों का प्रावधान है वहां पर 26197.00 की दवाइयां पहुंची हैं । चीतलवाना में 11 हजार का प्रावधान है वहाँ पर 8 हजार की दवाइयां पहुंची हैं । भाव में 8 हजार की दवाइयां पहुंची हैं । इसी तरह सभी स्थानों पर दवाइयां पहुंचाई जा रही हैं ।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन :

(व्यवधान)

श्री माधोसिंह (रेवदर) : मेरा निवेदन है, अध्यक्ष महोदय, कि ....

(व्यवधान)

श्री रघुनाथ विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, मैं तो यह पूछना चाहता हूँ कि आप कुछ नीति की घोषणा करें उसका इम्प्लीमेन्टेशन कीजिये । यह बता दीजिये कि जो स्टाफ की कमी है उसकी पूर्ति कब तक करवा देंगे ?

श्री माधोसिंह (रेवदर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहता हूँ । जिन कर्मचारियों की नियुक्ति हुई है उनमें से जो निर्धारित समय में नहीं पहुंच रहे हैं, तो क्या आप उन लोगों के खिलाफ एक्शन लेने को तैयार हैं ?

श्री रघुनाथ विश्नोई : आप वहां पर दौरा कर लीजिये, वह एरिया ऐसा है कि कोई वहां पर जाता नहीं है और जाता है तो एक महीने में ही छोड़ जाता है या बीमार हो जाता है।

(व्यवधान)

श्री शिवचरण सिंह (बयाना) : अध्यक्ष महोदय, फीमेल नर्स गांवों में नहीं जाती हैं, वे डरती हैं। विभाग की ओर से उनकी सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। नर्सें केरल और मद्रास की आती हैं। सरकार इस फैक्ट को छिपाती है। इस बात को मन्त्री जी को मानना चाहिए और उनकी सुरक्षा का इन्तजाम करना चाहिए।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कई जगह ऐसा हो रहा है।

(व्यवधान)

श्री माधोसिंह (रेवदर) : लेकिन मंत्री जी क्या एक्शन लेने को तैयार हैं ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

प्रश्न संख्या 6।

पाली क्षेत्र में गांवों में पीने के पानी की व्यवस्था

5. श्री शंकरलाल (जैतारण) [श्री मूलचन्द डागा (पाली) की अनुपस्थिति में] : क्या जन स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पाली निर्वाचन क्षेत्र के कौन कौन से गांव ऐसे हैं जहां पीने के पानी की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है और जहां कुंए भी खारे हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उन गांवों में से किन-किन गांवों के लिए जल प्रदाय विभाग ने कोई योजना बनाई है ? यदि हां, तो उस योजना का क्या स्वरूप होगा ? उस पर कितनी धन-राशि लगेगी और वह कब तक पूरी हो जावेगी ?

(3) क्या यह सही है कि गांव चेण्डा, मान्डावास, खुडामी, दीवांदी, लाम्बेडी, खेड़ा, पांच पद्रीया, सार्जी, खांदी आदि में पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं है और लोगों के लिए हजारों रुपया खर्च करके ट्रांसपोर्ट द्वारा पानी उपलब्ध कराया जाता है ? यदि हां, तो उक्त गांवों की समस्या का स्थाई निराकरण कब किस रूप में एवं कब तक कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राज्य मंत्री, जन स्वास्थ्य (श्री महबूब अली) : (1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) उपरोक्त ग्रामों में से 13 ग्रामों हेतु वर्ष 1977-78 के जिला आयोजना समिति के प्रस्तावों में सिफारिश की गई है जिनकी सूची संलग्न प्रपत्र में है। इन प्रस्तावों की तकनीकी जांच की जा रही है। तत्पश्चात् धन की उपलब्धि के अनुसार योजनायें बनाकर स्वीकृति की आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।

(3) ग्राम चंडा में पीने योग्य जल उपलब्ध है। ग्राम मन्डावास, खुटामी, दवाडे, लाम्बडा, खेडा, पांच पदरिया, खांज

Page No 16

(16)

(श्री महबूब अली)
एवं खारी समस्या ग्रस्त हैं। जल योजनाओं की स्वीकृति जिला आयोजना समिति से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर ही की जाती है। उक्त ग्रामों में से कोई भी इस वर्ष के लिए जिला आयोजना समिति द्वारा प्रस्तावित नहीं है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 3 देखें)

श्री शंकरलाल : आपने जो सूची दी है वह 75 गांवों की है जहां पर पीने के पानी की सुविधा नहीं है। मैं मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में यह कहा था कि डी. पी. ए. पी. के अन्तर्गत गवर्नमेंट आफ इण्डिया ने मन्जूरी दी है। क्या उसके अन्तर्गत इन गांवों को लेने का कार्यक्रम बनाया गया है? उसके अन्दर ये गांव आते हैं क्या?

श्री महबूब अली : जिला आयोजना समितियां बनाई गई हैं। उनके प्रस्ताव आते हैं उनकी तकनीकी आधार पर जांच करके प्रायोरिटी के अनुसार लिया जायगा।

श्री अध्यक्ष : तीन-तीन माननीय सदस्य एक साथ नहीं, एक-एक कृपया।

श्री अब्दुल अजीज (मकराना) : क्या सरकार राजनीति के आधार पर व्यवस्था करेगी या समानता के आधार पर?

श्री महबूब अली : इसमें राजनीति का कोई प्रश्न नहीं है।

श्री अब्दुल अजीज : मैं मकराना के पेयजल की योजना के बारे में निवेदन करना चाहता हूं, उसके लिए ढाई लाख की योजना भेजी गई लेकिन वह ड्राप कर दी। आप अपनी घोषणा के विपरीत चल रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री शंकर लाल : मंत्रीजी ने बताया कि जो जिला आयोजना समिति से प्रस्ताव आते हैं उनके अनुसार स्वीकृति होती है। मेरा प्रश्न यह था कि कल ही राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में कहा कि सूखा संभावित क्षेत्र में डी.पी.ए.पी. प्रोग्राम में भारत सरकार ने जिन योजनाओं के लिये पैसा खर्च करने के लिए स्वीकृति दे दी है उसके तहत आपने कौनसी योजनाएं गांवों के लिए बनायी हैं, उसके लिये आपको कितना पैसा मिला और किस प्रकार खर्च कर रहे हैं? इसमें ये गांव आते हैं या नहीं?

श्री महबूब अली : योजनायें बनकर जिला समितियों से आयेंगी। इस पीरियड में आपने सारी प्रक्रिया को पूरा करने की बात कही है। ज्यों ज्यों प्रस्ताव आयेंगे उनकी जांच की जायेगी और जितना पैसा आयेगा उसके हिसाब से अलाटमेंट किया जाएगा। कल अभिभाषण हुआ और आज ही आप जानना चाहते हैं कि ये गांव उसमें ले लिये गए हैं या नहीं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 6।

वाहन दुर्घटनाओं की रोकथाम

6. **श्री करतारसिंह (किशनगढ़) :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) वर्ष 1977 (जनवरी से दिसम्बर) में राष्ट्रीय मार्ग नं. 8 पर जयपुर एवं

(श्री करतार सिंह)
अजमेर के मध्य कुल कितनी वाहन दुर्घटनायें हुईं ?

(2) इन दुर्घटनाओं में कुल कितने व्यक्ति मारे गये तथा अनुमानतः कितनी धनराशि का नुकसान हुआ ?

(3) आये दिन होने वाली इन दुर्घटनाओं के क्या-क्या मुख्य कारण रहे हैं ?

(4) क्या राज्य सरकार आये दिन होने वाली इन दुर्घटनाओं को रोकने का कोई उपाय कर रही है ? यदि हां, तो क्या ?

गृह मंत्री (श्री सम्पतराम) : (1) 163 वाहन दुर्घटनायें हुईं ।

(2) इन दुर्घटनाओं में 42 व्यक्तियों की मृत्यु हुई । धनराशि के नुकसान के बारे में पुलिस में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है ।

(3) मुख्य कारण ड्राइवरों की लापरवाही अथवा वाहन में तकनीकी खराबी है ।

(4) जी हां । समय-समय पर वाहनों की चैकिंग व ट्रैफिक नियमों की जानकारी द्वारा दुर्घटनाओं को रोकने के प्रयास किये जाते हैं ।

श्री करतार सिंह : आप विस्तृत रूप से बतायें कि आज तक क्या उपाय किए ? आये दिन एक न एक दुर्घटना होती है । कई आदमियों की जानें गईं और लाखों रुपये का नुकसान हुआ है । आपने इस दिशा में क्या कार्यवाही की ?

श्री गुल मोहम्मद (जौहरी बाजार, जयपुर) : एक्सीडेंट्स दिन में होते हैं या रात में ?

श्री नवरंग सिंह (नवलगढ़) : क्या यह सही है कि ड्राइवर शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं ? यदि हां, तो सरकार ने कितने ड्राइवर्स का चालान किया ?

श्री अजीज अहमद : जयपुर-अजमेर राष्ट्रीय मार्ग नं. 7 पर दुर्घटनायें ड्राइवरों की गलतियों से भी होती हैं और कुछ विभाग के कारण भी । पी. डब्ल्यू डी. की तरफ से जहां नई छोटी पुलिया बना रहे हैं वहां साइड में क्रास करने की सड़क बनाई जानी चाहिये वह नहीं बनाई गई है । इसके अलावा कच्ची मिट्टी होने से दुर्घटनायें होती हैं, कई ट्रक उलट जाते हैं । आप कहते हैं कि केवल ड्राइवरों की गलती से दुर्घटनाएं होती हैं, मैं इससे सहमत नहीं हूं । पी. डब्ल्यू. डी. की भी गलती है । विभाग का उत्तरदायित्व है ।

श्री सम्पत राम : यह सही है कि दुर्घटनायें हो जाती हैं, उनसे मृत्यु होती है, ट्रकों का भी नुकसान होता है । इसके दो पहलू हैं । आम तौर से चाहे सिटी हो, चाहे नेशनल हाइवेज हों, एक तो ट्रैफिक रूल्स से जनता को ज्यादा से ज्यादा शिक्षित किया जाय, दूसरे विभाग की गलती है या ड्राइवर्स की गलती है उसको भी देखना चाहिये । सरकार विचार कर रही है कि हम ट्रैफिक आर्गेनाइजेशन को थोड़ा और मजबूत करें और मजिस्ट्रेट वगैरह चैकिंग पार्टीज के द्वारा भी दिन-रात देखें कि वे ड्राइवर शराब पीकर तो वाहन नहीं चला रहे हैं या दूसरे वाहनों को रास्ता

(श्री सम्पत राम)
देते हैं या नहीं। इसमें काफी विचार करके सुधार करने की आवश्यकता है। सरकार प्रयत्न करेगी कि इसमें सुधार किया जाए।

(व्यवधान)

श्री रतन लाल वर्मा : काफी लम्बे समय से दूदू व किशनगढ़ के बीच में रांडें बसी हुई हैं। शराब के ठेके लगे हुए हैं, वहां ट्रक खड़े रहते हैं। दुर्घटनाओं का एक मूल कारण यह भी है।

श्री श्योपतसिंह मकासर : गत वर्ष के बनिस्बत इस साल दुर्घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है या कमी हुई है? क्या यह सही है कि अजमेर रोड पर बाकी सारे राजस्थान के मुकाबले में ज्यादा दुर्घटनायें हो रही हैं?

श्री गुल मोहम्मद : जितनी भी दुर्घटनायें होती हैं वे अधिकतर दिन में होती हैं या रात में?

श्री राम नारायण चौधरी : क्या यह सही है कि जिन एक्सीडेन्ट की वजह से मौतें हुई या लोग घायल हुए? वे ठीक प्रकार से इन्श्योर्ड नहीं थे इसलिए जो व्यक्ति घायल हुए या मर गए उनका मुआवजा मिलने में दिक्कत हुई?

श्री कल्याण सिंह सांखला (अजमेर-पूर्व) : इस मार्ग पर एक जगह तो रोड दो-ढाई फीट नीचे है। दो ढाई साल से इसी तरह पड़ी हुई है। सबसे ज्यादा दुर्घटनाएं उसी स्थान पर होती हैं क्योंकि वहां रोड ऊंची नीची है।

श्री मदन सिंह दांता : ट्रक दुर्घटनायें ड्राइवर्स के कारण होती हैं क्योंकि लाइसेंसिंग आथोरिटी उनकी पूरी तरह से परीक्षा लिए बिना सर्टिफिकेट दे देती है। 10 दिन ड्राइविंग सीखने वाला भी ट्रक चलाना शुरू कर देता है। ड्राइवर्स को प्रोपर्ली चैक करके लाइसेंस नहीं देते हैं। कई तो शराब पीकर चलाते हैं। इसमें सख्ती बरतनी चाहिए। अच्छी तरह से जांच करके लाइसेंस दिया जाना चाहिये। सड़क खराब हुई तो क्या हुआ, इंग्लैंड में सड़कें कांच की तरह चमकती हैं लेकिन दुर्घटनायें ज्यादा होती हैं।

एक माननीय सदस्य : गुजरात में सड़कें अच्छी बनी हुई हैं और बहुत चौड़ी भी हैं इसलिए वहां दुर्घटनायें कम होती हैं। राजस्थान में ऊबड़-खाबड़ सड़कें हैं, इसका क्या कारण है?

श्रीमती मदन कौर (पचपदरा) : क्या यह सही है कि राजस्थान के अन्य क्षेत्रों की सड़कों के मुकाबले जयपुर-दूदू सड़क पर ज्यादा दुर्घटनायें होती हैं? इसके कारण को मिटाने के लिये राज्य सरकार क्या कदम उठा रही है? इसी सड़क के लिए सवाल पूछा गया है?

श्री भंवरलाल ऐरन (नसीराबाद) : दूदू-किशनगढ़ के बीच स्थान-स्थान पर शराब व व्यभिचार के अड्डे बने हुए हैं, क्या सरकार इससे परिचित है? यदि हां, तो उनको हटाने के लिए क्या प्रयास किये जा रहे हैं?

श्री राम रघुनाथ (डेगाना) : अजमेर रोड में बहुत सी सड़कें मिलती हैं। जोधपुर व भीलवाड़ा से वाहन आते हैं वह सड़क जयपुर आकर बाइफर्केट होती है इसका मतलब

(श्री राम रघुनाथ)
जयपुर और अजमेर के बीच ज्यादा वाहन आते-जाते हैं। तो इनके आने-जाने के रास्ते अलग हों। अधिकतर ट्रैफिक अजमेर-जयपुर के बीच बहुत सी सड़कें मिलने से होता है।

मेजर श्री फतह सिंह : मोटर दुर्घटना में यदि ड्राइवर के हाथ से कोई व्यक्ति मर जाता है तो उस पर 304 ए का अपराध बनता है जो बेलेबल आफेंस है। क्या सरकार इस बात पर विचार कर इस तरह का अपराध, जिसमें किसी की मृत्यु हो जाए, को 304 ए के अपराध को नान बेलेबल बनाने के लिए कार्यवाही करेगी ? ड्राइवर के हाथ से किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसकी आसानी से जमानत हो जाती है इसलिए बहुत से ड्राइवर लापरवाही से चलाते हैं। वे जानते हैं कि हमारा क्या होगा ? आखिर जमानत तो हो जाएगी। यद्यपि यह केन्द्रीय सरकार से संबंधित बात है, संसद के अधिकार में यह बात आती है लेकिन क्या हमारी सरकार इस सम्बन्ध में कोई कदम उठाएगी ?

श्री बन्शीलाल सारस्वत (नागौर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि अजमेर से जयपुर के बीच में आये दिन एक्सीडेन्ट्स हो रहे हैं, इस एक्सीडेन्ट्स की समस्या को गम्भीर मानते हुए राज्य सरकार कोई विशेषज्ञों की कमेटी बनायेगी जो कि ऐसे सुझाव दे जिससे एक्सीडेन्ट्स नहीं हों ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें। कृपया शान्त रहें। अभी जो सरकार ने एक्सीडेन्ट्स के बारे में उत्तर दिया है उसके सम्बन्ध में, मैं भी राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित इस ओर करना चाहूंगा कि एक्सीडेन्ट्स में कमी हो, इसके लिये क्या राज्य सरकार कोई कार्यवाही करेगी ? सरकार के हाथ लम्बे हैं और वह चाहे तो ऐसी व्यवस्था कर सकती है जिससे कि एक्सीडेन्ट्स में न्यूनता आ सके, एक्सीडेन्ट्स की तादाद में कमी आये जिससे कि लोगों की जान-माल की रक्षा हो सके।

श्री सम्पत राम : अध्यक्ष महोदय, जहां तक सवाल एक्सीडेन्ट्स का है इनका होना मैं बहुत ही गम्भीर मानता हूं। मैं यह स्वीकार करता हूं कि कुछ न कुछ ऐसा समुचित व्यवस्थायें होनी चाहिये जिनसे कि दुर्घटनाओं में कमी आये। अभी यहां पर माननीय सदस्यों ने कई बातें एक्सीडेन्ट्स के बारे में कही। मैं समझता हूं, सदन के माननीय सदस्य यह जानते हैं कि एक्सीडेन्ट्स जो होते हैं वह एक ही कारण से नहीं होते हैं। कई कारण से एक्सीडेन्ट्स होते हैं। मोटर ड्राइवर की गलती से एक्सीडेन्ट्स हो सकते हैं, सड़क खराब होने की वजह से भी एक्सीडेन्ट्स हो सकते हैं। कई बार ड्राइवर के ट्रक या मोटर चलाना कम जानने से हो सकते हैं। ड्राइवर पीकर गाड़ी चलाते हैं उससे हो सकते हैं। कई बार मोटर गाड़ी की मशीन में खराबी होने से भी एक्सीडेन्ट्स हो सकते हैं। इसके तो, अध्यक्ष महोदय, विभिन्न पहलू हैं। इसके ऊपर कोई कमेटी बनाकर विचार हो और वह कमेटी कोई बहुत बड़ा मसला हल कर देगी, इससे तो मैं सहमत नहीं हूं। इतना जरूर है कि राज्य सरकार इसके लिये कुछ आवश्यक कदम जरूर उठायेगी, जैसे ड्राइवर्स को सही तौर पर जांच करके लाइसेन्स देना, उनका

(श्री सम्पत राम)

प्रोपर चैंकिंग करना। कुछ, इन्स्ट्रूमेन्ट्स भी ऐसे खरीदे जायेंगे जिनसे एक्सीडेन्ट्स कम हों। मजिस्ट्रेट की चैंकिंग पार्टी भी रखो जायेगी। वह पार्टी प्रोपर चैंकिंग करे, लाइट वगैरह को देखे और दूसरा चैंकिंग भी करे। इसके अलावा लाइसेन्स देते वक्त ड्राइवर्स की उम्र का भी ध्यान रखा जायेगा। इसके अलावा जो भी माननीय सदस्यों ने इस सदन में अपने सुझाव दिये हैं उन पर राज्य सरकार विचार करेगी। इसके साथ ही कुछ टैक्निकल एडवाइस भी ली जायेगी जिससे कि एक्सीडेन्ट्स कम हों। इसके साथ-साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि राज्य सरकार इसके लिए माननीय सदस्यों से भी सलाह करेगी जो कुछ भी इसमें सुधार किया जा सकता है वह सुधार एक्सीडेन्ट्स को कम करने के लिए करेगी।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

श्री गुल मोहम्मद : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया। यह एक्सीडेन्ट्स अधिकतर दिन में होते हैं या रात में ? यह पूछा था मैंने। मेरे प्रश्न का जवाब नहीं मिला।

श्री अध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण करें। प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट 4 देखें।

स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था।

स्थगन-प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :—

(1) सर्वश्री रघुनाथ विश्नोई व रतनाराम चौधरी, सदस्य विधान सभा की ओर से जिला जालोर में अत्यधिक वर्षा के कारण फसलें खराब हो जाने के बावजूद भी अकाल घोषित नहीं किये जाने के विषय में,

(2) सर्वश्री शंकरलाल, अब्दुल अजीज व सूरजपाल सिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से गत 28 फरवरी को मरु प्रदेश की मांग को लेकर जोधपुर बन्द का आह्वान मरु प्रदेश संघर्ष समिति द्वारा आयोजित किये जाने के विषय में,

(3) श्री खेतसिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से जोधपुर जिले में पीने के पानी की भयंकर कमी के विषय में,

इन स्थगन-प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जावेगा।

स्थगन-प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक स्थगन-प्रस्ताव जोधपुर में पीने के पानी की भयंकर समस्या के बारे में दिया है। यह समस्या दिनों-दिन बहुत ही भयंकर रूप धारण कर रही है। अगर इस बढ़ती हुई भयंकर समस्या को नहीं रोका गया तो हालात ऐसे हो जायेंगे...

श्री अध्यक्ष : कृपया संक्षेप में कहें। पांच मिनट में कहें।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, हालात ऐसे हो जायेंगे कि लोग बिना पानी के प्यासे मर जायेंगे। आज जोधपुर शहर में स्थिति यह है कि पीने के पानी का नल सुबह वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट द्वारा साढ़े छ: बजे से साढ़े सात बजे तक ही खुलता है। उसके बाद में पानी बिल्कुल ही नहीं आता है। इसका मुख्य कारण यह है कि आज जोधपुर को जो पानी मिलता है वह पानी जवाई बांध से मिलता है। जवाई बांध की नहर जो आती है उसको बीच-बीच में गांव वाले लोगों ने तोड़ कर छोटे-छोटे तालाब बना लिये हैं और उन तालाब के पानी को काम में लेते हैं। कई जगह पर नहर टूट भी गई है इस नहर को ठीक नहीं कराया गया और गलत तरीके से जो लोग पानी नहर से निकाल लेते हैं उसको बन्द नहीं किया गया, आपने पुलिस की गश्त नहीं लगाई तो मैं समझता हूं कि इसके बहुत ही भयंकर परिणाम होंगे। जवाई बांध की नहर को तुरन्त ठीक कराकर जोधपुर की पीने के पानी की समस्या को तुरन्त हल करने की आवश्यकता है। अध्यक्ष महोदय, आज जोधपुर में जो पीने का पानी रिजर्वायर में है वह सिर्फ 21 दिन का है। अगर इस तरफ ध्यान नहीं दिया गया तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से लोग मुहम्मद तुगलक के जमाने में दिल्ली छोड़ कर गये थे उसी तरह ठाकुर भैरोंसिंह के जमाने में जोधपुर शहर को लोग जोधपुर छोड़कर चले जायेंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस गम्भीर समस्या की ओर जल्दी से जल्दी ध्यान दिया जावे। मैं इसकी ओर बार-बार इसलिए ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आज जोधपुर में पीने के पानी की वजह से जनता परेशान है। इसके साथ-साथ यह भी है कि मुख्य मंत्रीजी ने अभी तक पश्चिमी राजस्थान और जोधपुर से किसी भी नुमाइन्दे को मन्त्रिमण्डल में नहीं लिया है। पश्चिमी राजस्थान की आज जो भयंकर समस्यायें हैं उनकी ओर राज्य सरकार बिल्कुल ही ध्यान नहीं दे रही है। आज पीने के पानी की गम्भीर समस्या है। इस समस्या को अगर राज्य सरकार ने सीरियसली नहीं लिया, पम्पिंग स्टेशन को ठीक नहीं कराया और जो नहर आती है उस पर गश्त नहीं लगाई तो आज पीने के पानी की समस्या गम्भीर हो रही है तो फिर गर्मी के दिनों में जोधपुर की जनता का क्या हाल होगा? आज जो मरु प्रदेश की आवाज जगह-जगह से जोधपुर में उठ रही है उसका कारण यह है कि राजस्थान बनने के बाद से ही जोधपुर को और उसके आस-पास के गांवों को बुरी तरह नेगलेक्ट किया गया है। यह स्थिति आज पिछले पचास वर्षों से चल रही है। इससे जोधपुर की जनता में भयंकर रूप से आक्रोश है। मुख्य मन्त्रीजी, आप पश्चिमी राजस्थान को रिप्रेजेन्टेशन देने की बात तो कर देते हैं पर उनको रिप्रेजेन्टेशन नहीं मिलता है। लोगों ने शेरवानियां बना लीं पर आपने कुछ नहीं किया। दूसरे जब हमारे जोधपुर से हाई कोर्ट की बेंच आप जयपुर में लाये तो उस वक्त यह कहा था कि हम जोधपुर में दो महकमें जयपुर से भेज देंगे और कुछ बड़ी-बड़ी इण्डस्ट्रीज भी हम जोधपुर में लगायेंगे पर अभी तक आपने वह भी नहीं किया है। आपने कैबिनेट मीटिंग

(श्री खेतसिंह राठौड़)

की लेकिन जो इस बारे में कहा था वह नहीं हुआ। आपकी दृष्टि तो सिर्फ जयपुर और कोटा की तरफ ही लगी हुई है। वहां की समस्याओं का ही आप ध्यान रखते हैं। जोधपुर की तरफ तो आपका ध्यान जाता है नहीं। चूंकि मैं आपका हितैषी हूं इसलिए बता रहा हूं कि जोधपुर की जनता में जो आज आक्रोश है उसको समाप्त करने के लिये आपको कुछ करना चाहिए जिससे कि वहां की जनता के पीने के पानी की समस्या का हल निकले। मैं तो आपको आगाह कर रहा हूं, आपका शुभचिन्तक हूं इसलिये कह रहा हूं कि महरबानी करके आप इस ओर तुरन्त ध्यान देकर इस समस्या का समाधान जल्दी से जल्दी करें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य से यह जानकारी करना चाहता हूं कि माननीय सदस्य क्या मरु प्रदेश की मांग के पक्ष में हैं या विरोध में ?

श्री रघुनाथ विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, सवाल मरु प्रदेश की मांग का नहीं, पहले तो जो समस्या पीने के पानी की है उसका समाधान करने का सवाल है। आज जो जवाई बांध से नहर आती है वह कई जगह पर टूट जाने से लोगों ने पानी नहर में से अपने काम में लेना शुरू कर दिया है। उस समस्या का समाधान करना आवश्यक है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : करूंगा।

श्री शंकरलाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक स्थगन-प्रस्ताव था, गत 28 फरवरी को मरु प्रदेश की मांग को लेकर जोधपुर बन्द का आह्वान मरु प्रदेश संघर्ष समिति द्वारा किया गया था, वह बन्द तो कल ही हो गया।

श्री अध्यक्ष : मैंने आपके स्थगन-प्रस्ताव को देखा पर वह समय के पश्चात् दिया गया है फिर भी मैंने जानकारी के लिये रखा है। समय के पश्चात् दिया तो भी मैंने ले लिया है।

श्री नूरा : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक स्थगन-प्रस्ताव इस आशय का दिया है कि अजमेर जिला में मसूदा व उसके आसपास के क्षेत्र में ओला और बरसात होने की वजह से वहां की फसल खराब हो गयी है।

श्री शंकरलाल : अध्यक्ष महोदय, कल ही यह प्रस्ताव दिया था और कल ही बन्द था। वह तो कल ही समाप्त हो गया।

श्री अध्यक्ष : आपने समय के पश्चात् दिया है। कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री मथुरा दास माथुर (डीडवाना) : अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य मंत्री महोदय का खास तौर से ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जो स्थगन-प्रस्ताव पेश हुआ है वह जोधपुर में पीने के पानी की समस्या के बारे में है। बाकी भैरोंसिंह जी, खेतसिंह जी, मोहम्मद तुगलक के समय के कौन ठाकुर हैं यह तो वह जानें। पानी की समस्या को लेकर मैं सरकार से पूछना चाहूंगा, आज भी आप...

श्री भैरवलाल कालाबादल (खानपुर) : अध्यक्ष महोदय, यह कालाबादल है...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय मथुरादास जी को बोलने दीजिये। इस बारे

(श्री अध्यक्ष) में एक ही व्यक्ति बोल सकते हैं। माननीय खेतसिंहजी ने बोल दिया है। माननीय मथुरा दासजी को कोई निवेदन नहीं करना चाहता, लेकिन एक के बाद एक बोलते रहे तो.....

श्री मथुरादास माथुर : मैं तो सरकार से उत्तर चाहता था।

श्री भैरवलाल कालाबादल : कालाबादल का यह प्रस्ताव है कि आप इनको जोधपुर ले जायें।

श्री मथुरादास माथुर : जोधपुर में यदि सबको ले जायें तो फिर भी हमको स्थगन प्रस्ताव लाने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी।

श्री नूरा : अध्यक्ष महोदय, मेरा अजमेर के सिलसिले में स्थगन-प्रस्ताव था।

श्री अध्यक्ष : आपका स्थगन-प्रस्ताव सरकार को जानकारी के लिये भेज दिया गया है। आपको कोई आपत्ति हो तो आप मुझ से कक्ष में मिल सकते हैं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : मेरा स्थगन-प्रस्ताव है, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : आपका ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है, उस पर तो आज चर्चा नहीं हो सकती। आपका स्थगन-प्रस्ताव है तो बोल सकते हैं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : स्थगन प्रस्ताव है, अध्यक्ष महोदय। माननीय मन्त्रीजी ने यह स्वीकार किया है कि बारिश के कारण श्रावणु फसल नष्ट हो गयी और रेवेन्यू अभियान के दौरान गिरदावरी गलत कर दी गयी। सदन में इस सम्बन्ध में माननीय मन्त्रीजी ने जवाब भी दिया था। इस बात का बड़ा दुःख है कि पूरे जालोर जिले के आस पास के गांवों को अकालग्रस्त घोषित किया जा रहा है लेकिन जालोर जिले में एक भी गांव को अकालग्रस्त घोषित नहीं किया है। अनाज महंगा है और मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही है इस कारण मजदूरी के लिये वे लोग गुजरात की तरफ चले जा रहे हैं। काफी चले गये हैं। खास तौर से आपकी मार्फत मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि इस बाबत यदि आपके पास जानकारी नहीं आयी है तो आप शीघ्र ही जानकारी मंगायें और फिर शीघ्र ही इस ओर कदम उठायें वरना बड़ी भारी समस्या वहां पर पैदा हो जावेगी।

श्री रतना राम (रानीवाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मैंने भी स्थगन-प्रस्ताव माननीय रघुनाथ जी के साथ रखा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जालोर जिले में अति-वृष्टि के कारण श्रावणु फसल बिलकुल नष्ट हो गयी थी परन्तु अब तक भी अकाल जालोर जिले के गांवों में घोषित नहीं किया है। सिरोही-बाड़मेर में अकाल घोषित कर दिया लेकिन जिला जालोर को छोड़ दिया है। किस कारण से और क्यों जिला जालोर को मंत्री महोदय ने अकालग्रस्त घोषित नहीं किया जब कि वहां पर फसल बिलकुल नहीं हुई है और अकाल है? अकालग्रस्त घोषित नहीं करने का कारण समझ में नहीं आया। दुबारा मंत्री महोदय इस स्थिति पर विचार करें और इस जिले को अकालग्रस्त घोषित करें। जालोर जिले से लोग गुजरात में मजदूरी करने के लिये चले गये हैं और पशु भी बाहर जा रहे हैं इसलिये खास तौर से निवेदन है कि जिला जालोर को अकाल-ग्रस्त घोषित किया जाय ताकि भुखमरी न

(ऋM)

(श्री रतना राम)
फैले और लोगों को मजदूरी मिल जाय। वहां राहत कार्य खोले जावें।

श्री टीकमचन्द कान्त : अध्यक्ष महोदय, मैं जालौर के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

घोषणा

समापति तालिका

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 9 (1) के अन्तर्गत निम्न-लिखित सदस्य समापति तालिका के लिये मनोनीत किये गये हैं :—

1. श्री रामनारायण चौधरी (141)

2. श्री ओंकारलाल चौहान

3. श्री रघुनाथ बिश्नोई

4. श्री मंजूर अली।

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र

सदन की मेज पर रखे गये पत्र

अनुमति प्राप्त विधेयक

सचिव (विधान सभा) : महोदय, मैं गत सत्र में पारित उन विधेयकों का विवरण सदन की मेज पर रखता हूं जिन पर राष्ट्रपति महोदय तथा राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है।

राष्ट्रपति महोदय द्वारा अनुमति प्राप्त विधेयक

प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1977

राज्यपाल महोदय द्वारा अनुमति प्राप्त विधेयक

1. राजस्थान वित्त (संख्या 2) विधेयक, 1977

2. राजस्थान विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 1977

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय।

श्री भंवरलाल शर्मा।

अध्यादेश

श्री भंवरलाल शर्मा (आवासन मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान आवासन बोर्ड (संशोधन) अध्यादेश, 1978 (अध्यादेश संख्या 2 सन् 1978) को सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री दिग्विजय सिंह।

श्री दिग्विजय सिंह (कृषि मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान कृषि उपज मण्डी (संशोधन) अध्यादेश, 1978 (अध्यादेश संख्या 1 सन् 1978) को सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री राजस्व मंत्री।

श्री पुरुषोत्तम मंत्री (राजस्व मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नांकित अध्यादेश सदन की मेज पर रखता हूं:—

(श्री पुरुषोत्तम मंत्री)

(क) राजस्थान वाणिज्यिक फसल उपकर (निरसन) अध्यादेश, 1978 (अध्यादेश संख्या 3 सन् 1978),

(ख) राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण (संशोधन) अध्यादेश, 1977 (अध्यादेश संख्या 4 सन् 1978)

अधिसूचना

श्री अध्यक्ष : अधिसूचना।

माननीय श्री केदारनाथ।

श्री केदारनाथ (उपनिवेशन मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्व (उपनिवेशन) विभाग की अधिसूचना संख्या एफ. 4 (4) रेव/कोल75 दिनांक 9 सितम्बर, 1977 को सदन की मेज पर रखता हूं।

अधिनियम का परिशोधित हिन्दी पाठ

श्री अध्यक्ष : अधिनियम का परिशोधित हिन्दी पाठ।

माननीय श्री सूर्यनारायण चौधरी।

श्री सूर्यनारायण चौधरी (विधि मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान राजभाषा (अनुपूरक उपबंध) अधिनियम, 1970 की धारा 3 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत निम्नांकित अधिनियमों के परिशोधित हिन्दी पाठ सदन की मेज पर रखता हूं :

(1) राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड अधिनियम, 1955, व

(2) राजस्थान बालक अधिनियम, 1970

इन अधिनियमों के परिशोधित हिन्दी पाठ गत सत्रों में सदन की मेज पर रखे गये थे, परन्तु राजस्थान राजभाषा (अनुपूरक उपबन्ध) अधिनियम, 1970 की धारा 3 (2) के अन्तर्गत अपेक्षित कालावधि पूर्ण न हो सकने के कारण इन्हें विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 169 (2) के अन्तर्गत पुनः सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय वित्त मंत्री।

प्रतिवेदन एवं लेखे

श्री आदित्येन्द्र (वित्त मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 1975-76 के लिये भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का अनुपूरक प्रतिवेदन (सिविल) सदन की मेज पर रखता हूं।

माननीय यातायात मंत्री

श्री केदारनाथ (यातायात मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं पथ परिवहन अधिनियम, 1950 की धारा 33 के अन्तर्गत राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के निम्नांकित वर्षों के लेखे एवं प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखता हूं :

(क) 31 मार्च, 1974 को समाप्त हुए वर्ष के लेखे एवं उन लेखों पर अंकेक्षण प्रतिवेदन,

(ख) 31 मार्च, 1975 को समाप्त हुए वर्ष के लेखे एवं उन लेखों पर अंकेक्षण प्रतिवेदन।

श्री अध्यक्ष : माननीय सिंचाई मंत्री।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी (सिंचाई मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं कम्पनीज अधिनियम, 1956 की धारा 619 (ए) की उप-धारा (3) के भाग (बी) के अन्तर्गत नेशनल प्रोजेक्ट कन्स्ट्रक्शन कार्पोरेशन लिमिटेड का 19 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1975–76 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय कृषि मंत्री।

श्री दिग्विजय सिंह (कृषि मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नांकित प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखता हूं :

(1) उदयपुर विश्वविद्यालय अधिनियम, 1962 की धारा 39 के अन्तर्गत उदयपुर विश्वविद्यालय, उदयपुर का वार्षिक प्रतिवेदन (जुलाई, 1974 से जून 1975 तक)

(2) कम्पनीज अधिनियम, 1956 की धारा 619 (ए) की उप-धारा (3) के भाग (बी) के अन्तर्गत राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम का आठवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1976–77।

विधायी कार्य : विधेयक का पुरःस्थापन

राजस्थान स्थानीय निधि संपरीक्षा (संशोधन) विधेयक, 1978

श्री अध्यक्ष : पुरःस्थापित किये जाने वाले विधेयक। माननीय वित्त मंत्री।

श्री आदित्येन्द्र (वित्त मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान स्थानीय निधि संपरीक्षा (संशोधन) विधेयक, 1978 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री आदित्येन्द्र : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान स्थानीय निधि संपरीक्षा (संशोधन) विधेयक, 1978 को पुरःस्थापित करता हूं।

राजस्थान बन्दी शनाख्त (संशोधन) विधेयक, 1978

श्री सम्पतराम (गृह मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान बन्दी शनाख्त (संशोधन) विधेयक, 1978 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री सम्पतराम : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान बन्दी शनाख्त (संशोधन) विधेयक, 1978 को पुरःस्थापित करता हूं।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद के लिए समय निर्धारण

श्री अध्यक्ष : राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद के लिए समय का बटवारा।

(श्री अध्यक्ष)

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस के लिए 4 दिन नियत किये गये हैं। इस प्रकार चर्चा के लिये लगभग 16.00 घंटे का समय उपलब्ध है। मैंने बहस की सुविधा की दृष्टि से पार्टी-वाइज समय का विभाजन इस प्रकार किया है:-

जनता पार्टी (इसमें मंत्रियों द्वारा उत्तर दिये जाने का समय भी शामिल है	11.30 घंटे
कांग्रेस	3.00
प्रगतिशील दल	0.30
सी.पी.आई.	0.15
सी.पी.एम.	0.15
निर्दलीय	0.30

शिवचरण सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो समय दिया गया है वह पर्याप्त नहीं है।

श्री अध्यक्ष : उक्त समय का आवंटन आज दिनांक 1 मार्च, 1978 से प्रभावशील होगा।

सूचना प्राप्ति प्रश्न

कांग्रेस (आई) : पृथक दल का गठन

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, हमने आपसे निवेदन किया था कि हमारा भारतीय कांग्रेस दल, जिसकी अध्यक्ष श्रीमती इन्दिरा गांधी है, अलग दल है तो आपने फर्माया था कि कल उसके मुताबिक व्यवस्था करेंगे, लेकिन आज जो समय के बंटवारे की व्यवस्था की गई है यह देखकर बड़ा दुःख हुआ। कल जो आपने आश्वासन दिया था उसका कहीं आपने जिक्र नहीं किया। हमारा अलग दल है और अखिल भारतीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है। लोक सभा में मान्यता प्राप्त है और विधान सभाओं में मान्यता प्राप्त है। कल आपसे हमने विधिपूर्वक निवेदन कर दिया था। समय के बंटवारे में हमारा समय अलग निर्धारित करना चाहिए था वह नहीं किया।

एक माननीय सदस्य : एक ही बात है।

श्री अध्यक्ष : मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आपके बैठने के लिए अलग व्यवस्था कर दी गई है। आपके दल के जो पदाधिकारी हैं उनकी सूची यदि मेरे पास होगी और इस सम्बन्ध में आप मेरे से चेम्बर में मिल लेंगे तो व्यवस्था की जायेगी।

श्री शिवचरणसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे दल को पूर्व में 45 मिनट का टाइम दिया गया था।

श्री रामनारायण चौधरी : हम हमारी बात कहेंगे और हमारी नीतियों की बात कहेंगे। समय नहीं दिया और अलग बैठने की व्यवस्था कर दी तो क्या मतलब है। बैठ तो हम कहीं भी जायेंगे।

श्री अध्यक्ष : टाइम जो कांग्रेस को दिया गया है।......

श्री रामनारायण चौधरी : हमारा उस कांग्रेस से कोई सम्बन्ध नहीं है जिसके रेड्डी अध्यक्ष हैं। जिसके नेता यहां परसरामजी मदेरणा हैं उससे हमारा कोई सम्बन्ध नहीं है। हमारे दल की अध्यक्षा श्रीमती इन्दिरा गांधी

Page No 28

28

(श्री रामनारायण चौधरी)
है उस दल के सदस्यों की सूची आपको भेज दी गई है। जब तक पदाधिकारियों की सूची नहीं आये तब तक भी हमारे लिए अलग स्थान और समय की व्यवस्था, माननीय अध्यक्ष, आपको करनी पड़ेगी और आपको करनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपकी भावना से मैं बिल्कुल सहमत हूं। तीन घंटे का समय, जो कांग्रेस को दिया गया है का बंटवारा आपके दल की संख्या के अनुपात से कर दूंगा।

श्री शिवचरण सिंह : हमारे दल को ज्यादा समय मिलना चाहिए।

श्री रामनारायण चौधरी : रेड्डी कांग्रेस का अब कोई एक्जिस्टेन्स नहीं है। कर्नाटक, आन्ध्र और महाराष्ट्र के चुनावों ने यह साबित कर दिया है कि उनके सामने कोई प्रोग्राम नहीं है। अब उनका दल कोई दल नहीं रह गया है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि कांग्रेस के साथ में हमारे नाम को जोड़ दें, कांग्रेस के सामने 'आई' जोड़ दें। यह मान्यता प्राप्त दल है। उनके साथ से हमारा नाम हटा दें और तीन घंटे का समय हमें दें।

श्री रतन लाल वर्मा : इमर्जेन्सी में परिवार नियोजन हुआ है और यहां कांग्रेस की बढ़ोतरी होती जा रही है।

श्री अध्यक्ष : आपके दल को अलग मान लिया है।

श्री रामनारायण चौधरी : कई माननीय सदस्य हमारे दल में हैं और यह बहुमत में है। इस बात को सोच कर आधा समय हमारे लिए निर्धारित कर दें और आधा...

श्री अध्यक्ष : आपके दल को अलग मान कर समय की व्यवस्था कर दी जायगी। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में इस बारे में चर्चा करनी है तो आप कर सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री अब्दुल अजीज (मकराना) : माननीय अध्यक्ष, कौन सदस्य किस पार्टी में है इस बारे में पार्टियों के नाम आ चुके हैं। अध्यक्ष महोदय, मैंने यह अर्ज किया है कि कौन सदस्य किस पार्टी में है क्या आपके पास में उस पार्टी के कर्ताधर्ता जो लोग हैं उनकी ओर से लिखा हुआ आया? जब तक कोई चिट्ठी नहीं आये तब तक किसी पार्टी का विभाजन का प्रश्न मान्य नहीं समझा जाय।

श्री नूरा : पार्टियों के झगड़े में हमारा टाइम नहीं बिगाड़ा जाय। हमारी पार्टी को 15 मिनट का समय दिया गया है उसको बढ़ाया जाय। चाहे हमारे दल का एक ही सदस्य हो 15 मिनट का समय हमारे दल के लिए बहुत कम है।

श्री जयकृष्ण शर्मा (रामगढ़) : अध्यक्ष महोदय, इसमें संख्या का सवाल नहीं है। जो भी पार्लियामेंट्री पार्टियां कहीं भी हैं वे अपनी नीति और रीति को विधान सभा और पार्लियामेंट में रखती है। हमारा ऐसा दल है जो हिन्दुस्तान भर में मान्यता प्राप्त दल है। हम उसके सदस्य हैं। हम अपनी नीति-रीति को राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव व बजट पर सामान्य वाद-

(श्री जयकृष्ण शर्मा)

विवाद के समय बताना चाहते हैं। इसलिए यह सवाल संख्या का नहीं है। कम्युनिस्ट पार्टी के एक या दो सदस्य हैं तो क्या उनके लिए समय का बंटवारा नहीं करेंगे ? तो संख्या का सवाल नहीं है। कम्युनिस्ट पार्टी की विचारधारा भी आनी चाहिए, दूसरी पार्टी की विचारधाराएं भी इस सदन के अन्दर आनी चाहिये जिससे सरकार को यह मालूम हो कि कौनसी पार्टी क्या करना चाहती है। हमारा दल भी हिन्दुस्तान का बहुत बड़ा दल है और हिन्दुस्तान के अन्दर विपक्ष का जो सबसे बड़ा रोल अदा कर रहा है, वह एकमात्र हमारा दल है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि समय का बंटबारा संख्या के आधार पर नहीं हो, और हमको ज्यादा से ज्यादा समय दिया जाय जिससे यह जनता पार्टी, जिसका कोई उद्देश्य नहीं है, जिसका कोई लक्ष्य नहीं है...

(व्यवधान)

श्री रतनलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, यह सब अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। इन्होंने 30 साल तक अन्याय किया है इसके बाद कहते हैं कि जनता पार्टी कुछ भी नहीं है। हम कहते हैं कि इन्दिरा कांग्रेस कुछ भी नहीं है, यह रेड्डी कांग्रेस कुछ भी नहीं है।

श्री मदनसिंह दांता : हर पार्टी को कहने का हक है। आपका उद्देश्य क्या है यह जानने का हमको हक है।

श्री जयकृष्ण शर्मा : बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में ले लें तो यह सब साफ हो जायगा।

श्री अध्यक्ष : जो व्यवस्था की है वह आप देख लें। इसके अतिरिक्त जो कुछ कहना था वह कह दिया। माननीय जयकृष्णजी ने जो कुछ कहा उनके साथ मेरी सहानुभूति है। मैं आपका अलग दल मानने से इन्कार नहीं करता हूं, उसका स्वागत करता हूं। परन्तु आप बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में आकर बात कर लें। माननीय सदस्य आपस में खींचतान यहां करें यह ठीक नहीं है।

श्री रामनारायण चौधरी : मैं आपसे मिलूंगा और आपसे मिला भी हूं, लेकिन जो घोषणा आपने की है उसमें हमारे साथ अन्याय किया गया है। हमारा दल देश में मान्यता प्राप्त दल है, वह भारत में एकमात्र मुख्य-विरोधी दल है, एक विपक्षी दल है, उसके लिये समय की घोषणा न करके आपने उसी पुरानी रेड्डी कांग्रेस के लिये समय की घोषणा की है।

श्री अध्यक्ष : आप तालिका दीजिये, घोषणा कर दूंगा।

(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : आपने जो व्यवस्था दी है, उसका विरोध करते हैं और हम वाक आउट करते हैं।

(बहिर्गमन)

श्री अध्यक्ष : राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव।

श्री शिवचरण सिंह : समय सम्बन्धी मेरा यही निवेदन है कि पहले बटवारे में...

श्री अध्यक्ष : जो व्यवस्था देनी थी, वह दे दी, आप असन्तुष्ट हैं तो आपकी इच्छा है।

श्री शिवचरण सिंह : हम तो सन्तुष्ट हैं।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष : राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव।

श्री माणकचंद सुराणा।

श्री माणकचंद सुराणा (लूणकरणसर) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं--

"इस सत्र में समवेत् विधान सभा के सदस्य, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के लिये, जो उन्होंने कृपापूर्वक सदन में दिया है, अत्यन्त कृतज्ञ हैं।"

अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूँ। राज्यपाल महोदय का अभिभाषण मूलतः सरकार की नीतियों का निदेश करता है और उसके द्वारा पिछले 7-8 महीने की अवधि में किये गये कार्य का भी सारे राजस्थान को दिग्दर्शन कराता है। अध्यक्ष महोदय, इस प्रस्ताव को पेश करने से पूर्व मैंने देखा कि हिन्दुस्तान में एक नये दल का जन्म हुआ है जिसको कांग्रेस (इन्दिरा) के नाम से जाना जाता है। मुझे खुशी है कि इस सदन में भी उस दल के कम से कम दो प्रतिनिधि तो हैं। बावजूद इसके कि उसके दो प्रतिनिधि हैं उनका यह कहना है कि कांग्रेस पार्टी को जो समय दिया है उसका आधा समय उनको दे दिया जाये। उनकी संख्या दो, रेड्डी कांग्रेस की संख्या 39, फिर भी इन्दिरा कांग्रेस की मांग यह है कि आधा समय उनको दे दिया जाये। किस तरह का लोकतन्त्र इन्दिरा कांग्रेस लाना चाहती हैं यह इस बात का प्रतीक है।

श्री अब्दुल अजीज : इस सदन का इतना समय धन्यवाद देने पर लग जायेगा।

(व्यवधान)

श्री माणकचन्द सुराणा : अब्दुल अजीज जी, शायद आपको मालूम नहीं, जितना सुनाना जरूरी है उतना सुनना भी जरूरी है, दोनों बातें जरूरी हैं। गत वर्ष पधारे हैं, थोड़ा सीखना पड़ेगा।

मैं निवेदन करना चाहूँगा कि 8 महीने में जनता सरकार, जो आठ साल रहने वाली है, की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण उपलब्धि यह है कि आज राजस्थान में जो कुछ हो रहा है उसका जिक्र सिर्फ राजस्थान के गांवों में ही नहीं, राजस्थान के शहरों में ही नहीं, बल्कि सारे हिन्दुस्तान की राजनीति में अन्त्योदय की और राजस्थान राजस्व अभियान की चर्चा है। इस अन्त्योदय योजना और राजस्व अभियान ने, अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के गरीबों में, राजस्थान के शोषित और राजस्थान के लोगों में एक नये प्राण फूंक दिये हैं। गांव में रहने वाले लोग हमेशा कहते थे कि पांच साल में चुनाव होते हैं, तब राजनीतिक पार्टियां चुनाव में वोट लेने के लिये गांव में आती हैं और चुनाव खतम होने के बाद देश के मालिकों को कोई पूछता तक नहीं। आज उनको यह अनुभव हो गया कि जनता पार्टी सिर्फ चुनाव के वोट लेने के

(श्री माणकचंद सुराणा)

लिये नहीं आई बल्कि वोट लेने के तत्काल बाद आज राजस्थान के गांव गांव में जनता सरकार गरीबों की सूचियां बना रही है, पद-दलितों को पूछ रही है और जो बेकार लोग हैं उनकी मदद लेकर देने के लिए नई नई योजनायें उनके सामने रख रही हैं। अध्यक्ष महोदय, थोड़ा बहुत इतिहास का मुझको ज्ञान है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं मैं जनता पार्टी का सदस्य हूं इसलिये नहीं कह रहा हूं, एक इतिहास के विद्यार्थी के नाते कह रहा हूं कि हम लोगों के अतिरिक्त हिन्दुस्तान में कई दलों की सरकारें आईं, मार्क्सवादी आये, कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार आई, द्रमुक पार्टी की सरकार आई, अन्नाद्रमुक की सरकार आई, एक उदाहरण कोई भी मुझे यह बता दे कि 9 लाख मुकदमों का फैसला दो महीनों के अन्दर गांवों की चौपाल के ऊपर जाकर किसी भी सरकार ने किया हो तो उस सरकार के सामने सिर झुकाने को तैयार हूं। कोई उदाहरण नहीं मिल सकता। अध्यक्ष महोदय, यह 9 लाख मुकदमे किसने इकट्ठे किये? तीस साल तक कांग्रेस की सरकार चलाने वालों ने 9 लाख मुकदमे इकट्ठे किये हैं। हमारी सरकार ने 1 लाख 32 हजार काश्तकारों को, जिनको कानूनन खातेदारी हकूक प्राप्त करने का अधिकार था, केवल डेढ़ महीने में खातेदारी के हकूक दे दिये। गांव-गांव में जाकर यह सब किया है। जयपुर, टोंक, अलवर, भरतपुर के हैड क्वार्टर्स पर नहीं किया, गांव-गांव की चौपाल पर 1 लाख 32 हजार काश्तकारों को खातेदारी हकूक दे दिये। अध्यक्ष महोदय, ...

श्री नूरा : इतने झगड़े रखे ही नहीं।

श्री माणकचन्द सुराणा : भाई नूरा जी, आपकी पार्टी के पांच स्टेटों में कितने प्रतिनिधि आये हैं, पहले उनका हिसाब लगायें।

श्री रामनारायण चौधरी : आप कोई अन्य बात बता दीजिए। अब उनको रिपीट करने के लिए ...

एक माननीय सदस्य : व्यवधान पैदा करने वालों को बैठा देना चाहिये।

श्री रामनारायण चौधरी : इसलिए कह रहा हूं कि रिपीटीशन हो रहा है। माननीय राज्यपाल महोदय ने कह दिया, उन्हीं आंकड़ों को दुहरा रहे हैं।

श्री माणकचन्द सुराणा : रामनारायण जी, अभी-अभी इन्दिरा कांग्रेस जोइन की है। नया मुल्ला ज्यादा अल्लाह अल्लाह पुकारता है।

मैं यह निवेदन करना चाहूंगा ...

श्री रामनारायण चौधरी : निवेदन वही करिये जो अभिभाषण में है।

श्री माणकचन्द सुराणा : निवेदन वही करूंगा जो अभिभाषण में है और जो इसमें नहीं है वह भी निवेदन करूंगा। आपकी डिक्टेटरशिप मुझ पर नहीं चलेगी।

श्री रामनारायण चौधरी : जो चीजें हमें अच्छी नहीं लगेगी वह नहीं सुनेंगे।

श्री मदनसिंह दांता : मैं श्री राम नारायण जी से कहूंगा कि आप नहीं सुनना चाहें तो नहीं सुनें लेकिन हम सुनना चाहेंगे।

श्री माणकचन्द सुराणा : यह निवेदन भी करना चाहूंगा कि 1 लाख 32

(श्री माणकचन्द सुराणा)

हजार काश्तकारों को जो खातेदारी दी गई है, इसके साथ ही जो दूसरा महत्वपूर्ण काम हुआ है वह काम, अध्यक्ष महोदय, यह है कि प्रत्येक गांव में पांच गरीब परिवारों को छांटा गया है। इस तरह से 1 लाख 65 हजार परिवारों को छांटा गया है। अध्यक्ष महोदय, 33 हजार गांवों में 1 लाख 65 हजार परिवारों को छांटा गया है तो मैं निवेदन करना चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, इन परिवारों को छांटने का काम केवल एक साल का नहीं है, जनता सरकार ने 1 लाख 65 हजार परिवारों को छांट कर इतिश्री नहीं कर दी है बल्कि अपने इस कार्यक्रम को जनता सरकार ने प्रत्येक वर्ष का आवश्यक पार्ट बनाया है जिसकी जानकारी भाई रामनारायण जी को नहीं हैं। हर साल गरीबों का चयन होगा जिनको जमीन और ऋण दिलाने तथा नये रोजगार में खपाने की योजना जनता सरकार की है। यह काम केवल पिछले वर्ष नहीं चला, इस वर्ष भी चल रहा है और अगले वर्ष भी चलेगा, यह काम बराबर चलता रहेगा।

श्री रामनारायण चौधरी : कुछ नहीं है केवल ढोंग है।

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी : बीच बीच में बोलना अच्छी परम्परा नहीं है।

श्री माणकचन्द सुराणा : अध्यक्ष महोदय, इनको जोश आना स्वाभाविक है। इनका जोश आना इसलिए जरूरी है कि इनके साथ 41 माननीय सदस्यों ने वाक आउट नहीं किया। अब यदि इनके साथ माननीय सदस्य वाक आउट नहीं करें तो यह दोष तो मेरा नहीं है····

(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : आप में तो अभी झिझक है····

(व्यवधान)

हम मना रहे हैं, लिंक कर रहे हैं। आपको क्या हुआ है···

श्री रतनलाल वर्मा : हम तो समझते थे··

(व्यवधान)

श्री राम कृष्णदास गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, यह हनीमून का वर्ड अन-पार्लियामेन्ट्री है, इसको कार्यवाही से एक्सपंज किया जावे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : यह अन-पार्लियामेन्ट्री तो तब होगा जब दूसरी पार्टी स्वीकार नहीं करेगी।

श्री रामनारायण चौधरी : दूसरी पार्टी को स्वीकार है या नहीं है, यह आप कैसे कहते हैं ?

श्री माणकचन्द सुराणा : अच्छा यह होगा, माननीय अध्यक्ष महोदय, इस गृह कलह से हमको मुक्त कर दें। इस गृह कलह से विधान सभा को बचायें। इन्दिरा कांग्रेस के दो माननीय सदस्य हैं मैंने तो उनको बधाई दी है।

एक माननीय सदस्य : दो तो हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : दो नहीं बहुत हैं।

श्री माणकचन्द सुराणा : मैं निवेदन यह कर रहा था, अध्यक्ष महोदय, यह जो क्रांति की बात की जाती है, अन्त्योदय योजना की बात की जाती है, इस अन्त्योदय योजना को समग्र क्रान्ति का एक हिस्सा मानकर चलना पड़ेगा। ऐसा न हो कि अन्त्योदय योजना में ही हम इतने उलझ जायं कि हमारी अन्य योजनाएं आंखों से ओझल हो जायं।

(व्यवधान)

अब मुझे कहने देंगे या नहीं।

श्री सूर्यनारायण चौधरी (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन किये देता हूं कि अगर आपका यही रवैया रहा तो निश्चित रूप से सदन की कार्यवाही नहीं चल पायेगी।

श्री रघुनाथ विश्नोई : राज्य के मंत्री इस तरह खड़े होकर कहें, यह तो ठीक नहीं लगता।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : आप थोड़ा बहुत भी काबू नहीं रख सकते हैं क्या ?

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : यह धमकी दे रहे हैं क्या हमको।

श्री रघुनाथ विश्नोई : आप मंत्री हैं।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : मंत्री हूं, इसीलिये कह रहा हूं।

श्री माणकचन्द सुराणा : अध्यक्ष महोदय, अन्त्योदय योजना को जनता सरकार ने समग्र क्रान्ति के रूप में ही स्वीकार किया है, उससे अलग या नये रूप में स्वीकार नहीं किया है। उसको एक समग्र क्रान्ति का अंग बनाया है। इस अन्त्योदय योजना में, अध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ी बात यह है कि 33 हजार हरिजनों को राजस्थान के विभिन्न हिस्सों में 71 हजार 777 एकड़ भूमि आवंटित की गई है। अध्यक्ष महोदय, 33 हजार 304 हरिजनों को भूमि आवंटित की गई है।

श्री मदनसिंह दांता : एक हरिजन को कितनी मिली ?

श्री माणकचन्द सुराणा : अध्यक्ष महोदय, मैंने ये आंकड़े इसी दृष्टि से दिये हैं ताकि मैं विश्लेषण कर सकूं। अध्यक्ष महोदय, औसतन एक हरिजन परिवार को इसके अनुसार 2।। एकड़ भूमि प्राप्त हुई है। हरिजनों के अलावा जो दूसरे आंकड़े हैं उसमें समाज के विभिन्न वर्गों के लोग हैं, पिछड़े वर्गों के लोग हैं...

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : यह जमीन बारानी दी है या नहरी दी है ?

श्री माणकचन्द सुराणा : इस तरह 60 हजार एकड़ भूमि आवंटित हुई है अध्यक्ष महोदय, 62 हजार लोगों को जो भूमि आवंटित हुई है वह 1 लाख 33 हजार हैक्टेयर भूमि है और औसतन ढाई एकड़ भूमि प्राप्त हुई है। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, ढाई एकड़ भूमि जो उनको आवंटित की गई है वह काफी कम है। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान में 71 प्रतिशत लोग खेती पर निर्भर हैं, खेती के प्रोफेशन में हैं, उनको हम किसान वर्ग कहते हैं। उनमें भूमि का समान वितरण नहीं है। अध्यक्ष महोदय, एक हैक्टेयर से कम वाले काश्तकार हिन्दुस्तान में 50 प्रतिशत से ज्यादा मौजूद हैं। एक

(श्री माणकचन्द सुराणा)

हैक्टयर भूमि वाले काश्तकार हिन्दुस्तान में 50 प्रतिशत हैं और ऐसे काश्तकार, जिनके पास 10 हैक्टेयर भूमि है, सारे हिन्दुस्तान में केवल चार प्रतिशत हैं। उन चार प्रतिशत काश्तकारों के पास हिन्दुस्तान की 31 प्रतिशत भूमि का केन्द्रीयकरण है। चार प्रतिशत काश्तकार के पास देश की 31 प्रतिशत भूमि है और 50 प्रतिशत काश्तकारों के पास देश की केवल 9 प्रतिशत भूमि है उसमें एक हैक्टेयर वाले लोग भी हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा ढाई एकड़ भूमि के आवंटन से 62 हजार काश्तकार तो उस श्रेणी में आ गये जिनके पास एक हैक्टेयर से अधिक भूमि थी। अध्यक्ष महोदय, यद्यपि वह पहले की स्थिति से बेहतर हो गये जब कि वे भूमिहीन थे और भूमिहीन की स्थिति से उठकर काश्तकार की निचली श्रेणी में या काश्तकारों में तो शामिल हो गये हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि हमको प्रत्येक साल 1 लाख 65 हजार परिवार छांटने हैं। मैं इस बात का हामी नहीं हूं कि प्रत्येक व्यक्ति को काश्तकारी के धन्धे में शामिल किया जाय और अनावश्यक जमीन पर भार रखा जाय। अध्यक्ष महोदय, हमको अन्त्योदय योजना में इस बात की ओर ध्यान देना होगा कि भूमि पर वजन कम पड़े और कृषि आधारित पापूलेशन से निकाल कर समाज के दूसरे लोगों के अनुसार हम अन्त्योदय योजना में चयनित परिवारों को अन्य विभिन्न काम धन्धों में लगा सकें ताकि हिन्दुस्तान के अन्दर हम कह सकें कि हिन्दुस्तान में चाहे 71 पर्सेंट पापूलेशन खेती पर निर्भर होगी लेकिन राजस्थान ऐसा प्रदेश है जहां की साठ प्रतिशत जनता खेती पर निर्भर करती है और चालीस प्रतिशत परिवार दूसरे धन्धों में, उद्योगों में और अकृषि कार्यों में लगे हुए हैं और अपना जीवनयापन ठीक ढंग से कर रहे हैं। सरकार को इस रूप में इस कार्यक्रम को दिशा देनी होगी, अन्त्योदय योजना के कार्यक्रम की दिशा और दृष्टिकोण को निश्चित रूप से बदलना होगा, इस योजना को बदलना होगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अब यह जनता सरकार आई है, कांग्रेस सरकार गई है और जनता सरकार आई है तो किसानों में जो चार प्रतिशत ऐसे लोग हैं जिन के पास देश की 31 प्रतिशत जमीन का केन्द्रीयकरण है उस केन्द्रीयकरण को चाहे आप कानून बना कर छेड़िये, चाहे आप अन्य वैधानिक उपायों से छेड़िये, किन्तु 31 पर्सेन्ट जमीन के केन्द्रीयकरण को निश्चित रूप से छेड़ना पड़ेगा और एक हैक्टेयर, ढाई एकड़ वालों के लिए कम से कम इस बात की कोशिश करनी पड़ेगी कि उनको वायबल बना सकें और उन्हें कम से कम पांच एकड़ जमीन प्राप्त हो सके। इसके लिए देश के कानून की दिशा निश्चित रूप से बदलनी पड़ेगी ताकि नए लोग जो अन्त्योदय योजना के जरिये कृषि के नीचे आ रहे हैं वे पावर्टी लाइन से ऊंचा उठ सकें। उनको पावर्टी लाइन से ऊंचा उठा सकें इसके लिए निश्चित रूप से दिशा बदलनी पड़ेगी।

श्री खेतसिंह राठौड़ : इसका मतलब क्या यह समझा जाय कि आप सीलिंग को और डाउन करेंगे? पांच एकड़ तक ढाई एकड़ वालों को लायेंगे?

श्री माणकचन्द सुराणा : ठाकुर खेतसिंह जी, जमीन के 31 पर्सेन्ट केन्द्रीयकरण को

(श्री माणकचन्द सुराणा)

तोड़ने के लिए निश्चित रूप से जनता सरकार को उस दिशा में काम करना पड़ेगा। हमारे माननीय चरणसिंहजी इस बात के साफ तौर पर हामी हैं कि 27 एकड़ से बड़ी होल्डिंग किसी के पास नहीं होनी चाहिए। हमारे माननीय चरणसिंह जी इस बात के पूरे हामी हैं···

श्री मदनसिंह दांता : इसके साथ फैमिली प्लानिंग पर भी ज्यादा जोर दो, नहीं तो और लड़के होंगे और फिर जमीन के टुकड़े हो जायेंगे।

(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : आप क्या कहते हो, यह बताओ।

श्री माणकचन्द सुराणा : सवालों का जवाब मंत्री महोदय देंगे, मुख्य मंत्री देंगे···

श्री रामनारायण चौधरी : आप बोल रहे हैं इसलिए आप बताओ।

श्री माणकचन्द सुराणा : मैं तो वास्तविकता का विवरण दे रहा हूं····

(व्यवधान)

श्री सूर्यनारायण चौधरी: रामनारायणजी चुप बैठ जाओ वरना बाद में बोल नहीं पाओगे।

श्री माणकचन्द सुराणा : मेरा काम सवाल-जवाब करना नहीं है। आपके सवालों का जवाब देने का काम सम्बन्धित मंत्री या मुख्य मंत्रीजी का है।

श्री रामनारायण चौधरी : आप जो बोल रहे हो उसको स्पष्ट तो करोगे।

श्री माणकचन्द सुराणा : मैं, अध्यक्ष महोदय, यह निवेदन करना चाहूंगा कि निश्चित रूप से मैं मेरी बात कहता हूं। जब मैंने जमीन के केन्द्रीयकरण को तोड़ने की बात कही तो ठाकुर खेतसिंहजी खड़े हो गये। मुझे ऐसा लगा, अध्यक्ष महोदय, मेरे यह कहने से उनको बहुत गहरी चोट लगी है; चार प्रतिशत लोगों के हाथों में जो 31 पर्सेन्ट भूमि का केन्द्रीयकरण हो रहा है उनमें वे भी जैसे एक हों। यदि···

श्री खेतसिंह राठौड़ : मैं तो आपसे क्लेरिफिकेशन चाहता था क्योंकि आपके मुख्य मंत्री ने कभी ऐसी बात नहीं कही कि सीलिंग की लिमिट को और डाउन करने जा रहे हैं। अब आपने यह विचारधारा रखी और आपने कहा कि सीलिंग की लिमिट गिराई जाय तो मुझे लगा कि अब सीलिंग की लिमिट और गिर सकती है। मुझे खुशी है और मैं आपसे कहता हूं कि आप निश्चित रूप से डाउन लाइये लेकिन तालियां बजाने से कुछ नहीं होगा। यहां पर विधेयक लाइये तब हम मानेंगे कि आप वास्तव में प्रगतिशील कदम उठाना चाहते हैं।

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा और विरोधी दल के माननीय नेता भी इस बात को स्वीकार करेंगे कि जिस प्रकार से बहस हो रही है यदि इसी प्रकार से क्वेश्चन-आंसर चलेंगे और इस तरह से सवाल आते रहेंगे तो इस बहस की गंभीरता को हम

Page No 36

(36)

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

कायम रख सकेंगे ? आप लोगों को बोलने का मौका मिलेगा । उस मौके पर आप जैसा चाहें प्रश्न उठा सकते हैं और सम्बन्धित मंत्री उनका उत्तर अपने जवाब में देंगे । लेकिन इस तरह से इस बहस को प्रश्नोत्तर काल न बनाया जाय, यह मेरा आपसे निवेदन है ।

श्री रघुनाथ विश्नोई : यह दोनों तरफ से ही होना चाहिए ।

श्री माणकचन्द सुराणा : इस तरफ से कोई सवाल नहीं आ रहे हैं । सीलिंग कम हो अधिक हो, यह सरकार के सोचने की बात है । मैंने तो सिर्फ जनता पार्टी की जो नीति है उसकी तरफ इशारा किया है, जनता पार्टी समानता लायेगी और जनता पार्टी समानता शहरों में ही नहीं लायेगी, समानता गांवों में ही नहीं लायेगी, समानता हर वर्ग में लाएगी । इस समानता को लाने के लिए, गरीबी के गड्ढे को भरने के लिए अगर अमीरी के पहाड़ को काटना पड़ा तो उस पहाड़ को भी काटेगी और गरीबी के गड्ढे को जरूर भरेगी ।

(व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रासिंह (झुन्झुनूं) : गरीबी के गड्ढे को क्या भरोगे जब कि पीने के पानी की असमानता दूर नहीं कर सके ।

श्री माणकचन्द सुराणा : गरीबी के गड्ढे को भरा जाएगा, उसमें पानी नहीं आने दिया जाएगा ।

श्री रामनारायण चौधरी : पानी तो रहा ही कहां, वह तो उतर गया ।

श्री माणकचन्द सुराणा : मैं इसके साथ ही, अध्यक्ष महोदय, यह और निवेदन करना चाहूंगा कि हमारी एक बहुत बड़ी उपलब्धि जो है वह वृद्धावस्था पेंशन की है । वृद्धावस्था पेंशन में बढ़ोतरी की गई है । इसको चालीस रुपये माहवार कर दिया गया है । आज वृद्धावस्था की पेंशन लेने वालों की संख्या बाईस हजार हो चुकी है । पिछले साल कांग्रेस सरकार के राज में वृद्धावस्था पेंशन के लिए जितना बजट था उससे एक करोड़ रुपये अधिक का बजट प्रावधान किया गया है । इस तरह से पेंशन में बढ़ोतरी कर दी गई है । यह पेंशन, अध्यक्ष महोदय, जो दे रहे हैं उसका ही महत्व नहीं है, महत्व इस बात का भी है कि उसकी प्रक्रिया में तब्दीली की गई है । जिन वृद्धों को पेंशन दी गई है उन्होंने अपने गांव में सिर्फ अंगूठा लगाया है या हस्ताक्षर करने पड़े हैं फार्म पर । उनको किसी तहसीलदार, नाजिम या एम. एल. ए. के दरवाजे खटखटाने नहीं पड़े हैं । राज्य सरकार के आदेश की अनुपालना में तहसीलदार और विधायक गांव में गए और गांव में जाकर उन लोगों को छांटा जिनके आगे पीछे कोई नहीं है । उनके फार्म भरवाए और उनके घर बैठे उनको पेंशन मंजूर की गई । जैसे घर बैठे गंगा आती है उसी के अनुरूप घर बैठे बुड्ढों को चालीस रुपये माहवार पेंशन दी गई । अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि बाईस हजार का आंकड़ा मेरे सामने आया है । मुख्य मंत्रीजी से मैं निवेदन करूंगा कि इन आंकड़ों को जरा चैक करने की आवश्यकता है । कहीं ऐसा न हो कि जो प्रशासनिक मशीनरी पिछली सरकार को गफलत में रखती रही वह हमको भी कहीं गफलत में न रखे

(श्री रामनारायण चौधरी)

और उसके कोई गलत नतीजे हमको नहीं भुगतने पड़ें। अध्यक्ष महोदय, मेरे पास एक आंकड़ा है, उस आंकड़े के अनुसार पिछले वर्ष जिनको पेंशन मिलती थी उनकी संख्या थी 19,800। यह संख्या 1976-77 की है और 77-78 की है 22,853। इसका मतलब है कि सिर्फ 3053 व्यक्तियों का फर्क आया है। लेकिन कुछ जगह यह कहा जा रहा है कि जिनको पेंशन दी गई है उनको अन्त्योदय योजना में अंगीकृत कर लिया गया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, ओल्ड एज पेंशन वालों को अन्त्योदय योजना में चयनित व्यक्तियों से बिल्कुल अलग रखें। ओल्ड एज पेंशन अलग चीज है...

श्री रामनारायण चौधरी : फिर आंकड़े कैसे बढ़ेंगे ?

श्री माणकचन्द सुराणा : आप सुनिए ! ओल्ड एज पेंशन में वे लोग हैं जो काम नहीं कर सकते, जो 65 साल से ऊपर के हो गए हैं, 65 साल क्रॉस कर गए हैं, कुछ काम करने की स्थिति में नहीं है, बेसहारा हैं, ऐसे लोगों के लिए ओल्ड एज पेंशन है। अन्त्योदय योजना में नए नए लोग आयेंगे, गरीब, नौजवान लोग आयेंगे जो कुछ काम कर सकते हैं। इसलिए मैं निवेदन करूंगा मुख्य मंत्रीजी को कि इन आंकड़ों को अन्त्योदय योजना से अलग रखें। हमको इस बात से ही संतोष हो जाएगा कि हमने पेंशन 3053 नये लोगों को दे दी और उन लोगों को घर बैठे जाकर दे दी। इसके फिगर्स और भी बढ़ सकते हैं। डेढ़ सौ विधायक जनता पार्टी के हैं और दूसरे हमारे माननीय सदस्य जो 49 हैं वे सब मिल कर अपने क्षेत्र में ऐसे वृद्धों को खोज सकते हैं। उन्हें और पेंशन विधिवत् मिल सकती है और वे दिला सकते हैं। इससे आंकड़े और बढ़ जायेंगे। ऐसा न हो कि प्रशासनिक मशीनरी हमारी आंखों में धूल झोंकती रहे और हमें गलतफहमी में रखती रहे। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमको केवल प्रशासनिक मशीनरी पर मुनहस्सिर नहीं रहना चाहिए। इस सम्बन्ध में बहुत सावधानी रखने की जरूरत निश्चित रूप से है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : हकीकत में धूल ही झोंकी गई है। अन्त्योदय योजना में जिन पांच परिवारों को लिया गया है उनमें से अधिकांश को यह पेंशन दे दी है।

श्री माणकचन्द सुराणा : आपको तो आंकड़े का हिसाब भी नहीं आता है।

(व्यवधान)

अन्त्योदय योजना में 1 लाख 65 हजार परिवार छांटे गए हैं और आप कह रहे हैं कि बाईस हजार को जो पेंशन दे दी है वह सब अन्त्योदय वालों को दे दी है। भाई 1 लाख 15 हजार अन्त्योदय में छांटे गये हैं उनको भूमि आवंटन भी की गई है। आप समझने की कोशिश कीजिए। यह अर्थशास्त्र है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : यह मैं समझता हूं।

श्री मानकचन्द सुराणा : आप मंत्री रहे हैं और गृहमंत्री रहे हैं। इन आंकड़ों में सावधान रहने की आवश्यकता है। अध्यक्ष महोदय, मूल फर्क अन्त्योदय योजना और राजस्व अभियान से यह हो गया है कि आज आम आदमी

(श्री माणकचन्द सुराणा)

समझता है कि सरकार उससे दूर नहीं है। आज वह समझता है कि सरकार और सरकार के कर्मचारी गांव में आकर उसकी खिदमत कर सकते हैं। अभी तक, अध्यक्ष महोदय, आम आदमी और सरकार के सम्बन्ध दूर के थे। आज वह दूरी समाप्त हो गई है। अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य मंत्री जी को बधाई दिये बिना नहीं रह सकता हूं, उनके मुख्य-मन्त्रित्व में आम आदमी और सरकार में दूरी समाप्त हो गई है। चाहे वह गृह मंत्री प्रो. केदार का कमरा हो, चाहे वह किसी मंत्री का कमरा हो उसमें कोई भी प्रवेश पा सकता है। मुख्य मंत्री से कोई भी आदमी मिलने की क्षमता रखता है। अध्यक्ष महोदय, नीतियों में अन्तर आया है। जिनकी छंटनी कर दी गई थी, जिनको नौकरी से निकाल दिया गया था सरकारी और व्यक्तिगत उद्योगों में, जनता सरकार ने उनमें से 80% लोगों को श्रम मंत्रालय से नौकरी दिलवाई है। मैं पूछता हूं, आपने 25–30 सालों में, सन् 1952 से 1977 तक कभी भी इतने रिट्रेंचमेन्ट किये गये लोगों को नौकरियों पर लिया है, उनको बहाल किया है चाहे टैक्सटाइल उद्योग हो, चाहे इन्जीनियरिंग उद्योग हो श्रम मन्त्रालय के इण्टरवेंशन से 10 से 35 रुपये तक बिना किसी वाद-विवाद के उनकी वेजेज में बढ़ोतरी कराई गई है। अध्यक्ष महोदय, शहरों के श्रमिक हैं जो बड़े उद्योगों में काम करने वाले हैं, वह यह समझते हैं कि जनता पार्टी की सरकार में काम कर रहे हैं। सरकार काम करने वालों की मांग पूरी कर रही है। जनता पार्टी की सरकार में श्रम नीति में मोड़ आया है।

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा 998 विवाद उठे हैं उन 998 विवाद में कर्मचारियों और विद्यार्थियों के विवाद हैं। विद्यार्थियों की कितनी ही हड़तालें हुई हैं लेकिन जनता पार्टी की सरकार में किसी विद्यार्थी विवाद में लाठी चार्ज हुआ? कोई गोली नहीं चली। किसी को हरेस करने की जरूरत नहीं आई। जब तक कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ी तब तक किसी को पकड़ा नहीं गया। अगर किसी को पकड़ा गया तो 24 घण्टे के भीतर उसको रिहा कर दिया गया। जनता सरकार में यह हुआ है।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक अन्य सवाल हैं, इमर्जेंसी में 1500 आदमियों को, फोर्थ क्लास चपरासियों को 75 रुपया दिया जाता था। जनता सरकार के आते ही तीन महीने के भीतर भीतर जैसा पहले शिक्षा मन्त्री श्री ललित जी ने कहा 1300 कार्मिकों को नियमानुसार 150 रुपये मिलने लगे। आज 3700 फोर्थ क्लास कर्मचारियों को नियमानुसार 150 रुपये दिलाये जा रहे हैं। इसी प्रकार जनता सरकार में गांवों के गरीबों का चयन किया जा रहा है। लोगों को स्थान देकर बसाया जा रहा है। नये श्रमिक जो शहरों में हैं, उनकी वास्तविक मांगों को लेकर जनता सरकार श्रमिक विवाद सुलझा रही है।

अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार से अनेक कामों का श्रीगणेश जनता सरकार में हुआ है। शहरों में से कच्ची बस्तियों के सवाल पर जनता सरकार नई नीति अख्तियार कर रही है। कच्ची बस्तियों की समस्या का हल कांग्रेस सरकार ने नहीं किया। कच्ची बस्तियों के लोगों को कोई जमीन का आवण्टन कर उनकी समस्या को हल नहीं किया है। जयपुर शहर में हजारों आदमी ऐसे हैं जिनको 125 और 150 गज के प्लाट चाहिए। आज वह

(श्री माणकचन्द सुराणा)

नाजायज कब्जा किये बैठे हैं। जनता सरकार ने इसके लिए कैबिनेट की एक सब-कमेटी बनाई है वह इस बारे में नीति निर्धारित करेगी, मैं समझता हूं कि जो कच्ची बस्तियों में वर्षों से बैठे हैं उनको समुचित ढंग से सरकार बसाने की कोशिश करेगी। जो कांग्रेस सरकार की तोड़-फोड़ की नीति थी वह जनता सरकार नहीं अपनायेगी। यह भी स्पष्ट कर दिया गया है, नये अतिक्रमणों को जनता सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। यह घोषणा स्वायत्त शासन मंत्री ने कर दी है, मुख्य मन्त्री ने भी कर दी है। शहरों में नये अतिक्रमणों का काम चालू है इसलिए ऐसी नीति बनाई जा रही है कि नये अतिक्रमण नहीं हों, अतिक्रमणों से शहर की बसावट में दिक्कत आती है। ऐसी नीति बनानी पड़ेगी कि शहरों और गांवों में अतिक्रमण नहीं हों। अतिक्रमण को रोकने में अभी कुछ ढील है उसको कसने की जरूरत है। जिस कृषि भूमि को निवास के लिए आवण्टन करने को ले लिया गया है, उसके बारे में कहा जाता है कि 30 रु. गज देना पड़ेगा, 50 रुपया गज देना पड़ेगा। यह कौन सी नीति है? मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इन सारे नियमों का सरलीकरण किया जाना बहुत आवश्यक है। शहर के लोगों के लिए भी डेढ़ सौ या दो सौ गज के टुकड़े जिस दिन दरख्वास्त दी जाय उसके बीस दिन के अन्दर निश्चित रूप से मिल जाने चाहिए। जो लोग यहां पर वर्षों से अपना धन्धा कर रहे हैं उनको अगर पट्टा नहीं दिया तो उनके पास क्या चारा है सिवाय इसके कि वह अनधिकृत रूप से कब्जा करें और अपना जीवनयापन करें। यह आवश्यक है कि उनके लिए एक व्यवस्थित कालोनी बनायी जानी चाहिए। इसलिए जब भी दरख्वास्त आवे तो उनको पट्टे दिये जाने चाहिए। शहरी आबादी को व्यवस्थित रूप से बसाना है जिससे कृषि के विकास में भी हमको सहायता मिले। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि केबिनेट सब-कमेटी को शीघ्र ही इस विषय में निर्णय लेना है और इसका हल ढूंढ कर समुचित समाधान करना है।

अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि विकास के काम में जिस तरह से कांग्रेस सरकार करोड़ों रुपया खर्च करती थी, उसी प्रकार आज भी बजट में करोड़ों रुपयों का प्रावधान है, रुपयों की कमी नहीं है। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में लिखा हुआ है कि 32 करोड़ का लोन बांटा गया, सहकारी वर्ष के अन्त तक 75 करोड़ का लोन बांटा जायगा। अध्यक्ष महोदय, ऋण की कमी नहीं है, पर प्रश्न यह है कि करोड़ों रुपया जो बांटा जा रहा है वह किसको बांटा जा रहा है? समाज के गरीब तबके को बांटा जा रहा है या सम्पन्न वर्ग को बांटा जा रहा है? यह सवाल है। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जनता सरकार के मन्त्रियों को अपने विभागों के द्वारा खर्च होने वाली राशि को उस वर्ग की तरफ मोड़ देना चाहिए जो पावर्टी लाइन के नीचे हैं। अगर सिंचाई में खर्च कर रहे हैं तो सिंचाई विभाग के मंत्री का यह फर्ज है कि वह यह देखें कि उससे किनको फायदा होगा। फायदा उनका होना चाहिए जो 10 हेक्टेयर से नीचे वाले हैं। सिंचाई की सुविधा वहां देनी चाहिये जहां पर लघु काश्तकार रहते हैं। सारा जोर छोटे काश्तकारों को सुविधा देने की तरफ देना चाहिए। यह दिशा सिर्फ पालिसी स्टेटमेन्ट देने से नहीं होगी, जनता

(श्री माणकचन्द सुराणा)

के मन्त्रियों को बहुत टेबल वर्क करना पड़ेगा और बहुत अधिक फील्ड में रहना पड़ेगा। सिंचाई की योजनाएं इन्जिनियरों से दफ्तर में नहीं बल्कि मौके पर जाकर जांच करके बनवानी पड़ेंगी। रेवेन्यू मिनिस्टर के साथ में और एग्रीकल्चर मिनिस्टर के साथ में विचार कर मौके पर ही फैसला किया जाना चाहिए कि किन-किन गांवों में सिंचाई की योजनाएं होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि जिनके पास 31 पर्सेन्ट भूमि है और जो बड़े काश्तकार हैं उनके लिए योजनाएं बनवाई जाय। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि सारी नीतियों को मोड़ देना आवश्यक है। यह मोड़ जनता सरकार को देना चाहिए और यह उसकी जिम्मेदारी है। कांग्रेस सरकार सारे हिन्दुस्तान से गलत नीतियों के कारण गई इसलिए हमको भी इस बात का ध्यान रखना है कि नीतियों को सही मोड़ देना आवश्यक है। जिस तरह से कांग्रेस गई तो इन्दिरा गांधी ने कांग्रेस को नया रूप दे दिया कांग्रेस (आई)। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि कांग्रेस के राज्य में भी करोड़ों रुपये का बजट प्रावधान था, रुपयों की कमी नहीं थी लेकिन गरीबों के हित की कोई नीति नहीं थी, नीतियों का अभाव था। राजस्थान में सबसे पहले अन्त्योदय योजना घोषित की गई है, जिसके द्वारा विकास के क्रम में जो आखिर में है उसको ऊपर उठाना है, पावर्टी लाइन के आखिर में है उसको उठाने का काम करना है। बजट के प्रत्येक प्रावधान को मोड़ देना जनता सरकार का फर्ज है। अभी पार्लियामेन्ट में मोहन धारिया ने कहा कि समाज के तीस पर्सेन्ट लोगों को 11 पर्सेन्ट का फायदा होता है। इसलिये यह दिशा समाज में कहीं बदले या न बदले लेकिन मैं मुख्य मन्त्रीजी से कहना चाहूंगा कि राजस्थान में इसको बदलिये। पूरा होम वर्क मन्त्रिमण्डल के सदस्यों को दीजिये, वे फील्ड वर्क करने के आदी हैं। अगर तीन महीने मोड़ दे दिया तो मैं यह कहना चाहूंगा कि निश्चित रूप से राजस्थान में समग्र क्रान्ति की शुरुआत कर देंगे। प्रत्येक मन्त्री के विभाग में आज भी करोड़ों रुपयों का काम बिना किसी प्रयत्न के किया जा सकता है। मैं सिर्फ उदाहरण के तौर पर कहना चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र में लिफ्ट कैनाल है। एक बार पहले भी इसका जिक्र आया था। 25 करोड़ की उसमें लागत लगी है और इस लिफ्ट कैनाल से आज की तारीख में साढ़े तीन हजार बीघा में सिर्फ सिंचाई होती है। एक लाख बीघा का टार्गेट है, एक लाख बीघा में इसका पानी जायगा लेकिन एक लाख बीघा की जगह सिर्फ साढ़े तीन हजार बीघा में पानी गया है। आप देखिये, किस बात में कमी है। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, राजस्थान नहर परियोजना मन्त्रीजी से कि चार दिन जयपुर से गायब हो जावें और लूणकरणसर में लगा दें तो जो पानी पैंतीस सौ बीघा में जाता है वह 35 हजार बीघा में जा सकता है।

श्री श्योपतसिंह मकासर : दस दिन लगा दें तो ?

श्री माणकचन्द सुराणा : कुछ इन्जिनियर्स जवाब देते हैं कि खालें टूटी-फूटी हैं और उनको ठीक करने का प्रावधान नहीं है।

श्री रामनारायण चौधरी : आप किस तरह से करेंगे ?

श्री माणकचन्द सुराणा : मुझे रामनारायण चौधरी की तरह तो नहीं करना है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो खर्चा हो चुका है, उसके अलावा बीस लाख रुपया और लगायें खालों को ठीक करने के लिये। तीन मील की खालों की लाइन है, इसके ठीक हो जाने से पांच सौ काश्तकारों को रिलीफ मिलेगा। पच्चीस करोड़ की पूंजी का समुचित उपयोग होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस की सरकार गई थी तो मैं यह कहना चाहूंगा कि सिर्फ पांच सौ बीघा में सिंचाई होती थी और अब लोगों ने आवाज उठाकर तीन हजार पांच सौ बीघा में साधन जुटाये हैं। यह पानी 35 हजार बीघा में जा सकता है। इसलिए इसका रिअसेसमैन्ट करना जरूरी है। इस प्रकार से रिअसेसमेन्ट करेंगे तो हम नये लक्ष्य प्राप्त कर सकेंगे, इसमें कोई शक नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, जो जलन है काम करने की, वो होनी चाहिए वह जनता सरकार के मन्त्रियों में है क्योंकि जनता सरकार के मन्त्री अधिकतर मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग से आये हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : जलन तो है,

श्री माणकचन्द सुराणा : अध्यक्ष महोदय, अगर संभव हो सके तो इनकी मेम्बरशिप कर्नाटक या आन्ध्रप्रदेश में ट्रान्सफर करवा दें। इनको काफी अनुभव है।

श्री रामनारायण चौधरी : हमारे प्रति यह धारणा गलत है।

श्री माणकचन्द सुराणा : ये मंत्री के नाते बहुत काबिल थे। इनको लोन पर वहां ले लें तो अच्छा होगा।

तो मैं निवेदन कर रहा था कि सारा रिअसेसमेंट और सर्वेक्षण होना जरूरी है। मैं मुख्य मंत्री से कहना चाहूंगा कि सारे सर्वेक्षण की शुरुआत प्रत्येक विभाग से करवा दें और मंत्रियों और विधायकों को एक बात से मुक्ति दिला दें, ट्रांसफर्स की भीड़ जो आकर उन पर पड़ती है उससे मुक्ति दिला दें··

श्री रघुनाथ विश्नोई : आप करिए।

श्री माणकचन्द सुराणा : श्री रघुनाथजी, आपका नीतियों से कभी काम पड़ा नहीं है। मैं मुख्य मंत्री से कहना चाहूंगा कि ट्रांसफर्स से मुक्ति पाने के लिए जिस तरह से सरकारी कर्मचारियों के लिए सर्विस ट्रिब्यूनल अपाइंट किया है उसी तरीके से ट्रांसफर ट्रिब्यूनल अपाइंट करें जिसमें नान-आफिशियल चैयरमेन रहें, यदि किसी कर्मचारी को दर्द हो तो वह अपना दर्द ट्रांसफर ट्रिब्यूनल को सुना दे और यदि वह उचित समझे तो सरकार को लिख दे।

श्री रामनारायण चौधरी : कमीशन बना दो।

श्री माणकचन्द सुराणा : रोजाना 10–20 आदमी प्रत्येक विधायक को ट्रांसफर के लिए घेरते हैं। हम उनसे साफ कहते हैं कि हम विधान सभा में आपके ट्रान्सफर के लिये वोट लेकर नहीं आए हैं। मैं उनसे हाथ जोड़ता हूं कि माफ करो। इसके लिए जनता सरकार नीति निर्धारित करे, हम

Page No 42

(५१)

(श्री माणकचन्द सुराणा)

सबको मुक्ति दिलाए और ट्रांसफर ट्रिब्यूनल का प्रत्येक जिले में गठन कर दें। मैं नहीं कहता कि सरकारी कर्मचारी को अपना दर्द कहने का अधिकार नहीं है। मैं इस बात का हामी हूं कि उसका दर्द निश्चित रूप से सुना जाना चाहिए और उसमें वास्तविकता हो तो उसका दर्द मिटाना चाहिए। जैसे सर्विस ट्रिब्यूनल नियमों में ढील देकर राहत दे सकता है उसी तरह से ट्रांसफर्स में कोई ऐसी बात हो तो उनको राहत दी जाए ताकि हम सब लोग नीति निर्माण के काम में लगें और जो शोषित वर्ग है, जो समाज का 56 प्रतिशत वर्ग पावर्टी लाइन के नीचे है उसके लिए सारी नीतियों को मोड़ दे सकें। ट्रांसफर्स का काम, महत्वपूर्ण है। इसलिए नीति निर्माण के महत्वपूर्ण काम में बिना देर किये जनता सरकार के प्रत्येक मंत्रालय को लगा देने की आवश्यकता है। ट्रांसफर ट्रिब्यूनल का गठन करके या और किसी प्रक्रिया से हमें इससे मुक्ति दिलायें।

इन सब बातों के कहने के बाद एक और बात की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। कांग्रेस के राज में 13 साल तक पंचायतों के चुनाव नहीं हुए। जनता सरकार के आते ही 8 महीने के भीतर-भीतर पंचायतों के चुनाव करा दिए। वह जो गांवों के अंदर लोकतंत्र की कड़ी है जो बेकार हो चुकी थी, सरकार ने वापस उसको प्राणवान बना दिया। इतना ही नहीं उसको राज का खंभा बना दिया। कांग्रेस शासन में प्रति व्यक्ति पंचायतों को एक चवन्नी मिलती थी, जो 53 लाख की मदद मिलती थी उस राशि को 10 गुना कर दिया, 5 करोड़ की राशि उनको देकर उनकी जो आर्थिक कमजोरी थी उसको दूर करने के लिए कदम उठाया। इस तरह पंचायतों को प्राणवान और संजीव बनाया। जनता सरकार नई नीतियां बनाकर उनसे बड़ा काम ले सकती है। अन्त्योदय योजना में पंचायतों का सहयोग यदि लिया जाएगा जैसा कि मुख्य मंत्री का स्वयं का अनुभव है, यदि प्रत्येक सरपंच और पंच को प्रेरित किया जाएगा तो चयनित परिवारों के लिए गांवों के लोग खुद मकान बनायेंगे, उनको ऋण देंगे और समाज में एब्सार्ब करेंगे। नए परिप्रेक्ष्य में पंचायती राज को और प्राणवान बनाने के लिए कानून के द्वारा ही जिम्मेदारी देना जरूरी नहीं है, हकीकत में उनमें ऐसे प्राण फूंकना जरूरी है जिससे वे उत्पादन बढ़ायें। ऐसा काम आज तक नहीं हुआ कि ग्राम पंचायत बैठकर इस बात को देखे कि पिछले साल गांव में उत्पादन कितना था और अगले साल जो प्लान बनायेंगे उसमें कितना होगा। जनता सरकार यदि समग्र क्रांति लाना चाहती है तो गांव के लेवल पर विलेज कमेटियों को, पंचायतों को अधिकार दिये जायं कि गांवों के लिए प्लानिंग करें और उत्पादन बढ़ाने का कार्यक्रम बनायें। राज्य सरकार कृषि विभाग, सिंचाई विभाग व बिजली विभाग तीनों विभागों के कार्यों को कोआर्डिनेट करे ताकि वे पंचायत के पीछे फौलादी दीवार की तरह खड़े हो जायं और उत्पादन बढ़ाने में अधिक से अधिक योगदान दें। नए परिप्रेक्ष्य में पंचायतों को ऊपर उठाना जरूरी है। मैं इस बात के लिए सरकार को बधाई देता हूं कि 4 आना प्रत्येक व्यक्ति बढ़ा कर ढाई रुपया प्रति व्यक्ति करके 53 लाख से 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। अगले साल का बजट ऐसा माना चाहिए जिसमें यह 5 करोड़

(श्री माणकचन्द सुराणा)

की राशि 10 करोड़ कर दी जाय और पंचायतों को अधिक से अधिक शक्तिशाली बनायें, राजस्थान के लोकतंत्र की जड़ों को अधिक से अधिक मजबूत करें, शोषित वर्ग की अधिक से अधिक सेवा करें। इन नीतियों का श्री गणेश राज्यपाल महोदय के इस अभिभाषण से हो रहा है इसलिए मैं उनको अभिभाषण के लिए धन्यवाद देता हूं।

श्री नवनीत पालीवाल (नाथद्वारा) : अध्यक्ष महोदय, श्रद्धेय महामहिम राज्यपाल महोदय ने कृपा करके जो अभिभाषण दिया श्री माणकचंद सुराणा ने उसके लिये जो धन्यवाद प्रस्ताव दिया है, मैं उसका समर्थन कर रहा हूं। पिछली विधान सभा और आज की विधान सभा के बीच में, राजस्थान में और सारे देश में कुछ नए परिवर्तन हुए हैं, विचार बदले हैं और मान्यतायें बदली हैं। इस सदन में मैं सबसे पहले स्वागत करना चाहूंगा राजस्थान के मुख्य मंत्री का जो छबड़ा से चुनाव जीतकर इस सदन के सदस्य बने हैं और श्री बाल कृष्ण थानवी का जो फलौदी से चुनाव जीतकर यहां सदस्य के रूप में आए हैं। यह एक सामान्य चुनाव नहीं था बल्कि इसमें भी एक नई चीज नजर आई थी। पिछली सरकारों का और पिछले दलों का जो दृष्टिकोण था, इस चुनाव ने उसको बदला है। पिछली जो पार्टी सत्ता में रही है चाहे छबड़ा का चुनाव हो, चाहे फलोदी का हो वहां भी उसका वही जातिवाद का दृष्टिकोण रहा है, सिद्धांत नहीं रहे, आदर्श नहीं रहे। छबड़ा में मीणा को खड़ा कर दिया और फलोदी में गोपाल सिंह को हटा कर बिश्नोई को खड़ा किया लेकिन मैं मतदाताओं को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने जातिवाद को नहीं माना।

अध्यक्ष महोदय, मैं इसके साथ साथ यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे देश में एक साल में दो चुनाव हुए लेकिन राजस्थान में जनता पार्टी की सरकार आने के बाद हमारे यहां पर चार चुनाव हो गये, लोक सभा के चुनाव हुए, विधान सभा के चुनाव हुए, विधान सभा के दो उप चुनाव हुए और इसके अलावा पंचायतों के चुनाव भी हुए। अध्यक्ष महोदय, पिछले 13 वर्षों तक कांग्रेस सरकार ने पंचायतों के चुनाव नहीं कराये। अध्यक्ष महोदय, पंचायतों के चुनाव होने से पंचायती राज को बल मिलेगा और सत्ता का विकेन्द्रीकरण होगा। सरपंच चुने गये हैं प्रधान चुने जायेंगे और इस प्रकार एक नयी दिशा जनता को मिलेगी। आज न केवल सरपंच ही बदले हैं बल्कि गांवों में परिवर्तन आया है। पिछली सरकार 25 पैसे प्रति व्यक्ति के हिसाब से देकर पंचायतों को जिन्दा रखती थी आज जनता सरकार ने पंचायतों की अनुदान की राशि दस गुनी अर्थात् 2.50 पैसे प्रति व्यक्ति बढ़ा दी है। जो लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की कड़ी है पंचायती राज उसको इस प्रकार जिन्दा किया। लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण करके एक नयी दिशा दी है। इससे, अध्यक्ष महोदय, बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। जो पंचायतें निष्क्रिय हो गई थीं उनमें जान आयी है। यह जनता पार्टी की ही देन है। पिछली सरकार, कांग्रेस सरकार की उदासीनता के कारण पंचायती राज संस्थायें केवल एक ढांचा मात्र बन कर रह गई थीं। जनता के मूलभूत अधिकारों का पिछली सरकार ने पंचायतों के चुनाव नहीं करा कर हनन किया था। कांग्रेस सरकार पिछले 13 सालो तक पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव विभिन्न

(श्री नवनीत पालीवाल)

बहाने बना कर टालती रही लेकिन जनता सरकार ने जैसा कि वायदा किया था पंचायत के चुनाव कराने का वह पूरा किया। इतना ही नहीं जैसा कि मैंने निवेदन किया, अध्यक्ष महोदय, जनता सरकार ने एक नया चिन्तन दिया है। पिछली सरकार अपने सम्बन्धित लोगों की ही तरफ देखती थी। गरीबों की तरफ ध्यान नहीं देती थी। सिर्फ गरीबी हटाओ का नारा ही देती थी और गरीबी हटाने के लिये कुछ भी नहीं करती थी। अपने ही लोगों की मदद करती थी इससे यह हुआ कि गरीब ज्यादा गरीब होता गया और अमीर ज्यादा अमीर। लेकिन जनता पार्टी की सरकार ने एक नयी दिशा दी। हमने शहरों से अमीरों से और बड़ी-बड़ी हवेलियों से संबंध स्थापित नहीं किया, हमने उन झोंपड़ियों से संबंध स्थापित किया जो कि गांवों में हैं। हमने अन्त्योदय योजना चालू करके गांव के उस अन्तिम आदमी को ऊपर उठाने की कोशिश की है जो कि सबसे गरीब है। हमने पिछली सरकारों की तरह उनको ऊपर उठाने के नारे नहीं दिये, पिछली कांग्रेस सरकार की तरह मन बहलाव की बातें नहीं कीं, हमने पिछली सरकार की तरह गरीब को बहुत छोटा नहीं माना, हमारी जनता पार्टी की सरकार ने गरीब व्यक्ति को कोई घिनोना नहीं माना, क्योंकि गरीबी जो है वह एक दो साल से हमारे देश में नहीं आई है बल्कि गरीबी तो पिछले सैंकड़ों सालों का अभिशाप है, सैंकड़ों सालों से जो गरीबी का अभिशाप विद्यमान है उसे हमें मिटाना है। हम आज किसी गरीब को, किसी अपाहिज को या किसी भिखारी को हीन दृष्टि से नहीं देखते हैं। हम तो यह मान कर चलते हैं कि हमारे देश की 80 प्रतिशत जनता ग्रामीण क्षेत्र में रहती है। गांवों में ज्यादातर लोग गरीब हैं जिनको हमें ऊपर उठाना है। हमें गांव के हर उस गरीब को, जो कि अन्तिम है, जो सबसे ज्यादा गरीब है, ऊपर उठाना है। हमारी सरकार ने पिछली कांग्रेस सरकार की तरह उन गरीब लोगों को पट्टे नहीं बांटे, जमीन के टुकड़े नहीं बांटे। बल्कि अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत लोगों को ऊपर उठाने की योजना बनायी है। अन्त्योदय की योजना यह समझ कर बनायी है कि जो गांव का अन्तिम आदमी है, जो कि गरीब है वह भी हिन्दुस्तान की सरकार का मालिक है। उसका भी हिन्दुस्तान की सरकार में हक है। वह भी हमारा साझीदार है हमने उसके लिये जो भी किया, उसको गरीब समझ कर उस पर अहसान नहीं किया। हमने हमारा कर्तव्य पूरा किया है। पिछली सरकारों की तरह शहर में कोई बड़ी-बड़ी सड़कें बनाने की बात ही नहीं की है, और गांवों के विकास का कार्यक्रम ही नहीं बनाया है बल्कि जो लाखों करोड़ों रुपये सिर्फ शहरों पर ही खर्च होते थे उस राशि को हमने गांवों के विकास के लिये मोड़ दिया है। हमने अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत बैंकों से ऋण दिलाया है वह लोगों को उनकी वास्तविक जरूरतों के लिये दिलाया है। जो गरीब हैं, अपाहिज हैं, जिनके पास साधन नहीं हैं अगर वह लोग खेती करना चाहते हैं तो हमने उन्हें जमीन दी है, उनके पास साधन नहीं हैं तो बैंकों से ऋण लेकर उन्हें साधन मुहैया कराये हैं। अगर कोई श्रम करना चाहता है तो उसके लिये उसे जो साधन चाहिये वह साधन मुहैया कराये हैं। हमने उन्हें सिर्फ जमीन के टुकड़े नहीं पकड़ाये,

(श्री नवनीत पालीवाल)

सिर्फ नारे नहीं दिये वास्तव में उन्हें साधन उपलब्ध कराये हैं ताकि वह अपनी आजीविका अर्जित कर सकें।

इसके साथ-साथ हमने यह भी ध्यान रखा कि जो 20 सूत्री कार्यक्रम पिछली सरकार के द्वारा चलाया गया था, जिसको लोगों ने गलत बताया उसकी तरह ही हमारी अन्त्योदय योजना को लोग गलत नहीं बतायें। 20 सूत्री कार्यक्रम की लोगों ने भर्त्सना इसलिये की थी क्योंकि वह व्यवहारिक नहीं था लेकिन हमने अन्त्योदय योजना को व्यवहारिक रूप दिया। इसके साथ-साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में कहा कि अन्त्योदय योजना में प्रशासन के कर्मचारियों और अधिकारियों ने निष्ठा व श्रम से कार्य किया वह अनुकरणीय है, इसके लिये वह बधायी के पात्र हैं। यह पहली बार है कि ऐसा राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में सरकारी अधिकारियों के लिये कहा गया। इसके अन्दर सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों और जन प्रतिनिधियों ने बहुत ही अच्छा कार्य किया। वैसे, अध्यक्ष महोदय, इन सभी का इनवाल्वमेन्ट अगर अच्छी तरह हो तो काफी अच्छा काम हो सकता है। अगर यह नहीं हो तो पिछली सरकार का 20 सूत्री कार्यक्रम जिस तरह बदनाम हुआ उसी तरह हमारा भी अन्त्योदय कार्यक्रम बदनाम होता। इसके अलावा एक बात और है, पुरानी सरकार का यह दृष्टिकोण था कि जो अच्छा काम किया वह तो हमने किया और आपातकाल में ज्यादतियां कीं वह हमने नहीं कीं बल्कि सरकारी अधिकारियों ने और सरकारी कर्मचारियों ने कीं। जनता पार्टी की सरकार का दृष्टिकोण यह है कि अगर आपने अच्छा काम किया है तो हम आपकी प्रशंसा भी करेंगे। जनता पार्टी की सरकार का काम आर्थिक जटिलता को समाप्त करने का है इसमें जिन-जिन लोगों ने भी प्रशंसनीय कार्य किया है उनकी प्रशंसा की गयी है। जैसा कि माणकचन्द जी सुराणा ने कहा हमारे भारत के प्रधान मन्त्री जी ने भी इस अन्त्योदय योजना की तारीफ की है। इतना ही नहीं जब हमारे भारत के महामहिम राष्ट्रपतिजी जोधपुर पधारे थे और उन्होंने अन्त्योदय योजना को अपनी आंखों से देखा तो उन्होंने इस कार्यक्रम को बहुत ही अच्छा बताया।

अध्यक्ष महोदय, अन्त्योदय योजना इस दृष्टिकोण से बनाई है कि हमारे हिन्दुस्तान के जो गरीब आदमी साधनहीन हैं, अपाहिज हैं, जो गरीब व्यक्ति सड़कों पर भीख मांगता है उसकी गरीबी को हमें मिटाना है। उसके लिये यह अन्त्योदय योजना बनाई गई है। आज विदेशों में इस प्रकार की भावना है कि हिन्दुस्तान गरीबों का देश है, भिखारियों का देश है जहां कि साधु सन्यासी लोग ही बसते हैं। जनता पार्टी की सरकार ने अन्त्योदय योजना द्वारा एक नयी दिशा दी है जिससे कि हमारे गरीब वर्ग के लोग स्वावलम्बी बनें, हिन्दुस्तान का गरीब गरीब नहीं रहे, गरीब को ऊपर उठने का मौका मिले और उसको भी आत्मस्वाभिमान से जीने का मौका मिले। हमने यह संकल्प किया कि हमें गरीबों को ऊपर उठाना है, जो गरीबों में भीख मांगने की प्रवृत्ति है उसे समाप्त करना है कानून बनाकर नहीं बल्कि उन्हें इस काबिल बना कर कि वह अपना गुजारा कर सकें। पहले की सरकारों ने,

(श्री नवनीत पालीवाल)

पहले के राजनिविज्ञों ने हिन्दुस्तान का बंटवारा यह कह कर कर दिया था कि तुम हरिजन हो, तुम अछूत हो, तुम गरीब हो, तुम हीन हो, पिछली सरकार उनको अपने नीचे रखती थी, उनका विकास नहीं होने देती थी, नारे लगाकर, उन्हें बहला कर, झूठे वायदे करके उनसे वोट लेकर खुद राज करती थी। लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अब जनता सरकार ने इसमें परिवर्तन लाने का संकल्प किया है। सिर्फ परिवर्तन ही नहीं बल्कि व्यवहारिकता भी लाई है जिससे कि हरिजन लोग, गरीब लोग ऊपर उठ सकें। आज जो कांग्रेस पार्टी के लोग यह बातें करते हैं कि जब से जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में आयी है तब से हरिजनों पर और गरीब वर्ग के लोगों पर अत्याचार हुआ है उन्हें नहीं मालूम है कि हरिजनों व गरीब लोगों के साथ किस प्रकार भयंकर अत्याचार कांग्रेस सरकार के राज्य में होता था।

माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में आंकड़े दिये गये हैं। अन्त्योदय योजना से ऐसे 50 प्रतिशत लोगों को फायदा मिला है जो गरीबी की रेखा से नीचे हैं। हरिजनों पर जुल्म और ज्यादती की बातें विरोधी पक्ष करता रहता है लेकिन उसको यह मालूम होना चाहिये कि हरिजनों का प्रतिनिधित्व जनता पार्टी के माननीय सदस्य भी करते हैं। हमारा यह पक्का विश्वास है, संकल्प है और सब ही दृष्टिकोण से यह मानकर चलते हैं कि हरिजनों और आदिवासियों को जितना लाभ मिलना चाहिये उतना उनको नहीं मिला है। अब यह लाभ उनको मिलना चाहिये, उनको यह लाभ दिया जाना चाहिये इसमें कोई शक नहीं है। राजस्थान की पिछली सरकारों ने और सामने बैठे हुए लोगों ने गरीबों के गीत तो बहुत गाये लेकिन उन्होंने गरीबों, दलितों और हरिजनों को और दलित बनाया। उसका ही परिणाम है कि आज उनकी यह स्थिति है। हमने तो हरिजन को गृह मंत्री तक बनाया है। इससे सही रूप में साबित हो जाता है कि हम हरिजनों और दलितों के हकों की रक्षा करने में कितने तत्पर हैं। उनकी सही मायने में रक्षा की जावेगी। हमने यह सिद्ध कर दिया है कि राजस्थान में किसी प्रकार से हरिजनों पर अत्याचार नहीं होने दिया जायगा और न ही किसी दलित को दलित रहने दिया जावेगा। हमने भिक्षा मांगने वालों के उत्थान का भी कार्यक्रम हाथ में लिया है और जैसा कि राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में उल्लेख किया है, किसी को भी भिक्षा नहीं मांगने दी जावेगी।

श्री शिवचरण सिंह : हरिजन को आपने गृह मंत्री बनाया, उसका किसने विरोध किया है? हम तो इसका स्वागत करते हैं। लेकिन सत्ता से कुछ तो नीचे उतरो।

श्री रघुनाथ विश्नोई : हरिजन मंत्री के नीचे ही यदि अत्याचार हुए तो कौन सुरक्षित रहेगा?

श्री नवनीत पालीवाल : माननीय महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि पिछली सरकारों के समय में जिस प्रकार से समाज का बंटवारा हुआ है उसी के कारण आज हरिजनों और गरीबों की यह स्थिति है। यह आपके बंटवारे और कामों का ही फल है। आपका आपस में जो झगड़ा है उससे तो ज्ञान प्राप्त करें। माननीय अध्यक्ष महो-

(श्री नवनीत पालीवाल)

दफ, एक बच्चे ने छिपकली देखी। उसने उसकी पूंछ काट डाली तो उसकी पूंछ अलग तड़फ रही थी और उसका धड़ अलग तड़फ रहा था। यही हालत आज विरोधी पक्ष की हो रही है। मैं दक्षिण के मतदाताओं को बधाई देना चाहता हूं पार्टी के एक साधारण सदस्य के नाते कि पिछली बार हुए लोकसभा के चुनावों के बाद हमारी पार्टी को उन्होंने अधिक समर्थन दिया। नीतियों और कार्यक्रम से स्थिति बदली जा सकती है केवल बातों और प्रचार से नहीं। जब स्थिति बदल जावेगी पूरी तरह से तो आपकी स्थिति और ही खराब होगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस देश की जो दशा है उसको बदलने के लिये जो कार्यक्रम और नीतियां रखी गयी हैं उनको यह सदन भूल नहीं सकता। आप कोशिश कीजियेगा लेकिन तीस वर्षों तक जो आपने गलतियां कीं उनका तो फल आपको भुगतना ही पड़ेगा। मैं यह कहता हूं कि जनता पार्टी ने उन गलतियों को नहीं दोहराने का संकल्प किया है। उसने अपनी नीतियों और कार्यक्रमों को गांवों के विकास की ओर मोड़ दिया है जिसको आप सोचिये और समझिये। इसमें कोई शक नहीं है कि इन योजनाओं और कार्यक्रमों से गांवों की दशा में बहुत सुधार होगा। हम देखते हैं कि आपने अपने शासन काल में कितने अपराध किये हैं लेकिन हम आपको यह विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हम जो नीतियां और कार्यक्रम चालू करेंगे उनको तत्काल लागू करेंगे। आप देख रहे हैं कि अन्त्योदय योजना से और राजस्व अभियान से उद्योगपतियों का भी दृष्टिकोण बदला है। इसकी व्यापक झलक आपको राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में दृष्टिगोचर होगी। चाहे उद्योग हो, चाहे कृषि, चाहे शिक्षा हो, चाहे चिकित्सा, सब मामलों में विकास करने और प्रशासन में भ्रष्टाचार कम करने की दृष्टि से एक व्यापक चित्र आपको अभिभाषण में मिलेगा। जनता पार्टी की नीतियां ग्रामोन्मुखी हो चुकी हैं; उनकी दिशा गांवों के विकास की ओर है। किसी मिल या कारखाने के जरिये से नहीं किन्तु अन्त्योदय के जरिये से उनका उत्थान किये जाने का कार्यक्रम है।

मैं इस अभिभाषण का पूरी तरह से समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि जो कुछ भी कार्यक्रम राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में घोषित किये हैं वे क्रियात्मक रूप से और व्यवहारिक दृष्टि से जनता सरकार को सही दिशा देंगे। अधिक समय न लेकर राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है उसका मैं समर्थन करता हूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय विरोधी दल के नेता।

श्री परसराम मदेरणा (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्षजी, राज्यपाल महोदय का इस सदन में यह दूसरा अभिभाषण हुआ है। राज्यपाल महोदय ने पहला अभिभाषण दिया था उस समय जनता सरकार को बने हुए एक महीने का समय हुआ था इसलिये उसकी उपलब्धियों का लेखा-जोखा उस समय नहीं किया जा सकता था। जनता सरकार ने अपनी नीतियों का कुछ संकेत राज्यपाल के अभिभाषण में दिया था। अब 8 महीने की अवधि के बाद राज्यपाल महोदय ने दूसरा अभिभाषण दिया है और

(श्री परसराम मदेरणा)

करीब दस ग्यारह महीने की अवधि केन्द्रीय सरकार को हो गयी है, इस अवधि में जनता सरकार की जो उपलब्धियां रही हैं वह निराशाजनक ही रही हैं। जब मैं निराशाजनक उपलब्धियों की बात करता हूं तो इसलिये नहीं कि विरोधी पक्ष हरएक अच्छे काम को एक प्रकार से नुक्ताचीनी या आक्षेप लगाने की दृष्टि से देखेगा। पूर्व में मेरे भाषण के वक्त भी मुख्य मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया था कि विरोधी पक्ष का सरकार के कार्यक्रम और नीतियों में, खास तौर से विकास के कार्मों में, जो हमारी नीतियों से मेल खाते हों, रचनात्मक सहयोग लेंगे। उसका उल्लेख भी उन्होंने राज्यपाल के अभिभाषण में किया था कि विरोधी पक्ष के साथ में हमारा यह भी प्रयास होगा कि शासक दल और विरोधी पक्ष में लगातार विचार विमर्श की एक नयी परम्परा स्थापित की जाय। लेकिन परम्परा स्थापित करना तो दूर रहा, आज जनता सरकार और विरोधी पक्ष एक दूसरे से इतना दूर हैं कि पांच महीने में मुख्य मंत्रीजी और मेरे बीच में या अन्य सदस्यों के बीच में कोई भी बात नहीं हुई है। मुख्य मंत्री जी का यह कसूर नहीं है क्योंकि जिस तरह से लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे, वे निराशा में या जल्दी में चल रहे हैं। जब मैं यह कहता हूं कि जनता सरकार जनता के क्रियाकलापों से कोसों दूर है तो कोई इसमें अतिशयोक्ति नहीं है। अभी दो-तीन दिन पहले ही जनता पार्टी के ही चन्द्रशेखर जी ने जनता पार्टी का आह्वान किया है कि आपकी जो नीतियां हैं उन्हें बदलें। उन्होंने आगाह किया है कि जनता में निराशा पैदा हो रही है और अगले छः महीनों में आमूलचूल परिवर्तन नहीं किया जाता है तो निश्चित रूप से यह जनता का विश्वास अर्जित नहीं कर सकेगी। इसमें आपका कसूर नहीं है। जनता पार्टी को यह स्वप्न में ही उम्मीद नहीं थी कि इतनी बड़ी संख्या में जीत कर आयेगी। न केन्द्र और न ही राज्य के नेताओं को यह विश्वास था। आपने जनता के सामने भरपूर वायदे किये थे। उन घोषणाओं और आकांक्षाओं के अनुरूप आपने कार्य नहीं किये, आप उनकी पूर्ति में विफल रहे इसीलिये जनता असंतोष जाहिर कर रही है। जनता के असंतोष को किसी न किसी योजना, अन्त्योदय और राजस्व अभियान के द्वारा समाप्त करने का प्रयत्न किया जा रहा है। लेकिन लोगों को अधिक दिन आप भुलावे में नहीं रख सकेंगे। मैं आपको पूर्व में भी यह बात कह चुका हूं, रेवेन्यू की डिमाण्ड के समय यह बात कही थी, 28 सितम्बर को शायद रेवेन्यू डिमाण्ड पास हुई थी और एप्रोप्रियेशन बिल के समय भी अन्त्योदय योजना के संबंध में मैंने मेरे दल के विचार रखे थे। नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य अन्त्योदय योजना के बारे में कह रहे थे कि गांवों की ओर योजना का मुख मोड़ दिया है। कौनसी नयी योजना लागू हुई है गांवों में, एक तो बता दीजिये? हमने मनी लैंडिग एक्ट बना कर गरीब लोगों को, लेबरर्स को अपने पैरों पर खड़े होने का मौका दिया था, गरीब लोगों के फायदे की वह मेन योजना थी।

आज रूरल डवलपमेंट का काम हाथ में लिया गया है, तो उस समय क्लस्टर ट्यूब वेल्स की योजना थी, उसका फायदा छोटे किसानों को हुआ था और उन्हें पानी उप-

(श्री परसराम मदेरणा)
लब्ध करवाया गया था। रूरल डवलपमेंट का जो प्लान था उसका मुख्य उद्देश्य यह था कि समाज के जिन गरीब लोगों के पास जमीन है, उन्हें कर्जा दिया जाये। बैंकों के नेशनेलाइजेशन के बाद रूरल बैंक्स का इसके लिये प्लानिंग किया गया था। इस तरह के जितने लोन्स लोगों को दिये गये, जितने लोगों को लोन मिले वह काफी थे। आज पांच छः हजार लोगों को ऋण दिया गया है, उससे कई गुना ज्यादा लोगों को ऋण दिया गया था। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि अन्त्योदय योजना के सम्बन्ध में जो नया विचार रखा गया, ...

श्री रामनारायण चौधरी : नाम तो नया है, विचार नहीं।

श्री परसराम मदेरणा : सुन लीजिये। विचार तो रखा।

एक माननीय सदस्य : आप से गाइड नहीं होना चाहते।

श्री रामनारायण चौधरी : आपसे गाइड होंगे।

श्री परसराम मदेरणा : मैं दोनों से गाइड हो भी सकता हूं और नहीं भी हो सकता। लाडपुरा से आने वाले माननीय सदस्य ने यहां पर इसके लिये मौलिक चिन्तन की बात की थी, जो कि आज राजस्व मंत्री हैं। मैं भी यह सोच रहा था कि शायद मुख्य मंत्री जी का भी यह मौलिक चिन्तन रहा होगा। मुख्य मन्त्रीजी राजनीति में परिपक्व व्यक्ति हैं। वह सामयिक कदम उठाने वाले हैं। किस वक्त क्या बोलना चाहिये, यह बात भी जानते हैं। यह भी जानते हैं कि जनता पार्टी के भारी बहुमत को उन्हें कहां भेजना है। आपका कितना इनवाल्वमेंट डवलपमेंट के कामों में हो उसमें भी माहिर हैं। आपको गांव में भेजने की योजना है लेकिन आप तबादलों की राजनीति में फंस गये हैं। आज हमारे देश की जनसंख्या 62 करोड़ है, और राजस्थान की जनसंख्या पौने तीन करोड़ है, उसमें आप आर्थिक समृद्धि की बात करने जा रहे हैं, और गांव के पांच आदमियों को कुछ मदद करके ऊंचा उठाने की बात करते हैं, तो एक तरफ तो मुख्य मंत्री जी कहना चाहते हैं कि भूखा और नंगा राजस्थान है और हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा गरीबी यहां पर है, सबसे ज्यादा पावर्टी लाइन के नीचे कहीं व्यक्ति हैं, तो राजस्थान में हैं। पावर्टी लाइन से नीचे 60 प्रतिशत हैं तो फिर पांच लाख रुपये खर्च करने की क्या आवश्यकता थी? ग्रामीण क्षेत्र में यदि 60 प्रतिशत लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं, तो फिर सलेक्शन क्या करना है? 60 प्रतिशत को ही शामिल कर लें। लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि गरीबी रेखा से तो सभी नीचे हैं। उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाना चाहते हैं और उनको आर्थिक रूप से स्वावलम्बी बनाना चाहते हैं। पूरे परिवारों का तो सलेक्शन उस वक्त जाकर करना चाहिये जब कि गर्मी का मौसम हो। उस वक्त वहां पर आदमियों में काफी गरीबी रहती है। इस समय तो 11 रुपये में मजदूर नहीं मिल रहे हैं, कोलायत और जैसलमेर के अन्दर। फिर गरीब कौन है? मैं कह रहा था कि जो समय आपने चूज किया है, वह बहुत गलत है। गर्मी का समय चूज करते तो मालूम हो जाता

(श्री परसराम मदेरणा)

कि किस के पास खाने को है, किसके पास जमीन है, किसको मजदूरी नहीं मिलती है। समय निकल जाने के बाद वहां पर गरीब कौन है, उसको आइडेंटीफाइ नहीं कर सकते।

अभी लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य ने ओल्ड एज पेंशनर्स के बारे में कहा। जैसी कि मेरी जानकारी है, 28 या 29 हजार आदमियों को पैसा मिल गया है और 22 हजार लोगों को और ऐड किया है। उन 22 हजार में, मैं यह मानकर चलता हूं, सभी जेनुइन नहीं हैं। इसकी जांच माननीय मुख्य मंत्री जी करवायें। ओल्ड एज पेंशन देकर आप पेंशनर्स बढ़ा रहे हैं ताकि अन्तिम आदमी का चुनाव हो जाये। लेकिन अन्तिम आदमी के तय होने में पेंशनर्स को लेकर बैठें, तो इससे तो यह अच्छा था कि जो बिलकुल लावारिस हैं, बिलकुल अपंग हैं, क्रिपल्ड हैं इनको पेंशन देते जैसे वेस्टर्न कन्ट्रीज में किया जा रहा है। कई मामलों के अन्दर आप कहते हैं कि हम पायोनियर हैं, हमारे मुख्य मंत्री जी को पायोनियर होने की कहीं बीमारी लग गई तो हमारी तरह को स्थिति होगी। इसी बीमारी से हम पहले ग्रसित थे। तो आप पायोनियर मत बनो। पायोनियर होने की बात आप उस समय कीजिये जब आप सफलता की चोटी पर पहुंच जायें। यह बीमारी राजस्थान के मुख्य मन्त्री को लग गई है कि इन्हें प्रशन्सा पत्र मिलें, और हर बात में प्रेस से पब्लिसिटी कराई जाये। आप कहते हैं कि अन्त्योदय योजना को प्रधान मन्त्री ने समझ लिया है, जब कि प्रधान मंत्री को मालूम ही नहीं है कि यह योजना क्या है। योजना तो वह थी जैसी कि पहले पांच करोड़ रुपये कि योजना बेकार, बेरोजगार और गरीब लोगों के लिये महाराष्ट्र सरकार ने बनाई थी। वह योजना आगे नहीं चली क्योंकि भारत सरकार ने मदद नहीं की। आप इस योजना से पांच छः आदमियों को रोजगार दिलायें हर गांव में उससे आप कहते हैं कि आर्थिक तौर से स्वावलम्बी होंगे, तो गांव से कोई स्वावलम्बी नहीं होता है। वहां भिन्न भिन्न परिस्थितियां हैं। आप अपनी पूरी योजना का ब्लूप्रिंट तैयार कर लें और ब्लूप्रिंट को माननीय सदस्यों के सामने रखें कि किस तरह का लोन दे रहे हैं, किस रेट पर दे रहे हैं, लोन की अदायगी कैसे होगी। आप बीस प्रतिशत की बात करते है। बात करते करते, थोड़े दिनों के बाद में यह योजना फेल हो जायेगी। इससे कोई आर्थिक उत्थान नहीं होगा राजस्थान की गरीब जनता का।

पेंशन वालों की मैं अभी बात कह रहा था। मुझे एक लिस्ट दी है माननीय श्री खेत सिहजी ने जो कि शेरगढ़ से आए हैं। यह लिस्ट उन लोगों की है जिनका कि सलेक्शन हुआ है, जिनके ऊपर माननीय मुख्य मंत्री ने कृपा की और उनको पेंशन दे दी। यह तो मैं केवल एक पंचायत समिति की बात करना चाहता हूं, बाकी कितनों को दी है या नहीं दी है वह आप जानें। मैं इसको या तो सदन की मेज पर रख दूं या माननीय मुख्य मंत्री जी के पास पहुंचा दूं ताकि वह वेरीफाई कर लें। कहीं ऐसा तो नहीं है कि माननीय मुख्य मंत्री को ब्यूरोक्रेसी डाउट में रख रही हो। यह ब्यूरोक्रेसी बड़ी होशियार है। कितने समय तक आप इसको अपने ऊपर बिठाये रखना चाहते हैं? यह अभी तक

(श्री परसराम मदेरणा)

आपकी पूरी पकड़ में नहीं आई है तो नये मंत्रियों की पकड़ में कैसे आयेगी ? नये मंत्रियों की पकड़ में नहीं आयेगी तो उनकी दुर्दशा भी होगी । ब्यूरोक्रेसी कब्जे में नहीं है तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अन्दर काम करने का तरीका है उसमें सरकारी अमला और प्रशासन के कारण आपके निर्णय ठीक तरह से नहीं होंगे । मैं यह निवेदन कर रहा था कि आपने 1 लाख 50-60 हजार एकड़ जमीन दे दी । जहां 13 लाख एकड़ जमीन राजस्थान केनाल में अलाट की है वहां आपका एक लाख एकड़ कमाण्ड एरिया है । प्रिसिडिंग दो सालों के अन्दर तत्कालीन सरकार ने दस लाख एकड़ जमीन आवंटित की उसमें डेढ़ पौने दो लाख एकड़ जिनको आवंटित की हैं वह हरिजन हैं । उनमें से 50 पर्सेंट के आस-पास शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग हैं । आपने कैसी जमीन उनको दी है । माननीय सदस्य, जो लूणकरणसर से आते हैं, दूर से देख लेते होंगे । एक गांव में पन्द्रह तरह की जमीन होती है । तो जो जमीन आपने दी है वह कैसी है, क्वालिटी क्या है ? कहने को तो आपने बहुत बातें कह दीं, बहुत उपलब्धियां कर लीं । भाग्यशाली आप इसलिए हैं कि एक के बाद एक आपको अच्छे वर्ष मिल रहे हैं और कृषि का उत्पादन ठीक हो रहा है । एक साल अकाल का पड़ गया तो आपके तमाम आंकड़े तितर बितर हो जायेंगे क्योंकि यह कृषि प्रधान देश है । राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में जिन योजनाओं का उल्लेख है चाहे वह एग्रीकल्चर एक्सटेन्शन की योजना हो, चाहे प्रोडक्शन की योजना हो, चाहे वह रिफाइनेंस कार्पोरेशन की मदद से माइनर इरिगेशन के कुए खोदने की योजना हो, चाहे डेयरी डवलपमेंट की योजना हो, चाहे कुछ डिस्ट्रिक्ट्स के अन्दर ड्राट प्रोन एरिया योजना हो । यह सब योजनायें पहले शुरू की जा चुकी हैं, आप उनका उल्लेख कर रहे हैं । एक अन्त्योदय की योजना जरूर नई है । राजस्व अभियान की बात करते हैं, तो राजस्व अभियान कई बार कराया जा चुका है । राजस्व अभियान एक दफा नहीं. . .

(2.04 म. प.)

(श्री रामचन्द्र, उपाध्यक्ष, पीठासीन)

1970 से लेकर 1978 तक बराबर राजस्व अभियान चला है । यह कहना गलत है कि राजस्व अभियान चला नहीं । खातेदारी की बात करते हैं तो खातेदारी के हुकूक पिछले दो सालों में 9 लाख आदमियों को मिले हैं । कुछ लोगों ने डिवीजन कर दिया होगा Mutation is a continuous process. कहीं भी लैण्ड रिकार्ड कम्पलीट नहीं होता । गांव के अन्दर बराबर यह डिवीजन होते रहेंगे । इसलिए जो कुछ किया गया है उसके अन्दर नीचे के स्तर पर कुछ घपला हुआ है । आप समझते हैं, अदालतें किस काम के लिये बनाई गई । सिर्फ लैण्ड रिकार्ड के लिये । लैण्ड के अलाटमेंट के लिये एक एडवाइजरी कमेटी है । उसमें भी अगर एस. डी. ओ. एग्री नहीं करता है तो फाइल कलेक्टर के पास जा सकती है । न पार्टी का हियरिंग हुआ है और न रेवेन्यू इश्यू डिसाइड हुआ है और एक को अलाटमेंट हो गया । ट्रेसपासर्स उस जमीन पर बैठे हुए थे । ट्रेसपासर्स के खिलाफ कार्यवाही होती है, दफा 91 की कार्यवाही, इसका छपा छपाया उनके पास जजमेंट है । वह

(श्री परसराम मदेरणा)
जजमेंट पार्टी को सुने बगैर कर देते हैं। वही अदालतें आज हैं। इस तरह की योजनायें बनाकर गांवों की तरफ मुड़ गये। इस तरह समाज की नीचे से रचना की जा रही है। मैं समझता हूं आप भूल भुलैया में फंसे हैं। समग्र क्रांति की बात के सम्बन्ध में राजस्थान की धरती पर माननीय सदस्य ने जो अभी चेतावनी दी, 6 महीने की चेतावनी दी चन्द्रर शेखर जी ने। जयप्रकाश जी ने क्या कहा है समग्रक्रांति के बारे में? वे पूरे देश की बात कहते हैं। अभी 8 फरवरी को पटना के अन्दर युवजन का सम्मेलन हुआ, उसमें वे नहीं जा सके। जे.पी. ने जो संदेश भेजा है, उस संदेश में कहा है—

"जनता पार्टी हमारे आन्दोलन के गर्भ से पैदा हुई है इसलिये उसकी सफलता और विफलता के लिये हम सारे लोग जिम्मेदार हैं, विशेषकर वे युवक और छात्र जिम्मेदार हैं जिन्होंने आन्दोलन में, जनता पार्टी के निर्माण में तथा उसको विजयी बनाने के अभियान में हिस्सा लिया है। जनता पार्टी जिस ढंग से और जिस रूप से बनी है वह बहुत हद तक अपनी वर्तमान गतिविधि के लिये उत्तरदायी है। कारण चाहे जो हो, जनता पार्टी से जो बड़ी बड़ी अभिलाषायें जनता की थीं वे अभी तक पूरी नहीं हुई हैं। सत्ता आज भी थोड़े से हाथों में केन्द्रित है। जब तक सत्ता का यह केन्द्रीकरण रहेगा तब तक तानाशाही का खतरा बना रहेगा। इसलिये सत्ता का विकेन्द्रीकरण जरूरी है। इस दिशा में कदम बढ़ाने का बचन जनता पार्टी ने तो दिया है लेकिन वह अभी तक कुछ कर नहीं पाई है। इसके अलावा आर्थिक, सामाजिक समस्याओं के हल की दिशा में कदम बढाने का वचन जनता पार्टी ने तो दिया है लेकिन यह अभी तक कुछ कर नहीं पाई है। इसके अलावा आर्थिक-सामाजिक समस्याओं के हल की दिशा में भी वह विशेष कुछ कर नहीं पायी है और इस कारण जनता में असंतोष फैल रहा है। ऐसी परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिये। युवा जनता को तथा अन्य आन्दोलनकारी युवा संगठनों को क्या करना चाहिये, यह एक विचारणीय प्रश्न है।"

लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य अर्थशास्त्री हैं, उनके सामने भी यह सवाल है। अर्थ के संबंध में वे अच्छे ज्ञाता भी हैं; यह मैं कोई वैसे ही नहीं कह रहा हूँ। मुझे इस बात की व्यक्तिशः जानकारी है कि उनका इस सम्बन्ध में बहुत योगदान है। लेकिन समग्र क्रांति के लिये आप एक तरफ सभी लोगों को तैयार कीजिये, दूसरी तरफ मैं कह रहा हूं, आर्थिक विकास का मामला जुड़ा हुआ है। समाज कल्याण का मतलब यह है, परिवार कल्याण मीन्स फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग के बारे में राष्ट्रपतिजी ने भी चेतावनी दी है। फैमिली प्लानिंग के आप ज्यों ज्यों नजदीक होंगे त्यों त्यों समस्या आपके सामने आयेगी, आप यह भी समझ जायेंगे कि कैसे सब वायदे पूरे कर दिये जायेंगे। तब आपको मालूम होगा कि समस्या बड़ी गम्भीर है और सरकार के पास साधन बहुत कम हैं। परिवार नियोजन का प्रोग्राम कांग्रेस ने रखा था। लोगों की जबरदस्ती नसबन्दी कर दी गई। उन गलतियों का मतलब यह नहीं है कि इसे छोड़ दें। इससे करोड़ों आदमियों की हालत सुधर सकती है अब आपको इसका रियलाइजेशन हो रहा है लेकिन रियलाइजेशन के पहले आपने राजनैतिक फायदा उठाया है। आप सत्ता में तो आ गये लेकिन सत्ता में आकर आम जनता का विकास कर सकेंगे या नहीं क्योंकि करोड़ों दावेदार पैदा होते

(श्री परसराम मदेरणा)

हैं। उनकी ग्रावश्यकताग्रों की पूर्ति के लिये यह ग्रन्त्योदय योजना किस तरह कारगर होगी ? इसलिये मैं निवेदन कर रहा था कि ग्रापकी सफलता काफी ग्रच्छी रही है। 2-4 बातें ग्रवश्य ग्रापने की हैं–पंचायत चुनाव ग्रापने करवाये हैं, बहुत ग्रच्छा किया ग्रापने। पंचायत चुनाव हम नहीं करवा सके। हमारे सामने बहुत सारे कारण थे, हमारे सामने परिस्थितियां भी भिन्न भिन्न थीं। कभी भयंकर अकाल की वजह से टल गया तो कभी ग्रौर कोई स्थितियां सामने ग्रा गई। ग्रभी हमारी जैसी परिस्थितियां ग्रापके सामने ग्राई नहीं हैं···

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : ग्राप तो बददुग्रा मत दो।

श्री परसराम मदेरणा : ठीक है ग्रापने चुनाव करवा दिये लेकिन मैं इसलिये निवेदन कर रहा हूं कि छबड़ा से जीतने के बाद जब पहली मीटिंग की जयपुर में या सांगानेर में, मुझे ठीक से याद नहीं है, उसके बाद ग्राप इतने उभार में ग्रा गए कि यह कह दिया कि मुझे टेलीग्राम दिया है लेकिन मैं बख्शने वाला नहीं हूं। मुझे मालूम नहीं किसने टेलीग्राम दिया था। ग्रगर शिष्टाचार के नाते दिया है तो उससे कोई राजनैतिक द्वेषता नहीं होती है ग्रौर कहीं सामाजिक रिश्ते समाप्त नहीं होते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : किसने टेलीग्राम दिया ?

श्री परसराम मदेरणा : मुझे मालूम नहीं लेकिन ग्रापने ग्रपने भाषण में कहा है। मेरे पास पेपर की कटिंग है, मैं कल बता दूंगा।

एक माननीय सदस्य : ग्रापका भी टेलीग्राम था क्या उसमें ?

श्री परसराम मदेरणा : कोई भी व्यक्ति टेलीग्राम दे सकता है लेकिन मुख्य मंत्री उसका पब्लिक मीटिंग में उल्लेख करें तो निश्चित रूप से उनके बड़प्पन में ही कमी ग्रायगी। ग्रगला ग्रादमी तो सोचेगा कि ग्रगली बार दिया जाय या नहीं दिया जाय। जय प्रकाश जी ने जो सत्ता में केन्द्रित होने की बात कही है, वह राजस्थान में बिल्कुल शत प्रतिशत लागू होती है। कोई डिफिकल्टी है, कोई परेशानी है तो उसके लिये प्रकोष्ठ बना दिया है। कोई इम्पलीमेन्टेशन में गड़बड़ी है तो मुख्य मंत्री जी ने हाई-पावर कमेटी बना दी चीफ सेक्रेटरी के तत्वावधान में ग्रौर कई ग्रायोग का गठन कर दिया है। एक ग्रायोग तो जस्टिस कानसिंह का बना दिया है, फिर उसके बाद जैसा पिछले ग्रभीभाषण में कहा, जमीन की गड़बड़ियों के लिये एक ग्रायोग बना दिया। उसके बाद जनता की समस्याग्रों की बात ग्राती है तो उसके लिये एक आयोग बना देंगे। पिछले दिनों चौपड़ पर बात कही थी कि भ्रष्टाचार का उन्मूलन कर दूंगा ग्रौर पेयजल की समस्या खतम कर दूंगा। पेयजल की समस्या के लिये वर्ल्ड बैंक से बात कर रहे हैं। पेयजल के लिये निगम बना रहे हैं। फिर यह भी कहा कि हर नागरिक को चिकित्सा की सुविधा प्रदान कर दूंगा। इसके लिये ग्राप, मुख्य मंत्री, चिकित्सा सहायता प्रकोष्ठ बना रहे है। एक बाढ़ सहायता का प्रकोष्ठ है। इस तरह 2–3 प्रकोष्ठ मुख्य मंत्री जी ने बना दिये हैं। थोड़ी बहुत सहायता करना चाह रहे हैं, ठीक है लेकिन ग्राप सोच रहे हैं उद्यमियों की खोज की

(श्री परसराम मदेरणा)

जाय। आप जानते हैं गांवों में छोटे उद्योग लगाने हैं तो जो खोज में एन्टरप्रिन्योर होगा वह आयेगा। लेकिन उसकी खोज की जाय, यह मैं नहीं समझता। फिर जो आयोग बिठाये हैं, उनसे कैसे खोज की जायगी। एक कमेटी बैठाने वाली बात है उसमें, मुझे आज भी हैरानी है कि इतने सीनियर जज कानसिंह जैसे जज कैसे उसमें चले गये। आपने दो आदमियों का कमीशन बिठा दिया, उसमें आप सुनवाई कर रहे हैं। ज्यादा सुनवाई मत कीजिये। ज्यादा सुनवाई शाह कमीशन कर रहा है, उसका कोई असर दक्षिण भारत में नहीं पड़ा। दो-तीन महीने पहले सुनवाई का काम आपने भी किया है। एक कमीशन बिठाया गया है बेरी कमीशन, बेरी कमीशन की जो टर्म्स आफ रेफरेन्स है, उस टर्म्स आफ रेफरेन्स में जो बात कही है मैं ऐसा महसूस करता हूं, मुख्य मंत्री जी और माननीय उपाध्यक्ष जी, आपका ध्यान भी आकर्षित करना चाहूंगा कि सीलिंग लॉ के प्रोविजन को डिफीट करने के लिये जो बेचान की है, उसको भी टर्म्स आफ रेफरेन्स में इन्क्लयूड कर रहे हैं।

दूसरे जो खुद काश्त लैण्ड का अलाटमेंट हुआ है इसके सम्बन्ध में मैंने भी पत्रावलियों में लिखा है। मैंने खुद काश्त रूल की स्टडी करके लिखा है, 10–15 मामलों में बहुत बड़े घपले हुये है। जो खुद काश्त जमीन के एन्टाइटिल नहीं हैं उन्होंने जमीन हथिया ली है। एक्स जागीरदार बन कर जमीनों को हथिया रहे हैं तो उसमें बड़े बड़े लोगों के होने की सम्भावनायें हैं। उन लोगों ने हेरा फेरी की है। इसलिये मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि उसको भी टर्म्स आफ रेफरेन्स में ले लें ताकि जो जमीन का बहुत बड़ा घपला हुआ है उसमें भी कार्यवाही की जा सके। आप किसी व्यक्ति को छोड़ने वाले नहीं हैं। राज्यपाल महोदय ने भी आश्वासन दे दिया है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर कदम उठाये जायेंगे। एक तीसरी बात मैं चाहता हूं, कम्पेनसेशन जो एक्स जागीरदारों को मिला है उस कम्पेनसेशन में काफी बड़ा घपला हुआ है। जहां इस्तमरारी, जागीरदारी एबोलिशन हुआ है अन्य राज्यों में भी यह समाप्त होने के बाद और अवाप्ति के बाद जो मुआवजा देना पड़ा वह काश्तकारों को देना पड़ा लेकिन राजस्थान में काश्तकार शोषित था इसलिये राजस्थान सरकार ने निर्णय लिया कि ट्रेजरी से पैसा दिया जाय। तो मेरा निवेदन है कि कम्पेनसेशन के दावों में जो घपले हुये हैं....

श्री मदनसिंह दांता : यह तो आप लोगों ने ही करवाये होंगे। जिन जिन लोगों को कम्पेनसेशन देना होगा, उनको आपने ही दिलवाया होगा। अब उनको न्याय मिलना चाहिये। मेरा निवेदन है कि उन मंत्रियों को दण्ड मिलना चाहिये जिन्होंने यह अन्याय किया है। मैं सिफारिश करूंगा इसको मंत्री महोदय नोट करें।

श्री परसराम मदेरणा : उन कम्पेनसेशन के मामलों में कुछ गड़बड़ियां हुई हैं और ज्यादा गड़बड़ियां जमीन के सम्बन्ध में हुई हैं। जमीन के सम्बन्ध में जांच करने के लिये, उसके डिस्पोजल में, बेचान में या, कनवर्शन में और दूसरे मामलों में जिस पर्पज के लिये जमीन दी गई और वह जमीन उस पर्पज में नहीं आई, उस बारे में कमीशन बैठा रहे हैं तो यह भी आपको उस कमीशन के टर्म्स आफ रेफरेन्स में इन्क्लयूड करना चाहिये।

(श्री परसराम मदेरणा)

यहां पर एक बात कही नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य ने कि दूसरी जगह दो चुनाव हुए यहां चार चुनाव हो चुके हैं। उन्होंने खास तौर से मुख्य मंत्रीजी के छबड़ा के चुनाव का उल्लेख किया है। छबड़ा के चुनाव के सम्बन्ध में मैंने अखबारों में पढ़ा था। छबड़ा जाने का तो मुझे सौभाग्य मिला नहीं लेकिन वहां पर मुख्य मंत्रीजी ने दो चीजों की खोज की चुनाव से पहले। एक तो खोज यह की कि एक किलोमीटर की दूरी से पीने का पानी वहां कुछ महिलायें लाती हैं और दूसरी खोज यह की कि एक एक, दो दो किलोमीटर और कहीं तीन-तीन किलोमीटर तक वहां आटे की चक्की नहीं है। इन दोनों सुविधाओं के अभाव में कई लड़कियां कुंआरी रह जाती हैं, उनकी शादी नहीं होती है····

श्रीमती सुमित्रा सिंह : लड़के कुंवारे रह जाते हैं।

(व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : लड़के भी कुंआरे रह जाते हैं, लड़कियां भी कुंआरी रह जाती हैं, यह एक नई खोज उन्होंने छबड़ा में की। मुख्य मंत्रीजी का मैं इस खोज के लिए बहुत शुक्रगुजार हूं लेकिन आपकी जानकारी के लिए निवेदन करना चाहता हूं कि मरुस्थल के लोग आज भी आठ आठ मील से पानी लाते हैं। अगर आप छबड़ा का ध्यान रखें तो मरुस्थल की पेयजल की समस्या के सम्बन्ध में भी ध्यान दें। वहां की पेयजल की समस्या बहुत जटिल है और जटिल ही नहीं, अगर पानी मिलता हो तो अच्छी बात है लेकिन गांवों में कड़वा पानी है। उन गांवों को प्राथमिकता दीजिए। यह सरकार इतने दिनों तक मशीनरी के तबादले की राजनीति के कारण विकास के मामलों में जबरदस्त ढिलाई बरतती रही है, यह कार्य भी जनता सरकार को शोभनीय नहीं है। पेयजल की जो योजनायें बनी हैं उनमें भी इन इलाकों को इग्नोर किया गया है। डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटीज की जो कोई रिकमण्डेशन्स हों लेकिन उनको बस्ता-ए-खामोशी में रख दिया गया है और विकास के मामलों में पक्षपात बरता जा रहा है। स्कूलों के मामले में भी यही हुआ। कहने को तो तत्कालीन शिक्षा मंत्रीजी ने····

श्री प्रद्युम्नसिंह : सत्यानाश कर दिया।

श्री परसराम मदेरणा : एक मापदण्ड तय किया था। वह मापदण्ड बहाना मात्र था। उसकी ओट में वह काफी खेल खेल चुके हैं। जिस तरह से उन्होंने इसका उल्लेख किया...

श्री प्रद्युम्न सिंह : उसकी सजा तो उनको मुख्य मंत्रीजी ने दे दी है, अब आप और क्यों कह रहे हैं।

श्री अलदाराम (पिंडवाड़ा) : जवाई कमाण्ड के लोगों को मालूम है कि क्या हुआ था और वहां के बसने वाले सदस्यों को भी मालूम है।

श्री परसराम मदेरणा : यहां आपके खड़े होने से कुछ नहीं होने वाला है।

श्री उगमराज मेहता (ब्यावर) : और नील फार्म के लिए भी कुछ कह दें।

श्री परसराम मदेरणा : नील फार्म भी धरती पर ही है, कहीं आसमान में नहीं है...

(व्यवधान)

श्री एच. एन. शर्मा (बेगूं) : घबराओ मत, आगे आगे सब सामने आ जाएगा।

श्री परसराम मदेरणा : नील का फार्म धरती पर है और वह रिकार्ड में दर्ज है। किस ने कहां से लिया और किस के पास कितनी जमीन है· · ·

(व्यवधान)

श्री रतनलाल वर्मा : आपने किसानों के खाते अपने राजस्व मंत्री काल में सही नहीं कराए और न नक्शों को ठीक करवाया। मैंने पहले भी कहा था और अब फिर चैलेंज के साथ कहता हूं कि उस वक्त भी आपने किसानों को डुबोया, किसानों को अपने राजस्व मंत्री काल में डुबोया और आज बातें करते हैं। बड़े मजे की बात है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिये।

श्री रतनलाल वर्मा : कांग्रेस के राज्य में किसानों का गला घोंटा है और गरीब किसानों को डुबोया है और आज खड़े हो गए हैं। मैं बीसों दफे मिला हूं आपसे आ करके।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय सदस्य को धैर्य रखना चाहिए। बार बार उठने से काम नहीं चलेगा। आरोप जो आपने लगाए हैं कि मैंने किसानों के लिए कुछ नहीं किया, उनका गला घोंट दिया, यह दूसरी बात है। जहां तक नक्शे ठीक करने की बात है और राजस्व अभियान चला कर जो किसानों की समस्या सुलझाने की बात है तो मैं कहना चाहता हूं कि कई वर्षों तक विशेष अभियान चला कर उनकी कई वर्षों से उलझी हुई समस्याओं को सुलझाने का हर सम्भव प्रयत्न किया है। अभी भी जो अभियान चलाया गया उसमें भी जो नौ हजार नक्शे तरमीम होने बाकी हैं उनमें से एक में भी तरमीम नहीं की गई है· · · ·

श्री रतनलाल वर्मा : मैं चैलेंज के साथ कहता हूं सदन में कि उन्होंने खुद ने उस काम को नहीं किया और आज भी उलझे हुए हैं।

(व्यवधान)

आप पहले शीशे में अपना मुंह देखिए। क्या बात करते हैं।

(व्यवधान)

श्री शंकरलाल : बड़े खेद की बात है कि आपकी सरकार ने भी अभी तक इस काम को नहीं किया।

श्री रतनलाल वर्मा : हम करा कर रहेंगे और नहीं करा सकेंगे तो संघर्ष करेंगे लेकिन xxx तरह किसानों का गला नहीं घोंट सकते। थोथी पंचायत करते हो।

श्री परसराम मदेरणा : राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को नियन्त्रण में रखने के लिए जो कदम उठाये, उनका जिक्र किया। यह भी कहा कि आवश्यक वस्तुओं के भावों के ऊपर नियन्त्रण कर लिया है। दूसरी तरफ होलसेल कंज्यूमर प्राइस का इन्डेक्स है वह लगातार बढ़ता जा रहा है। आपने भी अपने राज्य के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता दिया है

---

xxx [illegible] उपाध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री परसराम मदेरणा)

और दो तीन दिन पहले ही भारत सरकार ने उनके कर्मचारियों को, सेन्ट्रल एम्पलाइज को महंगाई भत्ता दिया है। इन दोनों बातों में विरोधाभास है। अभी जो कुछ भाव गिरे हैं इससे प्राइमरिली मिडिलमैन, किसानों का एक्सप्लायटेशन हो रहा है। यह ट्रांजिशनल पीरियड है। इसमें गिरे हुये भावों को यह समझ लेना कि कन्ज्यूमर आर्टिकल्स के भाव बिल्कुल गिर गये हैं, उचित नहीं होगा।

राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में जिन अहम् मसलों का उल्लेख किया है उनकी ओर भी मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। आपने राजस्थान जनता पार्टी के घोषणा-पत्र में इसका उल्लेख किया था कि सीमान्त कृषकों की उपज, मकान, फसल और फसली बीमा की योजना बनाई जायेगी लेकिन उसका राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में उल्लेख नहीं किया गया है। भूमि सुधारों की बात पिछले राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में कही थी लेकिन अन्त्योदय योजना और राजस्व अभियान के अलावा सीलिंग कानून की क्रियान्विति के सम्बन्ध में कोई उल्लेख नहीं किया है। भूतपूर्व राजाओं से जो अवाप्त होने वाली जमीन थी और जिस सम्बन्ध में रिट चल रही थी, उस भूमि के सम्बन्ध में, अवाप्ति के सम्बन्ध में राज्य सरकार की क्या नीति है और उन राजाओं के एस्टेट के अन्दर से भी जो उन्होंने अवैध तौर पर बिक्री की है, यह मामला भी बेरी कमीशन को रेफर किया जाना चाहिए।

बिक्री कर को समाप्त कर उत्पादन कर लगाने की बात का आपने आश्वासन दिया था। मैं भारत की जनता पार्टी की बात नहीं करता, आपने अपने राज्य के घोषणा-पत्र में इसका उल्लेख किया था। अब इस फिराक में बैठे हैं कि किसी तरह मुकर जायं। क्योंकि कल ही बजट प्रस्तुत करते वक्त भारत के वित्त मंत्री ने यह कहा है कि राज्य सरकारें इसके लिए रजामन्द नहीं हुई हैं। हो सकता है कि कुछ अन्य राज्य सरकारें रजामन्द नहीं हुई हों लेकिन जहां पर जनता पार्टी की सरकारें हैं, यहां पर जनता पार्टी की सरकार है, आपने जो जनता को वायदा किया है उसकी पूर्ति करने में कम से कम आपको तो नहीं मुकरना चाहिए। पश्चिमी राजस्थान के लिए एक आयोग का गठन करने के लिए आपने अपने घोषणा-पत्र में कहा था, उसका भी उल्लेख इसमें नहीं है। मुख्य मंत्रीजी से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि डेजर्ट कमीशन की रिकमण्डेशन राज्य सरकार के पास हो लेकिन उससे पहले इरिगेशन के सम्बन्ध में एक और कमीशन था, उस रिकग्नाइज्ड मुदालियर कमीशन की रिपोर्ट थी, उसमें यहां के सम्बन्ध में सिफारिशें थीं। उसके अनुसार तीन सर्किल भी बनाये गये, सर्वे किया गया, उसके बाद लिफ्ट इरिगेशन की योजना को इस तरह सेल्फ में डाल देने के पीछे काफी निहित स्वार्थ है। मैं निवेदन करूंगा कि सूखाग्रस्त इलाकों के अन्दर अकाल की समस्या से अगर हमेशा के लिए निपटना चाहते हैं और पीने के पानी के लिए, जिसका सबसे पहले आपने वायदा किया था, अगर थोड़ा बहुत भी करना चाहते हैं तो इन लिफ्ट इरिगेशन योजनाओं में एक मल्टी-पर्पज योजना है, यह खास योजना है पीने के पानी की। भूमि की सिंचाई करने का भी इसमें प्रावधान है। इसका उल्लेख नहीं करके आपने मरुस्थली इलाके के लोगों के

(श्री परसराम मदेरणा)

साथ एक बड़ा अन्याय किया है। मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा अभी भी समय है, आप भारत सरकार से इस योजना के बारे में बातचीत करें और इसका हल करवायें नहीं तो पश्चिमी राजस्थान की समस्या मुंह बाये खड़ी रहेगी।

आपने अभिभाषण में यह तो कहा कि 20-25 विलेज प्रोटेक्शन फारेस्ट लगा देंगे। वह लगा देंगे लेकिन आने वाली बरसात से पहले आप इस काम को समाप्त कर दें ताकि समय पर आगे बढ़ने में आपको मदद मिल सके।

इन्हीं शब्दों के साथ आपने राजस्थान की जनता के साथ जो बड़े-बड़े वायदे किये थे, उनको पूरा न करके वायदा फरोशी की है जनता को जो आश्वासन दिये थे, उन आश्वासनों को पूरा न करके उनके साथ विश्वासघात किया है इसलिए जो धन्यवाद का प्रस्ताव रखा गया है, उसका समर्थन करने में मैं असमर्थ हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री अयूब खां

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इन्दिरा कांग्रेस के लिए..

श्री शिवचरण सिंह : उसके लिए आप क्यों उतावले है ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं बिल्कुल उतावला नहीं हूं।

श्री शिवचरण सिंह : आप कह रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं नहीं, वही कह रहे हैं।

श्री परसराम मदेरणा : 19 जुलाई को जब आप बजट दिखाई दे रहे थे, तब मैंने कहा था, वह पवनार गई हुई हैं तो खलबली मची हुई है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अभी तो बहुत देरी है। खलबली हमारे नहीं आपके अन्दर मच रही है।

श्री अयूब खां : उपाध्यक्ष महोदय, कांग्रेस के शासन में वर्षों से पंचायतों के चुनाव नहीं हुए थे। अभी हाल में जो पंचायत के चुनाव हुए हैं, उनमें कांग्रेस का खात्मा हो गया है।

(व्यवधान)

कई माननीय सदस्य : कहां हुआ है खात्मा। नहीं हुआ है।

श्री अयूब खां : पहले की पुरानी सरकार के लोग चुनावों को टालते रहते थे ताकि वह बने रहें।

जनता सरकार ने थोड़े से समय में दो योजनाएं लागू की हैं, एक तो राजस्व अभियान और दूसरी अन्त्योदय योजना। राजस्व अभियान 1977 में चालू किया गया। इससे गरीब किसानों को राहत मिली है। जो अदालत में इन्साफ बहुत महंगा पड़ता था, वह इन्साफ देने का काम बिना खर्चे के हुआ है। गांवों में अधिकारीगण गये हैं। जहां-जहां गये हैं, वहां राजस्व के मामलों को निपटाया गया है। यदि इसी प्रकार से अन्य मामलों को भी निपटाया जाये तो बहुत अच्छा होगा। इस व्यवस्था के द्वारा किसानों को बहुत राहत मिली है। इससे

(श्री अयूब खां)
वकीलों को हानि अवश्य पहुंची है। हो सकता है, कुछ माननीय सदस्य बुरा मान गये हों।

दूसरी योजना अन्त्योदय योजना लागू की गई है। इससे भी गांवों के गरीब किसानों को सहायता मिली है।

एक माननीय सदस्य : किसी किसान को नहीं मिली है।

श्री मदनसिंह दांता : किसानों को इस योजना में सहायता नहीं मिल रही है।

श्री अयूब खां : इसमें जो सुविधाएं दी जा रही हैं, अगर ये सुविधाएं और संस्थाओं के द्वारा दी जायें तो बहुत ही अच्छा होगा। इस थोड़े समय में सरकार ने ग्रामीण किसानों को अच्छी सहायता पहुंचाई है। कांग्रेस सरकार ने 20 सूत्री योजना का नाम दिया था पर उससे कुछ नहीं हुआ। आज राजस्थान में ही नहीं सारे देश में अन्त्योदय योजना की सराहना की जा रही है।

उपाध्यक्ष महोदय, योजनाओं के द्वारा ग्रामीण विकास के लिए मौजूदा सरकार बहुत कुछ कर रही है और भी करने का इरादा है। जैसा कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में पढ़ने को मिला है, दूध विकास योजना है। बिजली उपलब्ध कराने के बारे में प्रगति की गई है। 745 ग्रामों का विद्युतीकरण किया गया है। सरकार ने इस वर्ष 105 चिकित्सालय तथा 203 सहायता केन्द्र स्वीकृत किये हैं। 173 आयुर्वेदिक 5 यूनानी, व 22 होम्योपैथिक चिकित्सालय भी खोले हैं। यह अच्छी प्रगति है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं समझता हूं कि ग्रामीण लोगों की चिकित्सा की समस्या काफी हद तक सुलझ जायेगी।

शिक्षा के क्षेत्र में सरकार ने इस वर्ष 11 महाविद्यालय खोले। 15 महाविद्यालयों को स्नातकोत्तर विद्यालयों के रूप में क्रमोन्नत किया। छात्रों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए महाविद्यालयों में 100 सैक्शन खोले गये हैं। इन विद्यालयों को खोलते हुए अगर आबादी का लिहाज किया जाता तो और भी अच्छा होता और अधिकतर ग्रामीणवासियों को फायदा पहुंचता। ग्रामीण क्षेत्र में बहुत अच्छी सहायता मिली है। 19.95 करोड़ रुपये सड़कों की मरम्मत के लिये रखे गये हैं, तकावी के लिए 27.50 लाख रुपये और नकद सहायता के लिये 76 लाख रुपये रखे गये हैं। मेरे विचार से इतनी अधिक सहायता कभी नहीं मिली। यह पहला अवसर है जब इतनी अधिक सहायता मिली है। बाढ़ के कारण सड़क और बांध काफी हद तक टूट गये थे परन्तु इस समय उन सब की मरम्मत हो रही है। इस सम्बन्ध में सरकार का काफी सराहनीय कार्य रहा है। बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिये मौजूदा सरकार ने चार लाख व्यक्तियों को रोजगार की सुविधायें देने के लिये कहा है। मैं समझता हूं इससे काफी लोगों को सहायता मिलेगी।

अन्त में मैं कहूंगा कि अधिकतर विकास योजनाएं ग्रामीण उत्थान के लिये की गई हैं तथा उन गरीब और निर्धन किसानों के उत्थान के लिए हैं जिनके ऊपर बहुत कम लोगों की नजर पड़ती है। मैं यही कह

(श्री अयूब खाँ)

सकता हूँ कि यह जो विकास कार्य हो रहा है, यह जो योजनायें बनाई जा रही हैं, यह वह कदम है जिसके द्वारा ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जो अन्तर है वह खतम हो जायेगा। मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करते हुये अपना स्थान ग्रहण करता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष: श्री रघुवीरसिंह कौशल।

श्री रघुवीरसिंह कौशल (बारां): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने अपने अभिभाषण में राजस्थान के विकास को सबसे अधिक महत्व दिया। एक किसान होने के नाते किसान की भावना वर्तमान सरकार के प्रति क्या है, इस पर मैं अपने विचार रखना चाहूँगा। जब-जब भू-राजस्व अभियान या अन्त्योदय योजना की बात आती है तो हमारे विरोधी दल के माननीय सदस्य बड़े बौखला जाते हैं। उसका कारण मुझे अच्छी तरह से यह समझ में आता है कि इन दो योजनाओं के कारण गांवों में जो जनता पार्टी की साख बढ़ी उसके कारण से उनको बौखलाहट है। अभी विरोधी दल के माननीय नेता बता रहे थे कि भू-राजस्व अभियान अनेक बार चलाया गया है, चलाया गया होगा किन्तु वास्तव में वह भू-राजस्व अभियान नहीं था, वह केवल पाखण्ड था। यदि वास्तव में भू-राजस्व अभियान चलाया गया होता तो तीन पीढ़ी से अभी तक खाते अनकन्फर्म्ड नहीं रहते। बाबा मर गया, बाप मर गया किन्तु बच्चों के नाम अभी तक खाते में नहीं हैं। अब मैंने एक एक गांव जाकर देखा, पचास से लेकर दो सौ तक खाते कन्फर्म हुए, कोई व्यक्ति नहीं बचा। विशेष रूप से मैं अपने क्षेत्र की बात कर रहा हूं जहां पर वर्षों से नामान्तरकरण नहीं हुए थे, तस्दीक नहीं हुए थे। राजाओं के राज से लेकर कांग्रेस सरकार के राज तक एक भी उदाहरण ऐसा नहीं है कि नामान्तरकरण बिना पैसा दिये हो गया हो। इस बार किसानों को प्रसन्नता इस बात की थी कि नामान्तरण उनके गांव में हुआ, तहसीलदार वहां पहुंचा और बिना पैसा दिये हुए हुआ। शामलाती खातों का बड़ा झगड़ा था। बाप के मरने के बाद चार लड़कों के नाम जमीन थी, झगड़े होते थे टैक्स देने के नाम पर, लगान देने के नाम पर। राजस्थान सरकार ने आदेश दिया कि शामलाती खातों को अलग किया जाय। जिनमें दो-दो साल का समय लगता था, सैंकड़ों रुपया खर्च होता था, वह प्लेन पेपर पर एक एप्लीकेशन देने पर तस्दीक कर दिये गये। 1 मार्च, 75 तक जो ट्रेसपासर्स थे जिनके पास डेढ़ बीघा जमीन थी जिन पर कई बार जुर्माना हो चुका था उनको रेग्युलराइज किया गया। इस अभियान के अन्तर्गत आबादी की भूमि पंचायतों को दी गई, स्कूलों के लिये जमीन दी गई। इस प्रकार इस भू-राजस्व अभियान ने किसानों के मन में विश्वास पैदा किया कि सरकार किसानों के लिए चिन्तित है और सरकार अब हमारे पास आकर हमारी समस्या को सुनती है, हमारी समस्याओं को समझती है।

इसी प्रकार किसानों को कर्ज देने की बात विशेष रूप से कोटा जिले के लिये मैं निवेदन करना चाहता हूं। कर्जा देने का सभी जगह नियम है किन्तु कोटा जिले में कर्जा देने का अभियान चला। एक नया तरीका हमारे यहां पर है उससे किसान को

Page No 61

(61)

(श्री रघुवीरसिंह कौशल)

बहुत बड़ी राहत मिली है। कैम्प जहां लगाये जाते हैं, वहां किसान गांव से आता है। उसी स्थान पर भूमि विकास बैंक से सर्टिफिकेट मिलता है और एप्लीकेशन तैयार की जाकर कर्ज दिया जाता है। दस-दस हजार आदमी कैम्प में इकट्ठे होते हैं और उनको कर्ज की स्वीकृति होती है। अभी कुछ ही दिन पहले शाहबाद में कैम्प लगाया गया, वहां पर 15 सौ लोगों को 50 लाख से अधिक का कर्जा दिया गया। जहां किसानों को कई दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे वहां एक ही स्थान पर एक ही दिन में कर्जा दिया जाता है। इस बात की चौकसी रखी जाती है कि उसका दुरुपयोग न हो, इन-टाइम लोन दिया जाता है। यह जो सुविधा जनता पार्टी की सरकार ने किसानों को घर तक पहुंचाई है, इसके कारण किसान आज बड़ी राहत अनुभव करते है। जिस लघु कृषक के पास सवा छः बीघा तक जमीन है उसको 33 प्रतिशत सब्सिडी, जिसके पास साढ़े बारह बीघा जमीन है उसको 25 प्रतिशत सब्सिडी और उसके उपरान्त यदि शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स का किसान है तो सब्सिडी के अतिरिक्त उसको इन्ट्रेस्ट फ्री लोन भी दिया जाता है। आज किसान को यह अनुभव होने लगा है कि सचमुच सरकार हमारे बारे में चिन्ता कर रही है, हमें ऋण देने के बारे में सरकार को चिन्ता है।

इस प्रकार से भू-राजस्व अभियान किसान के लिए वरदान सिद्ध हुआ है। केवल कोटा के बारे में ही नहीं, मैं जोधपुर जिले के बारे में भी निवेदन करना चाहता हूं। वहां पर भी विरोधी दल के माननीय सदस्यों ने भू राजस्व अभियान का भरपूर लाभ लिया है। लेकिन उनको चिन्ता यह है कि किसान यह पूछता है उनसे कि इस प्रकार की योजना पहले क्यों नहीं लागू की गई। इसलिए विरोधी दल के माननीय सदस्य भू-राजस्व और अन्त्योदय योजना का विरोध करते है। उसके कारण उनको कष्ट होता है।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि किसान को केवल ये सुविधायें देना ही पर्याप्त नहीं है। कई ऐसी समस्यायें हैं जिन्हें अभी हल करना बाकी है। आज ट्रेक्टर ट्रोली का टैक्स किसान के लिए बड़ा सिर दर्द बना हुआ है। कहां जमा करावें ? कैसे जमा करावें ? पुलिस के लोग उनको तंग करते हैं। कोटा में मन्त्रिमण्डल की मीटिंग हुई थी उस समय भी यह प्रश्न उठाया गया था। उनके प्रति सहानुभूति दिखाई गई लेकिन अभी तक उसकी क्रियान्विति नहीं हुई।

जहां तक बिजली की दरों का सवाल है, किसान को बिजली सस्ती दर पर मिलनी चाहिए। व्यापारिक दृष्टिकोण से सोचेंगे तो काम नहीं चलेगा। आज से 35 वर्ष बाद जब देश की आबादी 120 करोड़ होगी तब मालूम होगा कि····

श्री रघुनाथ विश्नोई : मंत्रीजी ने आश्वासन दिया था मेरे प्रश्न के उत्तर में कि मैं इसको एग्जामिन करूंगा फिर भी नहीं कर पाए।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : मुझे दुःख है कि आश्वासन देने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। किसानों को सस्ती रेट पर बिजली मिलनी चाहिए। आपने पूरा ध्यान कृषि की तरफ

(श्री रघुवीरसिंह कौशल)

नहीं लगाया तो आज से 25 साल बाद जो समस्या आएगी उसका हल नहीं हो सकेगा। किसान की कुली टूट गई, उसके खेत में पेड़ खड़ा है उसको काट नहीं सकता क्योंकि तहसीलदार की इजाजत चाहिए। उसमें 10 दिन लग गए तो खेत सूखा पड़ा रहेगा। कुली के बिना हल कैसे चलाएगा? आज जिन समस्याओं के बारे में बात कर रहे हैं उनको सुनने के लिए कोई मंत्री उपस्थित नहीं है''

कई माननीय सदस्य : कृषि मंत्री हैं।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : ये ऐसी अनेक छोटी छोटी बातें किसान की हैं जिनको पूरा करने में कोई पैसा नहीं लगता। जो सुविधा दी जा सकती है उसको तुरन्त देने से किसान को और भी राहत मिलेगी।

भू-राजस्व अभियान के लिए स्थाई समिति बनानी चाहिए जो समय समय पर इस पर विचार करती रहे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जून में फिर भू-राजस्व अभियान चलाया जा रहा है जिससे जो कुछ समस्यायें रह गई हैं उनका भी निपटारा किया जा सके।

अन्त्योदय योजना के लिए मेरा निवेदन है कि इस योजना ने गांव के लोगों को काफी राहत पहुंचाई है। इसका एक उदाहरण मैं देना चाहता हूं। आज गांव के गरीब से गरीब आदमी से तहसीलदार और विधायक पूछता है कि तुम्हारा नाम हम अन्त्योदय योजना में रख रहे हैं तो उसमें विश्वास पैदा होता है। वह समझने लगा है कि आज उसकी पूछ हो रही है। 5 लोगों के अलावा जब दूसरे लोगों को मालूम पड़ता है कि अगले वर्ष उनका नम्बर आ रहा है तो बड़ी आशा और विश्वास के साथ वह जनता पार्टी की ओर देखते हैं कि उनका भी अन्त्योदय योजना में नाम आएगा। जिन बुड्ढे और अपाहिज को भोजन नहीं मिलता था, वे 40) रु. प्रति माह पाने से राज्य सरकार को दुआएं दे रहे हैं। उनको दोनों समय भर पेट भोजन मिल रहा है। लेकिन अन्त्योदय योजना से अपाहिजों को अलग कर देना आवश्यक है क्योंकि इससे आदमी का विकास नहीं होना है। जो उनको पेन्शन मिल रही है, वह उदर पूर्ति का साधन मात्र है। वह बूढ़ा दो चार साल बाद मर जाएगा तो जो विकास हम करना चाहते हैं वह नहीं कर सकेंगे। इस योजना के तहत जो जमीन के अलाटमेंट की बात आई है, उस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि बहुत कम जमीन है। जितने अलाटमेंट्स हुए हैं उनकी जांच कर ली जाए तो पता लगेगा कि कितने इर्रेगुलर अलाटमेंट्स हुए हैं। सरकारी कर्मचारियों के नाम, दुकानदारों के नाम हुए अलाटमेंट्स कैंसिल किए जायं तो अन्त्योदय योजना में आने वाला प्रत्येक परिवार लाभान्वित होगा।

हमारे कोटा इलाके में कई जांच कमेटियां बैठीं। शाहबाद में शेरसिंह कमेटी बैठी। आज तक उसकी रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। आज के चीफ सेक्रेटरी 1963-64 में अलाटमेन्ट्स की जांच करने के लिए वहां गए थे। जिनको अलाटमेन्ट हुआ था उनमें से 80 प्रतिशत बड़े अधिकारियों के रिश्तेदार थे। वह रिपोर्ट आज तक सामने नहीं आई। जितने पुराने अलाटमेंट्स हुए हैं, उनमें से जो इर्रेगुलर हैं उनको कैंसिल किया जाए तो अन्त्योदय योजना वालों को काफी राहत मिल सकती है।

(श्री रघुवीरसिंह कौशल)

भू-राजस्व अभियान की भांति सरकार ने विश्वास दिलाया था, कि नगरपालिकाओं का भी अभियान चलेगा, विद्युत् और भूजल का भी अभियान चलेगा लेकिन अभी तक वह अभियान नहीं चला। जो अभियान चलाया जाए उसमें जन प्रतिनिधियों का सहयोग रहे तो निश्चित् रूप से उसका लाभ जनता को मिलेगा।

मैं पंचायत मंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने निष्क्रिय पंचायतों को सजीव बनाया लेकिन जिन सरपंचों को उन्होंने भ्रष्टाचार के अभियोग में मुग्रत्तिल किया था उनको पुनः खड़ा होने की अनुमति देकर क्या सिद्ध किया है? वे पुनः सरपंच बन गए हैं। क्या इस प्रकार आप भ्रष्टाचार को अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ावा नहीं दे रहे हैं? या मैं यह समझूं कि पंचायत चुनाव हमारे पंचायत मंत्री करा रहे हैं तो चुनाव पवित्र हो गए? एक तरफ तो भ्रष्टाचार के अभियोग में मुग्रत्तिल कर रहे हैं दूसरी ओर उसको चुनाव में खड़ा होने की अनुमति दे रहे हैं, यह विचित्र बात है।

इसी प्रकार गांवों में शिक्षा के बारे में निवेदन है कि, वहां शिक्षा अनियमित है उसका एक उदाहरण देना चाहता हूं। पंचायतों में जितने स्कूल हैं उनमें 50 प्रतिशत अध्यापक कम हैं। फरवरी के लास्ट वीक में उन अध्यापकों का चयन किया गया है। जिन स्कूलों में 7-7, 8-8 महीनों से अध्यापक नहीं हैं वहां के बच्चों की क्या पढ़ाई होगी? इस प्रकार गांव के विद्यार्थी कैसे कृषि व इंजीनियरिंग कालेजों में अधिकारियों के बच्चों के साथ कम्पीटीशन में बैठ सकते हैं? इस तरह गांवों की शिक्षा ठीक नहीं हो रही है। केवल शहरों के निवासी ही अपने बच्चों को ठीक पढ़ा सकते हैं और केवल उन्हीं का भविष्य बन सकता है। गांव के पढ़े लिखे विद्यार्थी इन कम्पीटीशन्स में नहीं आ सकते हैं। हमारे मुख्य मंत्री एक ओर गरीबी से लड़ रहे हैं, दूसरी ओर भ्रष्टाचार से। आए दिन घोषणायें होती रहती हैं कि भ्रष्टाचार मिटा कर रहूंगा, नाक से खाया पीया निकलवा कर रहूंगा। जिन्होंने पैसा खाया है इस घोषणा का उन पर बहुत असर हुआ है। अधिकारी रिश्वत तो लेते हैं परंतु चोर बन कर लेते हैं। मैं पटवारी तहसीलदार, एस. डी. ओ. के लेविल की बात करता हूं, विशेष कर अपने इलाके की बात करता हूं, वहां रिश्वत लगभग नहीं के बराबर है। यह असर हुआ है। पिछली बार इसी सदन में 26 इन्जिनियरों की मुअत्तली हुई थी उसका क्या हुआ? एक समिति की घोषणा की थी मुख्य मंत्री ने कि पिछले 10 साल में जिन लोगों के खिलाफ आरोप लगे हैं उनकी जांच के लिए समिति बनेगी। पता नहीं उस समिति का क्या हुआ।

भ्रष्टाचार पर मुख्य मंत्री प्रहार कर रहे हैं। भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा अड्डा पी. एस. सी. है उस पर प्रहार किया जाए। वहां मथुरा के पंडों की तरह एजेन्ट घर पर पहुंचते हैं, रिश्वत की बात होती है, सौदा तय होता है। दो कालेज लेक्चरर्स भी उसके एजेन्ट हैं। दो दो हजार की पार्टियां होती हैं, उनमें पी. एस. सी. के सारे सदस्य आते हैं और दावत दी जाती है। मान लीजिए एक आदमी से 10 हजार रिश्वत ली और उसका चयन नहीं हुआ, तो दो हजार की पार्टी का व्यय काट कर 8 हजार वापस किए जाते हैं। यह स्थिति पी. एस. सी.

(श्री रघुवीरसिंह कौशल)

की हो रही है। जब लोग अजमेर में पहुंचते हैं तो एजेन्ट मथुरा के पंडों की तरह आकर उनसे कान्टेक्ट करते हैं, सौदेबाजी होती है, बोली लग जाती है और जो पैसा देता है उसका चयन होता है। इस कारण बुद्धिजीवियों में फ्रस्ट्रेशन है। जब पी. एस. सी. में इन्टरव्यू की बात आती है तो आदमी का दिल दहल जाता है। तहसीलदार के लिए मिनिमम दस हजार की बोली लगती है। जो अधिक दे, वह पाए। पी. एस. सी. में जितने सदस्य हैं सबमें भ्रष्टाचार हो रहा है, खुले आम बोली लग रही है। मुझे विश्वास है कि मुख्य मंत्री जी को भी यह बात मालूम है लेकिन कहते हैं कि कानून आड़े आता है जो अधिकारी रिश्वत देकर पद पर आयेंगे वे रिश्वत लेना नहीं छोड़ेंगे। इसलिए सबसे पहले पी. एस. सी. पर प्रहार किया जाए। यदि कोई कानून आड़े आता है तो उसे भी हटा दिया जावे। कई सदस्य तो ईमानदारी से बेईमानी करते हैं। एक ही स्थान के लिए कई व्यक्तियों से रिश्वत लेते हैं और चयन होने के पश्चात् अचयनित व्यक्तियों को रकम वापस देते समय अपनी ईमानदारी की दुहाई देते हैं।

अन्त में मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से राज्य सरकार को यही निवेदन करना चाहता हूं कि आज जो विकास के कार्यक्रम राज्य सरकार द्वारा चलाये जा रहे हैं, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ में कार्यवाही की जा रही है उसमें और अधिक गतिशीलता लायी जाय। अन्त में मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव इस सदन में आया है उसका समर्थन करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शीशराम ओला।

श्री शीशराम ओला (पिलानी) : उपाध्यक्ष महोदय, सदन में राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण दिया था उसके ऊपर आज धन्यवाद प्रस्ताव जो आया है उस पर कई माननीय सदस्यों ने अपने भाषण दिये। अपने भाषण के दौरान कई माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये। राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में जो पढ़ा था उसके लिये मैं क्या कहूं, वह बिलकुल एक ऐसा भाषण था, सही मायने में अगर आप देखें तो सारे राजस्थान की जिन समस्याओं का उसमें जिक्र होना चाहिये था उनका कहीं भी जिक्र नहीं किया गया। वह भाषण तो, उपाध्यक्ष महोदय, एक ऐसा अभिभाषण था कि जिसमें पिछले एक साल में जो जनता पार्टी की उपलब्धियां हुई एक दो छोटी मोटी उनका ही उल्लेख किया गया है। उसमें राजस्थान की आम जनता की समस्याओं के निवारण के लिये कोई भी बात न देखने को मिली न सुनने को ही मिली। गवर्नर साहब ने अपने अभिभाषण में सिर्फ दो ही बात को बढ़ा चढ़ा कर कहा है, एक तो अन्त्योदय योजना की और दूसरी राजस्व अभियान की। सदन में जो माननीय सदस्य अभी तक बोले हैं उन्होंने खास तौर पर इन दो बातों पर ही अपने विचार व्यक्त किये हैं। जो भी माननीय सदस्य जितने समय बोले, चाहे आधा घण्टा बोले, चाहे एक घण्टा बोले उन्होंने अपने भाषण में सिर्फ इन दो बातों का ही उल्लेख किया।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि गांवों में जाकर अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत सिर्फ पांच आदमी टालने

(श्री शीशराम ओला)

से ही सारे गांव का विकास नहीं हो जाता। यह तो कोई बात नहीं हुई। आपने गांव के पांच आदमी टाल लिये, यह तो एक छोटा सा कार्यक्रम था। इसको इतना बढ़ा चढ़ा कर कहने की आवश्यकता नहीं थी। इससे तो उल्टी लोगों में एक ईर्ष्या की भावना पैदा होती है। गांव में तो और भी पिछड़े हुए बहुत लोग हैं तो फिर पांच व्यक्तियों को ही क्यों टाला गया? तो कहने का मतलब यह है कि यह कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया। यह तो एक छोटा सा कार्य जनता सरकार द्वारा किया गया है। इसके लिये इतने जोरों से ढोल पीटने की जरूरत नहीं है। इसको इतना बड़ा काम कहना उचित नहीं कहा जा सकता।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरह से यहां पर राजस्व अभियान की बात बहुत बढ़ा चढ़ा कर कही गयी है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, क्या राजस्व अभियान कभी पहले की सरकार द्वारा नहीं चलाये गये थे या यही ऐसा अभियान था जिसमें कोई नयी बात हो गयी? उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार को यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रकार के कई अभियान पहले चल चुके हैं जिसमें लोगों को जमीनें अलॉट की गयीं, पट्टे दिये गये। आवासीय भूखण्ड गरीब हरिजनों को अलॉट किये गये। उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार का राजस्व अभियान अभी 1975–76 में राजस्थान सरकार द्वारा चलाया गया था। उसमें गरीब हरिजनों को आवासीय भूखण्ड अलॉट किये गये, लोगों को मकान बना कर दिये गये। राजस्थान के गरीब वर्ग के करीब दस लाख लोगों को पट्टे जमीनों के दिये गये और करीब दस हजार मकान बना कर दिये गये। करीब साढ़े आठ लाख खतौनियां राज्य सरकार द्वारा बांटी गयीं। इसके साथ साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि यह कोई कागजों में ही नहीं था। राज्य सरकार के नुमाइन्दे, जिसमें कलेक्टर, एम. एल. ए, एस. डी. ओ और संबंधित तहसीलदार थे, मौके पर गये और गरीब हरिजनों को जमीनें अलॉट कीं और आवासीय भूखण्डों के उन लोगों को कब्जे दिलाये। कब्जा लेने में जिन लोगों ने भी गड़बड़ियां कीं या जबरदस्ती की उनको राज्य सरकार ने दण्ड देने के लिये कार्यवाही भी की। लेकिन मुझे दुःख के साथ यह कहना पड़ता है कि जनता पार्टी की सरकार ने जिन गरीब लोगों को आवासीय भूखण्ड दिये या जमीनें अलॉट कीं उन को वहां पर से निकाल दिया गया है। आज स्थिति ऐसी है कि उन गरीब लोगों की कोई सुनने वाला नहीं है। मेरा निवेदन यह है, आज जो यह कहा गया कि अन्त्योदय योजना बनायी गयी और राजस्व अभियान चलाया गया तो उसमें कोई खास बात नहीं हुई। ऐसे अभियान तो पहले भी चला करते थे और मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा अच्छे ढंग से और सही रूप से चला करते थे। आप की जनता पार्टी की सरकार आने के बाद स्थिति ऐसी है कि अलवर के पास सरे आम ट्रक लूट लिये गये, और राज्य में ट्रक खड़े रहे। ऐसा राजस्थान में पिछली सरकार के जमाने में कभी भी नहीं हुआ। आज जयपुर में दिन में ही लोगों के जेवर लूट लेते हैं। घरों में चोरियां होती रहती हैं। लोगों को जान माल का खतरा बना हुआ है। अभी भरतपुर के पास में दिल्ली के एस. पी. के

(श्री शीशराम ओला)

भाई और उनके साथ जो औरतें थीं उनको लूट लिया गया। मैं तो कहूंगा कि जनता पार्टी की सरकार आने के बाद क्राइम्स बढ़े हैं, हरिजनों पर अत्याचार बढ़े हैं। आज आम जनता अपने आपको सुरक्षित नहीं मानती है। तो सिर्फ यह कह देने से कि अन्त्योदय योजना में काम हुआ और राजस्व अभियान में बहुत अधिक काम हुआ, जनता सरकार की सफलता सिद्ध होने वाली नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि हरियाणा में जिन काश्तकारों के यहां पर कुओं या ट्यूब वैल्स से सिंचाई होती है और जहां पर पानी 50 फीट ज्यादा गहरा है वहां पर सिर्फ 12 पैसे ही काश्तकार से पर यूनिट बिजली के चार्ज किये जाते हैं लेकिन जहां पानी कुओं में 200 फीट से ज्यादा गहरा है वहां पर सरकार ने बिजली की 23 पैसे पर यूनिट दर लगायी है। स्थिति यह है कि गवर्नर साहब का ध्यान इस ओर गया ही नहीं। गवर्नर साहब के भाषण में कहीं भी काश्तकारों को इस बारे में राहत देने की चर्चा नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, आज हरियाणा में भी जनता पार्टी की सरकार है और राजस्थान में भी जनता पार्टी की सरकार है। हरियाणा की जनता पार्टी की सरकार अपने काश्तकारों को सहूलियतें दे सकती है तो क्या राजस्थान की जनता पार्टी की सरकार काश्तकारों को सहूलियतें नहीं दे सकती? राजस्थान में जो मिट्टी है वह हरियाणा की मिट्टी से अलग है। हरियाणा की मिट्टी चिकनी है। यहां की मिट्टी हरियाणा की मिट्टी से अधिक पानी सोखती है। यहां पानी हवा में उड़ जाता है। जितने पानी से हरियाणा में सिंचाई होती है उससे अधिक पानी हमारे यहां की मिट्टी को चाहिये। दोनों की कैपेसिटी में फर्क है। तो मेरा निवेदन है कि राज्य सरकार को चाहिये कि काश्तकारों को राहत दिलाये।

इसी प्रकार, उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत ही दुःख के साथ कहना पड़ता है और यह दुःख का विषय भी है क्योंकि आज से तीस साल पहले राजस्थान में जागीरदारों और राजाओं का शासन था उस वक्त जब भी अकाल पड़ता तब राजा लोग व जागीरदार लोग अपने यहां पर काश्तकारों को तथा जनता, जो कि अकालग्रस्त क्षेत्र में पीड़ित होती, को पर्याप्त मात्रा में छूट देते। उनके द्वारा लगान माफ कर दिए जाते और दूसरे कार्यक्रम भी किये जाते। इसके बाद में कांग्रेस का शासन-काल आया उस समय भी जब कभी अकाल पड़ता तो अकालग्रस्त क्षेत्र में सभी प्रकार के रेवेन्यू की वसूलियां बन्द हो जाती थीं और काश्तकारों को तकाबियां दी जातीं, कोआपरेटिव के माध्यम से लोन दिये जाते, तथा जो भी कोआपरेटिव के लोन्स की रिकवरीज होतीं उन्हें सस्पेन्ड कर दिया जाता, लोगों को बीज दिया जाता तथा और भी व्यवस्था की जाती थी। पर आज जनता पार्टी की सरकार में स्थिति दूसरी है। आज अकालग्रस्त क्षेत्र में लगान माफ नहीं किया जाता है और न ही वसूलियां रोकी जाती हैं बल्कि आज तो राजस्थान की जनता पार्टी की सरकार के राजस्व अधिकारियों में होड़ लगी हुई है कि कितनी ज्यादा से ज्यादा वसूलियां की जायें। जितने भी कर्ज काश्तकारों पर हैं, उनसे उनकी वसूलियां कुर्की लाकर की जाती हैं। आज मैं आपको मेरे ही जिले झुन्झुनू के बारे में निवेदन करना

(श्री शीशराम ओला)

चाहूंगा, पूरा झुन्झुनू जिला अकालग्रस्त है। करीए 60 प्रतिशत से अधिक लोग भयंकर रूप से अकाल से पीड़ित है। पर वहां पर लोगों से वसूलियां कुर्की लाकर की जा रही हैं चाहे वह लगान की हों या और कोई कर्ज की हों। उपाध्यक्ष महोदय, आज हमारे देश में काश्तकार ही एक व्यक्ति ऐसा है जिसके पास कमाई का एक ही साधन है और वह है उसकी काश्त। वह काश्त करके अपने बाल बच्चों का पेट पालता है। जब अकाल पड़ जाता है तो वह खेती कर नहीं सकता। ऐसी स्थिति में एक तरफ तो उसके बाल बच्चे भूखे मरते हैं दूसरी तरफ राज्य सरकार के अधिकारी लोग वसूलियां करने पहुंच जाते हैं। मेरा, उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से राज्य सरकार को निवेदन है कि जब यह तो गरीबों की मदद करने का दम भरती है, काश्तकारों का हमदर्द बनने का दम भरती है, तो यह अकाल के समय में काश्तकारों से वसूलियां क्यों नहीं स्थगित करती है। अकाल के कारण काश्तकारों की कमाई तो नहीं रही है। सिर्फ खेती ही उसकी आजीविका का साधन है और खेती उसकी हो नहीं रही है क्योंकि अकाल है। उसकी कमाई का जरिया सिर्फ खेती है। जब उसके खेती ही नहीं हो तो वह किस प्रकार अपने बच्चों का लालन-पालन करे। छोटे मोटे काम वह करना चाहता है लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि कोई काम करने के लिए उसके पास कुछ नहीं है। 20), 25) क्विन्टल कुट्टी लाकर भी मवेशियों को जिन्दा रखना चाहता है तो अपने बच्चों को भूखे रखता है। न तो उनका अच्छी प्रकार से लालन-पालन कर सकता है और न ही उनको शिक्षा दे पाता है। यदि कालेज में बच्चे पढ़ते हैं तो उनको पढ़ा नहीं सकता। यदि यह सरकार अपने आपको कल्याणकारी सरकार कहना चाहती है तो सरकार उनकी व्यवस्था करे। जब तक उनको अकाल से राहत न मिल जाय और जब तक दूसरी फसल उनके पास न आ जाय, यह सरकार उनकी व्यवस्था करे। आज इस स्थिति में उनको हांसिल भी देना पड़ रहा है। इस को तो सस्पेण्ड कर देना चाहिये। वसूली हो रही है उसको रोक देना चाहिये। इस परिस्थिति में वे अपने बच्चों को कालेज आदि में नहीं पढ़ा सकते हैं तो सरकार को चाहिये कि उनको कर्जा दे पढ़ाई के लिए। अकाल के कारण काश्तकार के बच्चे, होनहार बच्चे पढ़ाई छोड़ कर घर बैठे हैं क्योंकि बाप उनको पढ़ाई के लिए खर्चा नहीं दे सकता। होनहार बच्चे हैं। यदि उनको पढ़ाई छोड़ कर घर बैठना पड़ता है तो सरकार के लिये यह अच्छी बात नहीं होगी।

हरियाणा, पंजाब और दूसरी जगह हमारे यहां से मजदूरी के लिये जाते हैं क्योंकि सरकार ने अकाल राहत कार्य नहीं खोले। जहां खोलती है वहां एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ने वाली सड़क पर वे मजदूरी कर सकते हैं। कोई दूसरे काम सरकार खोलती नहीं। जो लोग केवल खेती पर ही निर्भर करते हैं, जो खेतीहर मजदूर नहीं हैं, खेती से जो अनाज पैदा होता है उसी से अपना काम धन्धा चलाते हैं, जिनका खेती से ही सारा सम्बन्ध है उन लोगों को अकाल के समय में कोई रोजगार न देना एक गम्भीर बात है। लोग भूखों मर रहे हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

(श्री शीशराम ओला)

ज्यादा समय नहीं लूंगा।

तो मैं निवेदन कर रहा था कि आज तक अकाल राहत कार्य शुरू नहीं हुए हैं। जो आज परिस्थिति है उससे उनकी आर्थिक स्थिति हो गयी है। वे अपने बच्चों का पालन-पोषण करने में असमर्थ हैं। उनके रोजगार के लिये व्यवस्था न करें और केवल यहां यह कह कर ताली बजवायें कि यह कर दिया, वह कर दिया। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अकाल राहत कार्य के तहत जिनको आप राहत नहीं पहुंचा सके हैं उनको तत्काल रोजगार दिलाया जाय जिससे उनके बच्चों का पालन ठीक प्रकार से हो सके, उनके बच्चे भूखे न मरें और अपनी पढ़ाई जारी रख सकें।

शायद सारे हिन्दुस्तान में कहीं ऐसा नहीं हुआ होगा जैसा कि हमारे यहां हुआ है। हमारा जिला हरियाणा और दिल्ली से मिलता जुलता है। दिल्ली से अथवा हरियाणा से जो भी ट्रक आते-जाते हैं उनसे चुंगी वसूल की जाती है। सड़कों पर चलते हुये उनसे चुंगी वसूल की जाती है। नाके पर चुंगी ली जाय तो कोई बात समझ में आ सकती है। इस तरह से दिल्ली से, हरियाणा से आये ट्रकों को चालीस जगह चुंगी देनी पड़ती है। इसी कारण से जो माल दिल्ली में सस्ता बिकता है वही माल वहां से आता है तो यहां महंगा बिकता है। इस व्यवस्था को तत्काल खतम करना चाहिये। किसान इससे दुःखी हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। दो चार बातें अर्ज करनी थीं। जो सुझाव मैंने सरकार के सामने रखे हैं सरकार उन पर विचार करे और अमल करे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री अजीत सिंह।

श्री अजीतसिंह (टौंक) : उपाध्यक्ष महोदय, धन्यवाद प्रस्ताव सदन के सम्मुख रखा गया है मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, यह नीति सम्बन्धी अभिभाषण है और अगले साल क्या सरकार कार्य करेगी उसका इसमें एक दिग्दर्शन कराया गया है। यह बात सही है कि सरकार ने जो कुछ भी अपनी नीति का दिग्दर्शन कराया है उसके लिए वह धन्यवाद की पात्र है। किन्तु इस अभिभाषण में बहुत सी बातें ऐसी रह गई हैं जो कि आनी चाहिये थीं इनका उल्लेख इस अभिभाषण में नहीं किया गया है। कई समस्यायें हैं किसानों की जो कि अभिभाषण में सम्मिलित होनी चाहिये थीं, उनके बारे में निवेदन करना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, भयंकर ओलावृष्टि से सारा ही जिला संत्रस्त है। सारे राजस्थान में खरीफ की फसल पर अतिवृष्टि से और रबी की फसल पर ओलावृष्टि से असर हुआ है। किन्तु राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में इसका जिक्र तक नहीं किया है। फेमिन कोड के अनुसार पुरुष मजदूर को 3॥ रुपये और स्त्री को 2॥ रुपये मजदूरी के देते हैं इसको बढ़ाया जाना चाहिये। कहां कहां रिलीफ केन्द्र खोले जावेंगे इसकी ओर भी ध्यान नहीं दिया गया है। इसलिए राज्य सरकार को नीति सम्बन्धी घोषणा करनी चाहिए कि क्या क्या अमेंडमेंट फेमिन कोड में करना चाहती है। राज्य सरकार ने 40 परसेंट रखा है सड़कों के लिये। सड़कें पक्की नहीं बन सकतीं क्योंकि अतिवृष्टि से मिट्टी बह जाने से और हवा

(श्री अजीत सिंह)

–से मिट्टी उड़ जाने से सड़कें नहीं रह पाती हैं इसलिए इसमें सुधार होना चाहिए ताकि सड़कों की जो समस्या है गांव गांव में वह समस्या दूर हो सके । फेमिन कोड में दुरुस्ती नहीं होगी तो पक्के काम नहीं लिये जावेंगे । गरीबी दूर करने के लिए पूरे साधन मिलने चाहिएं और उसकी पूरी व्यवस्था होनी चाहिये ।

एक बड़ी घोषणा की भ्रष्टाचार को समाप्त करने की । इस तरह से यह दूर नहीं हो सकता । यह समाप्त होना चाहिये इसमें किसी की भी दो राय नहीं लेकिन आज हम देख रहे हैं कि यह बहुत ही विकट समस्या बनी हुई है । समाधान तब ही हो सकता है जब कि सुनवाई तत्काल हो । अधिकारियों पर पकड़ ढीली है । राज्य सरकार के अधिकारी ठीक प्रकार से काम नहीं करते हैं । जो काम होना चाहिये वास्तव में वह तो होता नहीं है और भ्रष्टाचार होता चला जाता है ।

पहले हमारे जिलों के अन्दर जिला सतर्कता समितियों का निर्माण किया गया था । उसके अन्दर दो-दो मैम्बर्स रखे जाते थे । जिले के अन्दर जो समस्याएं होती थीं भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में उनसे समिति द्वारा रिलीफ दिलाया जा सकता था । लेकिन, माननीय उपाध्यक्ष, उसमें न तो कोई नोमीनेट हुआ है और न कुछ कार्यवाही हुई है । वह बहुत अच्छी थी जिला लेवल पर सतर्कता समिति । आपने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया और न इसके बारे में कोई नीति का निर्धारण किया कि वे रहेंगी या नहीं । इसके साथ-साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार निरोधक विभाग माननीयमुख्य मंत्रीजी के पास है, लेकिन कई जिलों के अन्दर भ्रष्टाचार निरोधक विभाग के आफिसेज नहीं हैं । इसका मतलब यह है कि वहां भ्रष्टाचार निरोधक विभाग की जरूरत नहीं है । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब तक हरएक डिस्ट्रिक्ट पर भ्रष्टाचार निरोधक विभाग का एक एक आफिस कायम नहीं करेंगे तब तक भ्रष्टाचारी अधिकारियों में डर नहीं होगा ।

इसके साथ साथ मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तरह से पुलिस में केस का रजिस्ट्रेशन किया जाता है और रजिस्ट्रेशन होने के बाद तत्काल ही इन्वेस्टीगेशन शुरू हो जाता है उसी प्रकार से इस विभाग में भी जैसे ही कोई आदमी यह शिकायत कर दे कि मुझे इस प्रकार से दबाकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है, मुझसे पैसा लिया जा रहा है तो तुरन्त सुनवाई करके भ्रष्टाचार निरोधक विभाग को अगर इन्क्वायरी करने का अधिकार नहीं होगा और वह कानूनी कार्यवाही नहीं करेगा तो कोई फायदा नहीं होने वाला है । आज कोई शिकायत करता है तो उस अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए ऊपर से स्वीकृति लेनी पड़ती है और उसके बाद केस चलता है । तो इसमें बड़ा स्लो प्रोसेस हो जाता है । जब स्लो प्रोसेस हो जाता है तो उसके खिलाफ सबूत पेश करना मुश्किल हो जाता है । इस लम्बे प्रोसेस के लिए अपनी नीति में सुधार करके भ्रष्टाचार निरोधक विभाग को सक्रिय बनाना चाहिए ताकि भ्रष्टाचार के उन्मूलन में सहूलियत मिले ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं वितरण प्रणाली के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगा । वितरण प्रणाली जो पहले थी उसी के आधार पर आज सप्लाई विभाग काम कर रहा है । उपाध्यक्ष महोदय, वितरण प्रणाली पर आप

(श्री अजीत सिंह)

अगर ठीक प्रकार से विचार करें और देखें तो चीनी का विवरण केवल बोरियों के आधार पर होता है। चीनी बांटने की व्यवस्था में दुकानदार को केवल बोरी बचती है। तो समझ में नहीं आता है कि यह पुरानी प्रणाली आज भी क्यों चालू है ? इसको आपको देखना चाहिए ? कोई भी दुकानदार केवल बोरियों के आधार पर धन्धा नहीं करना चाहता है। निश्चित रूप से इसमें भ्रष्टाचार होता है और जो चीनी उनको सस्ती दी जाती है उसका ब्लैक होता है जो कि एक तरह का भ्रष्टाचार है।

इसके साथ ही जो कोर्स कपड़े के वितरण की व्यवस्था करते हैं उसके अन्दर धोती जोड़ा दिया जाता है किसानों तक पहुंचाने के लिए किन्तु वह किसानों तक तो पहुंचता नहीं है और बीच के अन्दर ही गोलमाल हो जाता है। सरकार कैसे उसमें राहत दिलायेगी इसका कोई तरीका तो इसमें प्रस्तुत नहीं किया गया। यह भी इसके अन्दर होना चाहिए था।

बेरोजगारी समस्या के सम्बन्ध में निवेदन है कि बेरोजगारी सुरसा के रूप में खड़ी है। हजारों लड़के जो हर साल स्कूलों से निकलते हैं वे बेरोजगारी की समस्या से पीड़ित हैं। इस समस्या का समाधान सरकार किस प्रकार से निकालेगी और उसके लिए क्या करने जा रही है इसके बारे में इसमें सरकार को स्पष्ट बताना चाहिए था। इसका इसमें अभाव है।

पेयजल की समस्या के संबंध में मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि बनास योजना की स्वीकृति बहुत पहले हो चुकी है। उससे जयपुर, अजमेर, नसीराबाद और ब्यावर वगैरह के लिए पानी देने की बात थी, लेकिन इस अभिभाषण में उसका कहीं उल्लेख नहीं है। ऐसी इम्पार्टेन्ट और अहम बात को इसमें नहीं रखना अनुचित है। पेयजल की समस्या का समाधान बड़े बड़े शहरों के लिए करना चाहते है तो निश्चित रूप से इसमें उनके बारे में कहा जाना चाहिए था कि सरकार उस संबंध में क्या कर रही है। वर्ल्ड बैंक की बात तो पहले से चल रही थी और कांग्रेस सरकार भी कहती थी, वर्ल्ड बैंक से बात कर रहे हैं, लेकिन इस समस्या का समाधान आज तक नहीं हुआ। इस तरह से यह अभिभाषण परिपूर्ण नहीं है। अगर जनता सरकार अपनी साख जमाना चाहती है तो कुछ करके बताये। कोरे आश्वासन देती है उससे काम चल जायगा, यह बात अब नहीं है। वह दिन अब लद गये हैं। अब समस्याओं का समाधान आपको करना चाहिए।

स्वास्थ्य और चिकित्सा के बारे में आपने योजनाएं रखी है। वह कोरी बातें हैं। इसके लिए कोई योजना आपकी नहीं है। ई. एस. आई. की डिस्पेन्सरीज से काफी मजदूर परेशान हैं। इसके अन्दर चिकित्सा विभाग को कुछ हिस्सा देना पड़ता हो, यह बात नहीं है। मेरी समझ में नहीं आता है कि स्वास्थ्य मंत्री इसके बारे में कार्यवाही क्यों नहीं करना चाहते हैं। आपको बहुत कम पैसा लगाना पड़ता है। मैंने इन्दौर, उज्जैन की ई.एस.आई. की डिस्पेन्सरियां देखी हैं वह वेल इक्विप्ड हैं और जगह वे वेल इक्विप्ड हैं लेकिन हमारे जयपुर में ई. एस. आई. डिस्पेन्सरीज की हालत

(श्री अजीत सिंह)

बहुत गिरी हुई है। न तो वहां औजार हैं और न डाक्टर्स वगैरह का कुछ इन्तजाम है। अभी नया ई. एस. आई. का औषधालय बनाया है उसमें भी काफी इक्विपमेंट नहीं हैं और पट्टियां वगैरह की कमी है। मजदूरों के पूरे इलाज की व्यवस्था ई. एस. आई. की डिस्पेन्सरीज में करनी चाहिए। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इसकी सुचारु रूप से योजना बनाकर पूरा पैसा लगाकर इसकी पूर्ति करायें ताकि जो गरीब वर्ग है, मजदूर वर्ग है उसका भला हो सके।

स्वास्थ्य केन्द्र गांवों के अन्दर खोलने के के बारे में भी स्पष्ट नीति आपको बनानी चाहिए। क्या एक एक गांव के अन्दर पंचायत समिति के अन्दर आप डिस्पेन्सरी लगाने जा रहे हैं? अगर इस तरह से सोचते हैं तो वहां पर मकान की व्यवस्था गांव वालों को करनी पड़ेगी। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि डिस्पेन्सरी तो आपने खोल दीं लेकिन उनके लिए काफी पक्के मकान आपको बनाने पड़ेंगे। गांव वालों की हैसियत इतनी नहीं होती है कि वह पक्के मकान बनाकर दे सकें। तो गांवों के अन्दर एड-पोस्ट्स ही खोले जाने चाहिए ताकि छोटे कच्चे मकान के अन्दर ही काम चल जाय। मैं निवेदन करूंगा कि प्रथम स्टेप आपका जो होना चाहिए वह एड-पोस्ट का होना चाहिए। उसको बनाकर फिर जनरल गांव का विकास करना चाहिए ताकि वह डिस्पेन्सरी की बिल्डिंग बना सकें। डिस्पेन्सरी के के लिए काफी बड़ी बिल्डिंग चाहिए उसकी पूर्ति नहीं होती है इसलिये मैं चाहूंगा . . .

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं चाहूंगा कि उद्योगों में सुधार होना चाहिए ताकि गरीबों को रोजगार मिल सके।

एक बात और मैं निवेदन करना चाहूंगा। रोडवेज की समस्याओं का समाधान होना चाहिए। रोडवेज का ऐसा हाल कर रखा है कि कोई भी गाड़ी टाइम पर नहीं मिलती है। रोडवेज की व्यवस्था बहुत गिरी हुई है। जनता पार्टी की इससे साख गिरती है। रोडवेज की बसों में हम बैठते हैं तो दुनिया भर की गालियां सुननी पड़ती हैं। आप राष्ट्रीयकरण के पीछे पड़ गये, जैसे कि सारी समस्याओं का समाधान राष्ट्रीयकरण हो। राष्ट्रीयकृत मार्गों पर चलने वाली गाड़ियां खराब हैं। इससे राष्ट्रीयकरण से जनता का विश्वास हट जायगा। मैं चाहता हूं कि आप इस सब को ठीक करें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रघुनाथ विश्नोई।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचौर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गवर्नर महोदय ने जो अपना अभिभाषण इस सदन में आकर दिया है, उस बारे में कुछ बातें रखना चाहता हूं। इस संबंध में लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य ने धन्यवाद का प्रस्ताव पेश किया है। माननीय उपाध्यक्ष जी, जैसा कि हमारे विरोधी पक्ष के नेता ने बताया कि जो सरकार ने गवर्नर महोदय से बातें कहलाई कई चीजों के बारे में वे सारी घोषणाएं ही हैं। पिछले अभिभाषण में भी यही बात कही गई थी कि जो 30 वर्षों से सत्ता चली आ रही थी उसको जनता ने ठुकरा दिया। इस बार भी वही बात दोहराई गई है। उसके बाद उपलब्धियां

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

और आंकड़े बताये गये हैं। तो पिछली सरकार भी इसी तरह से करती रही थी। पहले से फाइलों में जो स्कीमें थी और उनके सम्बन्ध में गवर्नमेंट ने निर्णय लिये थे उनके इम्प्लीमेन्टेशन के रूप में इस गवर्नमेंट ने कुछ कदम उठाये हैं।

इसके अलावा अन्त्योदय योजना का ही प्रचार सब तरफ किया जा रहा है। सारे देश में यह कहा जा रहा है कि यह एक नई योजना है। उपाध्यक्षजी, आपको भलीभांति मालूम होगा कि बीस सूत्री कार्यक्रम में क्या था। उसमें सरकारी कर्मचारियों के बारे में था और गरीबों को भूमि देने व उनकी आवासीय व्यवस्था करने के बारे में था। जितनी भी योजनाएं थीं, जो गरीबों को इफेक्ट करने वाली थीं क्या उनका क्रियान्वयन नहीं हुआ? सिर्फ एक परिवार नियोजन के मामले को लेकर ही जनता पार्टी का निर्माण हुआ है। सब पार्टियां इकट्ठी हुईं और उसी को बेस मानकर चुनाव लड़ा गया। परिवार नियोजन के कुछ उदाहरण देकर कहा गया कि कांग्रेस सरकार और यह इन्दिरा सरकार सारे लोगों को काट देगी, मार देगी। इस तरह का भय फैलाया गया। उसका नतीजा कितना बुरा इस देश में और राजस्थान में हुआ यह दिखने लगा है। प्रधान मंत्रीजी दरख्वास्त करते हैं, और यहां की सरकार भी दरख्वास्त करने लगी है। लेकिन मुझे यह जानकर बड़ा दुःख हुआ कि परिवार नियोजन या परिवार कल्याण, कुछ भी कह दें, के बारे में गवर्नर महोदय ने कुछ नहीं कहा।

पिछले दस महीनों में सरकार ने इसमें क्या उपलब्धि की है? आपात काल में क्या ज्यादतियां हुई थीं उसके तो कुछ केसेज सामने आ गये। उसमें सरकार की मन्शा यह है कि परिवार नियोजन के आपरेशन की वजह से जिन लोगों को भी तकलीफें उठानी पड़ी हैं सरकार उनका सारा खर्च बहन करेगी। उसके सम्बन्ध में फोलो अप एक्शन इस सरकार ने लिया है। लेकिन प्रधान मंत्री ने जो पोस्टर्स भेजे हैं जनता पार्टी उनको गांवों में ले जाने की हिम्मत भी नहीं कर सकी है, जब कि हम गांवों में ले गये थे। अभी हुए पंचायतों के इलेक्शन का मामला ले लीजिये। कोई बात किसी ने मुंह से निकाली? कतई नहीं। तो, उपाध्यक्ष महोदय, जनता सरकार का यह कहना है कि गरीबी को दूर करने जा रहे हैं, यह नेशनल प्राब्लम है। लेकिन एक साल हो गया आपने क्या किया। जनता सरकार वापस वोट लेने के लिये जाये तो क्या नतीजा होगा, यह आपके सामने स्पष्ट है। आप कहते हैं कि कांग्रेस सरकार ने यह किया, हमारी सरकार ने यह किया। आप क्या करने जा रहे हैं, यह आपके एलान हैं। बिजली की रेट्स के खातेदारों के 8–10 महीनों के एरियर्स के बिल्स चस्पा कर दिये। जिन काश्तकारों को बिजली के एरियर्स के बिल्स सर्व किये गये, उनको आप बचाना भूल गये। आपको उन लोगों को बचाना था। आप कहते हैं गरीबी दूर करेंगे परन्तु साल भर होने वाला है उनको कोई रिलीफ नहीं दिया। गवर्नर महोदय के अभिभाषण में, हम आशा रखते थे, इस तरह की घोषणायें होंगी लेकिन कुछ नहीं हुआ। आप कहते हैं कि रेवेन्यू अभियान के अन्दर हजारों लाखों फैसले कर दिये। यह लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य भी अच्छी

(श्री रघुनाथ बिश्नोई)
तरह से जानते हैं कि सिर्फ दफा 91 के केसेज डिसाइड किये हैं और ज्यादातर खारिज किये हैं। दस जिले तो ऐसे हैं जहां अलाटमेंट का प्रोग्राम ही नहीं था। पट्टों का मामला था तो इस बारे में यह कौन सी उपलब्धि है? इस बारे में पहले भी अभियान चले हैं। इस बारे में कह कर ही सिर्फ सन्तोष नहीं कर सकते।

हरिजनों के ऊपर अत्याचारों का मामला है। बाबू जगजीवनराम के निर्वाचन क्षेत्र में क्या क्या हो रहा है, यह उन्होंने दुखी मन से जगह जगह कहा है। राजस्थान में भी भूमि के बेदखली के मामले हुए हैं। बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत जो भूमि दी थी वह छीन ली है। हम आशा रखते थे कि पिछली सरकार ने पिछड़ी जाति के मामलों में जो कार्यक्रम हाथ में लिये थे उनको गति मिलेगी लेकिन हरिजन दुखी हो रहे हैं। गृह मंत्री जी यहां बैठे हैं उनको मैं निवेदन करना चाहता हूं कि गांव के पिछड़ी जाति के लोग आज असुरक्षित फील कर रहे हैं। आप कहते हैं, कांग्रेस सरकार ने कुछ नहीं किया था लेकिन आपको एक साल हो गया, आपने क्या किया? अभी थानेदारों का सवाल आया था। सारे थानेदारों का सलेक्शन पी.एस.सी. से होता है। 10-15 हजार रुपया देकर सलेक्शन होता है। पिछड़ी जाति का इस तरह से एक थानेदार नहीं आने वाला है। वह आ भी नहीं सकता।

श्री खेतसिंह राठौड़ : वहां इनका कोई मेम्बर भी नहीं है।

श्री सम्पतराम (गृह मंत्री) : इससे पहले तो आपकी सरकार थी। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पिछली सरकार के समय में तीस सालों में जितना रिक्रूटमेंट पिछड़ी जाति का हुआ था, हम पांच साल में कर देंगे।

श्री खेतसिंह राठौड़ : पांच साल रहने कौन देगा?

श्री रघुनाथ बिश्नोई : बी.ए., एम.ए. पास अनुसूचित जाति के काफी लोग हैं। सलेक्शन का जो प्रोसीजर है उसके कारण आप हताश ही होंगे। आपको कुछ न कुछ गवर्नर महोदय से कहलवाना चाहिये था, आपको कुछ घोषणा करवानी चाहिये थी। कौन से ऐसे गरीबों के पक्ष के जजमेंट के मामले लिगर आन नहीं हुए? कुछ कानून में चेन्ज होनी चाहिये थी। इन मामलों में यह सरकार कुछ नहीं कर पाई है। चाहे शाह आयोग बैठा दीजिये, चाहे बेरी आयोग बैठा दीजिये, यह आयोगों की सरकार है। इससे केसेज के निपटारे में तत्परता नहीं आयेगी। जो केसेज के एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, जो लूट खसोट हो रही है उससे लोग भयभीत हैं। कौन से लोग भय रहित हुए हैं? आपके सामने क्या है? हरिजन अपने आपको सुरक्षित फील नहीं कर सकता। इसलिए, माननीय उपाध्यक्ष जी, आपके जरिये गृह मंत्री जी से, जो पिछड़ी जाति के हैं, पूछना चाहता हूं, साल भर में क्या क्या रिलीफ देंगे ताकि वे अपने को सिक्योर फील कर पायें? तभी धन्यवाद देने के लिए एकजुमली हम सोचेंगे। आपके अन्तःकरण में सहयोग की क्या भावना है? पोर्टफोलियो पूरा समझ कर दीजिये, पूरा काम करने दीजिये। जो बोनाफाइड रह कर काम नहीं

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

करेंगे जनता उनको बख्शने वाली नहीं है। छः स्टेटों के अन्दर आपकी जनता पार्टी का एक साल बाद ही कहीं बहुमत आया। एक साल से आप अपना राज भी भोग रहे हैं।

श्री दाऊदयाल जोशी : आपके कैन्डीडेट की पहले भी जमानत जब्त करवाई है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : इस बात से सन्तोष होने वाला नहीं है, जोशी जी। वही जनता वापस आपकी जमानत जब्त करवा सकती है।

(व्यवधान)

अब वोट देने वाले लोग इतने भोले भाले नहीं हैं। इसके लिये मैं इतना ही कहकर सन्तोष कर लूंगा, तीस साल तक कांग्रेस के शासन के बाद जनता पार्टी की सरकार आ गई। अब दूसरी पार्टियां सपना देखेंगी। आप लोग परमानेंट नहीं हो, हम लोग परमानेंट नहीं हैं। खाली तालियां पीटने से काम होने वाला नहीं है।

एक साल हो गया, अगले साल का अब बजट आयेगा फिर कैसे पिछले बीस साल की बात कह सकते हैं। दो सीटें और खाली हो गईं हैं। अब इन्तजार कीजिये कि इन पर कौन आयेगा। जिस तरह से लॉ एन्ड आॅर्डर की स्थिति खराब हो रही है उसके कारण हर आदमी अपने आपको अन-सिक्योर फील कर रहा है। कोई गवर्नमेंट सर्वेन्ट अपने आपको सिक्योर फील नहीं कर रहा है। एक सरकारी कर्मचारी कल मिला, उसने कहा, मेरे साथ अन्याय हुआ है। मैंने उसकी बात को पूरी तरह से सुना। उसकी बिल्कुल वाजिब बात थी। मौका पड़ा तो उसको आपके सामने लायेंगे। एक तरफ आप कहते हैं हमारे पास स्टाफ नहीं है और दूसरी तरफ कहते हैं गांवों में उपचार की व्यवस्था करेंगे। उसके लिये आपने फन्ड की भी व्यवस्था की है लेकिन साथ में आपने यह कहा है कि गांवों में मदद करेंगे लेकिन उसके साथ शर्त यह होगी कि जहां बराबर का जनता का योगदान और जन सहयोग उपलब्ध हो। इससे तो आपने गांव वालों के अधिकारों के ऊपर एक तरह का कुठाराघात किया है। आपको मालूम होना चाहिए कि डाबरिया जी ने इसी बारे में वाक आउट किया था। जहां पर गरीब से गरीब आदमी रहता है उस गांव में चंदा देने की स्थिति नहीं है तो चंदा कहां से लायेंगे? आपने यह कह दिया कि बिना जन सहयोग और योगदान के हैल्थ सैन्टर नहीं खोलेंगे। यह क्या तमाशा है? यह आपकी कौनसी योजना है कि गांवों में स्कूल खोलें तो गांव वाले भवन बनायें, अस्पताल बनायें तो भवन बनायें। तो मेरा निवेदन है कोई गांवों में सेठ-साहूकार तो हैं नहीं। सीकर झुंझुनूं जैसे हर गांव तो हैं नहीं। आप कहते हैं पोस्ट ग्रेजुएट कालेज खोल दिया, यह कर दिया, वह कर दिया तो जहां जहां स्कूल भवन दे दिये वहां आगे खोल दिये। मैं निवेदन करना चाहता हूं, बहुत से गांवों में 50 पर्सेन्ट तो स्कूल बन्द पड़े हैं। पहले तो मंत्री जी ने कह दिया कि मैं नया हूं, मुझे समझने दें। जब वे समझ गये तो अब नये मंत्री जी आ गये। तो साल भर अब ये मंत्री जी समझेंगे और समझने के बाद फिर पोर्टफोलियो चेन्ज कर देंगे। यह अब आप भूल जाइये। रात दिन मेहनत करके आपको काम करना पड़ेगा।

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं मेरे गांव में एक लड़का है–एम.ए., एल एल.बी. है उसको शराब बनाने के धन्धे में झूठा केस बना कर गिरफ्तार किया गया। हुकमा राम जी एम.पी. हैं उन्होंने कहा और हम सब यहां बैठे हैं हमने भी कहा। आप कब तक उसको न्याय दिला सकेंगे? कलेक्टर साहब से बात हुई तो उन्होंने भी कह दिया कि मैं कनविन्स तो हो गया लेकिन प्रश्न दूसरा है, इस केस को विथ–ड्रा करवायें। हमने बहुत माथा-फोड़ी की लेकिन कुछ कर नहीं सके। हम इतने प्रतिनिधि बैठे हैं फिर भी न्याय नहीं करा सके। सिर्फ गांवों की पार्टीबाजी के कारण गिरफ्तार कर लिया गया। मैं तभी धन्यवाद दूंगा जब आप उसके साथ न्याय करेंगे।

उपाध्यक्षजी, मैंने गृह मंत्री जी से कहा तो उन्होंने कहा फाइल ही नहीं भेजी है। यह कह दिया कि चालान पेश कर दिया लेकिन वास्तव में चालान पेश नहीं किया गया। इस तरह से आप जनता के साथ धोखा करते है। गवर्नमेंट मशीनरी जनता के साथ धोखा करती है। इसलिये मैं गृह मंत्री जी से कहूंगा कि आपको जोश से काम करना पड़ेगा। जितने दिन आपको काम करना है उतने दिन जोश के साथ काम करें और नहीं तो जैसे माननीय केदार जी से गृह विभाग चला गया वैसा ही आपके साथ भी हो जायगा। मास्टर आदित्येन्द्र भी कह रहे थे...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

...आप तो हमेशा आन्दोलन करते थे, भूख हड़ताल करते थे, आपके पास यह पोर्टफोलियो हो तो उन्होंने कहा, यह नहीं चलेगा। यह आपको निभाना है। एम.एल.एज. को टाइम देना चाहिये घन्टे भर का और उनके क्षेत्र की समस्याओं को पीसफुली सुनना चाहिये। अब आपके पास पोर्टफोलियो आ गया है ट्रान्सपोर्ट का। हम भी आपको सहयोग देंगे। मैं सुराणा साहब को भी धन्यवाद दूंगा और कहूंगा कि वे अपनी पार्टी को इस तरह से चलावें जिससे जनता में सन्तोष पैदा हो। आपने पहले का सारा रिकार्ड तोड़ दिया, इससे आज जनता में बड़ा भारी असन्तोष है। मेरा निवेदन है कि सर्विसेज को सेफ्टी दें, वे सिक्योर फील करें जिससे सरकार का काम ठीक ढंग से चले। इन्साफ से काम करने वाले कर्मचारियों को प्रोत्साहन दें, भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन मत दें...

श्री खेतसिंह राठौड़ : भगवान आपको सद्बुद्धि दें..

श्री रघुनाथ विश्नोई : भगवान आपको सद्बुद्धि दे। भ्रष्टाचार को दूर करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेरा निवेदन है कि एक बार नन्दा जी ने भी घोषणा की थी। फिर जिस तरह उनका हाल हुआ वही हाल आपका भी होगा। भ्रष्टाचार नहीं या मैं नहीं, ऐसा कहने की भूल मत करना। आप तो खिलाड़ी हैं। मैं, उपाध्यक्ष जी, आपके मार्फत यही कहूंगा कि जो गवर्नर महोदय ने बातें कही हैं उनमें यदि कहीं कोआपरेटिव सोसायटी के बारे में कहते, दुग्ध विकास के बारे में कहते, ग्रामीणों की शिक्षा के बारे में कहते, उनको सुरक्षित स्थान दिलाने के बारे में कहते, यदि इस प्रकार की कोई घोषणा करते तो हम कहते कि विकास का काम करना चाहते हैं। कोई आधार तो

(श्री रघुनाथ विश्नोई)
होना चाहिये। इस तरह घोषणा से अब काम चलने वाला नहीं है। आइन्दा आपके सामने खतरा हो जायगा।

इन सब बातों को देखते हुए और आंकड़ों व तथ्यों को देखते हुए मैं बिलकुल सेटिस्फाइड नहीं हूं, इसे आप स्वीकार करें या न करें लेकिन अब आपको भी यह सब महसूस होने लग गया है। हमारी सहानुभूति है आपकी अन्त्योदय योजना से लेकिन योजना को आप सख्ती से लागू करें। यदि जनता की समस्याओं को हल नहीं करेंगे तो...

श्री खेतसिंह राठौड़ : साफ हो जाओगे।

श्री रघुनाथ विश्नोई : तो आपको मुश्किल हो जायगी और आप अधिक दिन नहीं रह पाओगे। जो गवर्नर महोदय ने आंकड़े दिये हैं, मैं बिलकुल उनसे सन्तुष्ट नहीं हूं। इसलिये जो धन्यवाद प्रस्ताव माननीय सुराणाजी ने प्रस्तुत किया है, उसका समर्थन करने में मैं असमर्थ हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री दाऊ दयाल जोशी।

श्री दाऊ दयाल जोशी (दीगोद) : उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय : अभिभाषण...

× × ×

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, यहां पर ट्रांसलेशन अनुवाद की व्यवस्था नहीं है इसलिये आप हिन्दी में ही बोलिये।

श्री दाऊदयाल जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करता हूं। श्रीमन्, मुझे ऐसा लगता है कि....

श्री खेतसिंह राठौड़ : यह मन्दिर नहीं है। मन्दिर की भाषा में मत बोलिये।

श्री दाऊदयाल जोशी : यह मन्दिर की भाषा नहीं, देववाणी है। माननीय खेतसिंह जी, आप तो शिक्षा मंत्री रहे हैं। संस्कृत भाषा के प्रति आप घोर उपेक्षा बरत रहे हैं....

श्री खेतसिंह राठौड़ : उपेक्षा नहीं कर रहा हूं। हम तो संस्कृत की उपेक्षा नहीं कर रहे हैं....

श्री दाऊदयाल जोशी : खेतसिंह जी, आपके कार्यकाल में तो संस्कृत भाषा की तरक्की हुई है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : खूब तरक्की हुई है। खूब तरक्की की है हमने तो।

एक माननीय सदस्य : आपने देववाणी कहा है और इन्होंने मन्दिर वाणी कहा है। तो दोनों में फर्क नहीं है।

श्री दाऊदयाल जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, आज नहीं कल, कल नहीं परसों यह राष्ट्र भाषा बनेगी। हिन्दुस्तान में मैं इसे राष्ट्र-भाषा के रूप में मानकर चलता हूं। यह अपने तक सीमित रखिये। दक्षिण में जाकर देखिये संस्कृत भाषा की कितनी कदर हो रही है....

(व्यवधान)

××× भाषण का संस्कृत अंश अंकित नहीं किया गया।

(श्री दाऊ दयाल जोशी)

माननीय सदस्य आप मेरा समय बीच बीच में बोलकर खराब न करें। मैं अपनी बात रखना चाहता हूं। माननीय सदस्यों के प्रति मेरी कोई दुर्भावना नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि ना पक्ष शायद इस बात की कसम खाये बैठा है कि हमें हर महीने जो सेलेरी मिलती है वह केवल यहां बैठने की ही मिलती है अध्ययन की नहीं। इतना सुन्दर अभिभाषण है। मैंने पिछले 6–7 राज्यपाल महोदय के अभिभाषणों को पढ़ा है और उनका पिछले दो दिन से अध्ययन किया है। जो 25 पृष्ठों का अभिभाषण है उसमें 25 में से 15 पृष्ठ में केवल किसानों की ही बात कही गई है केवल गांवों की बात कही है, केवल विकास की बात कही है। मैंने पिछले पांच सात अभिभाषणों को पढ़ा है लेकिन किसी में भी इनके बारे में, किसानों के बारे में, ग्रामों के बारे में इतनी जोर से, इतने जोश के साथ कोई बात नहीं कही गई। फिर भी ना पक्ष की ओर से आज इस तरह की बात कही जाती है।

(व्यवधान)

मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य अगर इस अभिभाषण को यहां से ले जाने के बाद एक बार भी पढ़ने की कोशिश करते तो उनका जो इस प्रकार का नकारात्मक रुख नजर आ रहा है, वह निश्चित रूप से सकारात्मक दिखता। लेकिन दुर्भाग्य है कि माननीय सदस्य, जो पुराने सदस्य हैं, इसको पढ़ने का भाव नहीं रखते। मेरा निवेदन है कि मैं यहां राज्यपाल महोदय को इस अभिभाषण के लिए धन्यवाद अर्पित करूं वहां मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय को भी धन्यवाद दिए बिना नहीं रहूंगा जिन्होंने एक तरफ अन्त्योदय योजना के माध्यम से गरीब के उत्थान की बात कही वहीं दूसरी तरफ चालीस रुपये की वृद्धावस्था पेंशन की बात भी कही। हमारे माननीय खेतसिंहजी कह रहे थे कि यह तो हमारी कार्यान्वित की हुई योजना थी। श्रीमान्जी, अगर आपके द्वारा कार्यान्वित योजना थी, आपके द्वारा कार्यान्वित की गई थी तो क्यों नहीं वह गांवों तक पहुंची ? यह केवल अपने भाई भतीजों तक रह गई। केवल एम. एल. एज. के दस्तखत करा दिए और चालीस रुपये माहवार गरीबों को पैसा नहीं मिला। मेरे क्षेत्र में गुजरे पच्चीस दिन पहले कैम्प लगा था। इस कैम्प में जिस वृद्धा के तन बदन पर एक कपड़ा नहीं था, केवल एक लूंगी मात्र थी, केवल मात्र एक कांचली पहने हुए थी, उसने इतनी दुआ दी भैरोंसिहजी शेखावत को कि मैं आपको क्या बताऊं। लेकिन हमारे माननीय सदस्य इसको स्वीकार नहीं करेंगे। यह केवल एक वृद्धा की बात नहीं है, सब ने कहा कि हमने इस बात को पहली बार देखा। यह केवल शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स की बात नहीं है, गरीबी में सभी आ सकते हैं। इसी नाते हमने वह देखा जो कि हमारे क्षेत्र सांगोद में एक व्यक्ति के साथ हुआ। छः सात साल पहले उस पर गरीबी का आक्रमण हुआ। जब उसको चालीस रुपये राज्य सरकार ने मंजूर किए तो कलेक्टर कोटा ने कहा कि सेठजी, तुम चालीस रुपये ले जा रहे हो, कहीं गड़बड़ तो नहीं है। तो वह रोता हुआ बोला, श्रीमान् कलेक्टर साहब, मैं छः साल पहले

(श्री दाऊदयाल जोशी)
सेठ जरूर था। सांगोद के बाजार में दुकान लगा कर गेहूं बेचता था लेकिन आज मैं दर दर का भिखारी हूं। विवश होकर चालीस रुपये माहवार की पेंशन लेनी पड़ रही है। क्या यह बात माननीय सदस्य स्वीकार नहीं करेंगे? माननीय सदस्य इस बात को देखने के बाद भी इसको स्वीकार नहीं करेंगे कि उस गरीब को गरीबी मिटाने में कितनी सहायता मिली है। आपकी सरकार चाहे 'आई' कांग्रेस हो या रेड्डी कांग्रेस हो, कुछ नहीं कर सकी है। मगर आज आप इस बात को गहराई से देखेंगे तो मैं समझता हूं कि यह बात निश्चित रूप से आपको स्वीकार करनी पड़ेगी।

माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने सहायता कोष की स्थापना की है। श्रीमान्, यह पहला अवसर है। मुझे अच्छी तरह से याद है कि राजस्थान चिकित्सा के क्षेत्र में अत्यन्त पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। शिक्षा के क्षेत्र में अत्यन्त पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। चिकित्सा के सम्बन्ध में माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने तीन करोड़ रुपये का सहायता कोष स्थापित किया है जिससे ब्याज के माध्यम से साठ लाख रुपये प्रति वर्ष चिकित्सा सुविधाओं के लिए दिया जाएगा। आज आवश्यकता है कि चिकित्सा की सुविधायें बढ़ें, गांवों में एक्स-रे प्लाण्ट लगें, आधुनिकरण होकर आधुनिक चिकित्सा सुविधा लोगों को प्राप्त हो। आज हिन्दुस्तान में और राजस्थान में क्षय और कैंसर रोग फैल रहा है। केवल बीकानेर को छोड़कर कैंसर के उपचार की व्यवस्था और कहीं नहीं है। मेरा निवेदन है कि इस प्रकार के कैंसर उपचार की व्यवस्था पांच सात जगहों पर हो और क्षय और कैंसर रोग के समुचित उपचार की व्यवस्था की जावे। मेरा निवेदन है कि जहां मुख्य मन्त्रीजी यह कहते हैं कि इससे भवन निर्माण की ओर ध्यान देंगे वहां मेरा निवेदन करना यह भी है कि भवन की तरफ आप जरूर ध्यान दें लेकिन जहां पर एलोपैथिक चिकित्सा का भवन बने वहां उस भवन के अन्दर एक कक्ष में आयुर्वेदिक चिकित्सा की भी व्यवस्था की जावे। यह एक नई पद्धति होगी। जहां हमारे साथियों की यह शिकायत रहती है कि आप क्या आयुर्वेद की बात करते हो, आयुर्वेद चिकित्सा क्या काम करती है? मेरा निवेदन है कि हमें भी मौका दीजिए, हमारे आयुर्वेद बन्धुओं को मौका दीजिए। जहां पर एलोपैथिक चिकित्सक हो वहां दूसरे कक्ष में आयुर्वेदिक चिकित्सक को बिठायें। दोनों चिकित्सा पद्धतियां एक साथ चलें। अगर किसी को पक्षाघात का रोग है और एलोपैथिक चिकित्सक के पास इलाज नहीं है तो आयुर्वेद की पंचघुटी के माध्यम से पक्षाघात का रोगी ठीक होकर जावे, यह मेरा माननीय मुख्य मन्त्रीजी से निवेदन है।

श्री दयोपत सिंह मकासर (हनुमानगढ़) : मोरारजी की थ्योरी में आपकी क्या आस्था है?

श्री दाऊ दयाल जोशी : बिल्कुल सही है। वह भी एक पद्धति है चिकित्सा की।

श्री दयोपत सिंह मकासर : उनकी थ्योरी में आपको विश्वास है क्या?

श्री दाऊदयाल जोशी : यह एक थ्योरी है और इस पर भी आपको विश्वास करना पड़ेगा।

(श्री दाऊदयाल जोशी)

मेरा निवेदन है और मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे परसराम जी मदेरणा, विरोधी दल के नेता, कह रहे थे कि पहले राज्यपाल महोदय के भाषण में एक वन बैल्ट लगाने की बात थी कोटा से जयपुर तक। परसरामजी विरोधी दल के नेता हैं, कोटा जाने में तो उनको तकलीफ होती होगी, वे तो जयपुर से जोधपुर तक ही सीमित रहते हैं, उनको पता नहीं कि वन विभाग द्वारा पेड़ों के पट्ट लगाए गए हैं।

श्री माधोसिंह (रेवदर) : सब अभियान कोटा में ही चले जायेंगे।

श्री दाऊदयाल जोशी : अब तक ये सारे अभियान जोधपुर में चल रहे थे, उदयपुर में हुए थे·····

श्री माधोसिंह (रेवदर) : इसलिए अब कोटा में हो रहे हैं।

श्री दाऊदयाल जोशी : सब जगह हो रहे हैं। आपके कार्यकाल में हुआ था। अभी मैं बीकानेर गया था पी.यू.सी. के साथ दौरे में। मैंने वहां पर देखा कि बड़े बड़े गड्ढे खोद दिए गए हैं। पेड़ की खालें खड़ी हुई थी जिनको बकरियां चर गई थी। उन बकरियों की चरी हुई जगहों पर फिर से पेड़ लगाए जा रहे हैं। मेरा निवेदन करना है कि जहां पेड़ लगाए जा रहे हैं वहां पर बहेड़ा के पेड़, आंवला के पेड़, फलों के पेड़ लगाए जा सकते हैं जिससे वे केवल मात्र पेड़ न रहें बल्कि आय के साधन बन सकें। आयुर्वेदिक चिकित्सा के लिए साधन और दवाइयां प्राप्त हो सकें। मेरा निवेदन है कि जहां पौधे लगाए जा रहे हैं वहां पर महुआ के पौधे लगायें जायं ताकि चिकित्सा में काम आ सकें····

श्री खेतसिंह राठौड़ : चरने के काम आ सकें।

(व्यवधान)

जिसको आप चरते रहें।

श्री दाऊदयाल जोशी : यह पहला अवसर है, मैं खेतसिंह जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जब इस वर्ष में एलोपैथिक औषधालय 105 खोले हैं वहां इसके मुकाबले में 172 आयुर्वेदिक औषधालय खोले हैं। इसलिए मैं राज्य सरकार को अपनी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं।

मेरा निवेदन है राज्य सरकार द्वारा खनिज क्षेत्र की ओर भी बहुत ध्यान दिया गया है। मेरा निवेदन है कि मेरे क्षेत्र में बहुत बड़ा खनिज भण्डार है। सारे हिन्दुस्तान भर में चुनाई का पत्थर कोटा, बूंदी, झालावाड़ क्षेत्र से जाता है। हर रोज पांच सौ ट्रक पत्थर के गुड़ा क्षेत्र से निकल कर जाते हैं। पांच सौ ट्रक पत्थर रोज हिन्दुस्तान भर के विभिन्न क्षेत्रों में कोटा से पहुंचता है लेकिन दुर्भाग्य है कि पिछली सरकार ने करोड़ों रुपया रायल्टी का उस क्षेत्र से वसूल करने के बाद भी एक इंच सड़क नहीं बनाई। वहां पर इस सरकार ने अभी एक मील सड़क बनाई है। मेरा निवेदन है कि वहां पर एक अट्ठाईस मील का टुकड़ा है। अगर उस क्षेत्र में सड़कों का जाल बिछ जाय, अगर उनको आधुनिक यंत्र दे दिये जायं तो पांच सौ ट्रकों के बजाय एक हजार ट्रक पत्थर रोज निकाला जा सकता है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : इसके लिए भूख-हड़ताल करनी पड़ेगी आपको।

श्री दाऊदयाल जोशी : कोटा से चित्तौड़ तक रेलवे लाइन बनाने की बात है। मेरा इस सम्बन्ध में निवेदन है कि राज्य सरकार केन्द्रीय सरकार से निवेदन करे कि कोटा-चित्तौड़ रेलवे लाइन शीघ्र बनाई जावे जिससे करोड़ों रुपयों की जो सम्पदा भूमि में दबी पड़ी हुई है, वह पत्थर सारे राजस्थान में ही नहीं बल्कि हिन्दुस्तान में पहुंच सकें और हजारों ट्रक माल रोज बाहर जा सके। इसके माध्यम से राज्य सरकार के लिए भी आय का साधन हो सकता है।

मेरा निवेदन यह भी है कि मैं पी.यू.सी. के साथ जालौर में ग्रेनाइट की खानों की तरफ गया था। मेरा सरकार से निवेदन है कि हमारी ग्रामीणीकरण की योजना है तो मैं राज्य सरकार से आपके मार्फत, सभापति महोदय····

श्री श्योपतसिंह मकासर : सभापति नहीं, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री दाऊदयाल जोशी : आपने ठीक कर दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि ग्रेनाइट का कारखाना जालौर में स्थापित किया जावे, उसको जोधपुर में स्थानान्तरित नहीं किया जावे ताकि वहां पर इस काम में जो लाखों लोग लगे हुए हैं, वे अपना धन्धा बदस्तूर चालू रख सकें।

श्रीमान्, यहां पर मरुस्थल की बात कही गई और पीने के पानी की बात भी कही गई। मेरे क्षेत्र, दीगोद क्षेत्र में 78 गांव ऐसे हैं, 367 गांवों में से, जहां पानी का अकाल है। मेरे क्षेत्र में आज भी खारा पानी पीते हैं। वह तेलिया पानी है। दीगोद क्षेत्र में लोग पानी को तरसते हैं। माननीय मन्त्री महोदय से प्रश्न पूछा था। उन्होंने बताया था कि 15 लाख रुपये की आवश्यकता है। मैं माननीय मन्त्री महोदय को कहूंगा कि उसकी ओर ध्यान दें।

शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान सातवें नम्बर पर था। पर हमारे शिक्षा मन्त्री महोदय के कार्यकाल में राजस्थान चौथी संख्या पर आ गया है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : कहां आ गया है।

श्री दाऊदयाल जोशी : इतने कॉलेज और हाई स्कूल खोले हैं।

श्री श्योपतसिंह मकासर : और तबादले भी·····

श्री दाऊदयाल जोशी : इस प्रकार का प्रयास किया गया है। कुछ असंगतियां भी पैदा हुई हैं।

(व्यवधान)

अनुप्रेरणा से काम हो रहा है।

हमारे यहां पर लेफ्ट मैन कैनाल पर चम्बल टर्मिनल पावर स्टेशन लगाया जा रहा है। वह पानी वापस चम्बल में डाला जाएगा। अगर वह राइट मैन कैनाल में लिफ्ट किया जाय तो देवली तक पानी पहुंच सकता है। इससे वह देवली और टोंक तक सिंचाई करेगा। मेरा निवेदन है कि सिंचाई योजना चालू की जाय तो चम्बल का पानी देवली और टोंक तक जा सकता है। हमारे

(श्री दाऊदयाल जोशी)

क्षेत्र में एक कालीसिंध नदी है। वहां पर पांच नदियां हैं। मेरा निवेदन है कि वह सारा का सारा पानी जयपुर की तरफ मोड़ा जा सकता है। आज बनास की बात कर रहे हैं, उसके साथ ही कालीसिंध से सिंचाई की जाये, चम्बल का पानी देवली तक लाया जाये और सिंचाई की योजना बनाई जाय तो इससे अच्छी सिंचाई हो सकती है।

मेरा पुलिस के बारे में निवेदन है, पिछले सत्र में मैंने निवेदन किया था उन पुलिस मैनों के बारे में जो प्रहरी बन कर खड़े हुये हैं। इस बारे में मैंने ध्यान आकर्षण प्रस्ताव रखा था। जवाब आया था, उसमें गृह मन्त्री महोदय ने कहा था, हम भी चाहते हैं कि उनको हार्ड ड्यूटी अलाउन्स किया जाये।

श्री श्योपतसिंह मकासर : दे दो।

श्री दाऊदयाल जोशी : यह प्रहरी राजस्थान के भिन्न भिन्न क्षेत्रों से आते हैं इनके लिए पुलिस लाइन में व्यवस्था नहीं है। इनको ठहरने का कोई ठिकाना नहीं होता है। इनमें हैड कान्स्टेबल हैं और सभी पदों के लोग होते हैं। तीन दिन के बाद इनको एक धर्मशाला से दूसरी धर्मशाला में जाने के लिए कहा जाता है। इस प्रकार से गरीब प्रहरी परेशान होते हैं। केवल 4 रु. दैनिक भत्ता लेकर वह गुजारा करते हैं। जयपुर जैसे महानगर में यह बहुत ही कम है। मेरा निवेदन है कि इन गरीब प्रहरियों की ओर ध्यान दें।

हमारी सरकार ने राजस्थान के 10 जिलों में मद्य निषेध की घोषणा की है। अभी पता चला है कि 5–6 जिलों में मद्य निषेध और होगा। मेरा निवेदन है कि इनमें कोटा और गंगानगर जिलों को शामिल किया जाये। ये कृषि प्रधान क्षेत्र हैं। आप जोधपुर में मद्यनिषेध करने जा रहे हैं, वह जोधपुर के बजाय कोटा में कर दीजिए। कोटा में मद्यनिषेध निश्चित रूप से लागू कर दीजिए। खेतसिंह जी भी कहते हैं। शराबबन्दी कोटा और गंगानगर में कर दें तो वहां के गरीब व्यक्ति हैं, उनको लाभ होगा। मेरा निवेदन है..

(समय–समाप्ति–सूचक घण्टी)

जनता सरकार ने इस तरफ ध्यान दिया है।

मुझे समय का ध्यान है।

पिछली सरकार के समय लोग मर जाते थे लेकिन उनको पेंशन की राशि नहीं मिलती थी। उनके रहते रहते पेंशन, ग्रेच्युटी नहीं मिल पाती थी। हमारी सरकार ने घोषणा की है कि हम जून-जुलाई में अभियान चलायेंगे। जो मामले पड़े हुऐ हैं, उन सभी को निपटाया जायगा। उनको एक साथ ही निपटाया जाएगा।

अन्त में मैं अपनी सरकार को देववाण्यां धन्यवाद समर्पित करोमि।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शिवचरण सिंह।

श्री शिवचरण सिंह (बयाना) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर मैं अपने विचार व्यक्त करते हुए निवेदन करना चाहूंगा कि जनता पार्टी ने चुनावी घोषणाएं की थीं उनसे यह आशा बन्धी थी कि कोई आमूल चूल परिवर्तन आयेगा। आर्थिक परिस्थितियों

(श्री शिवचरण सिंह)
में परिवर्तन आयेगा। लेकिन बाद में आलोचना करने के अलावा, बुराइयों का मुकाबला करने के अलावा और कोई काम नहीं किया है।

एक माननीय सदस्य : बुराइयों का मुकाबला ? यह तो बहुत अच्छा कहा है।

श्री शिवचरण सिंह : आप सुनते जाइये पब्लिक जैसा देखती है उसी प्रकार का उसका माइण्ड बनता है। अभी के चुनावों में और पिछले चुनावों के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो मालूम होता है कि हिन्दुस्तान की जनता ही सबसे बड़ी जज है।

यह जो अभिभाषण है यह जनता पार्टी की सरकार की घोषित नीतियों का प्रतिबिम्ब होना चाहिए लेकिन इसको देखने से ऐसा लगता है कि इसमें कोई स्पष्ट नीति की घोषणा नहीं की गई है और जो कोई उपलब्धियां प्राप्त की हैं उनकी तस्वीर भी इसमें नहीं मिलती है। पंचायतों के चुनाव कराये, यह तो होने ही थे, पिछली सरकार ने पंचायतों के चुनाव नहीं कराये, तो उन्होंने उसका परिणाम भुगता। इसलिए इसके लिए तो आप धन्यवाद के पात्र हैं लेकिन इसके साथ साथ जो यह बात कही गई है कि आठ आना पर हैड····

श्री सूर्यनारायण चौधरी : आठ आना नहीं, चार आना पर हैड।

श्री शिवचरण सिंह : इन संस्थाओं को अब तक जो चार आना पर हैड अनुदान दिया जाता था उसे बढ़ाकर अब ढाई रुपये प्रति व्यक्ति कर दिया गया है। यह तो पिछली सरकार की भी योजना थी। इन संस्थाओं से आपको टोटल रेवेन्यू आठ नौ करोड़ की होती है, अच्छा होता यह सारी रेवेन्यू आप पंचायतों को दे देते लेकिन आपने जो पुरानी सरकार की घोषित नीति थी उसी को मन्जूर किया, उसमें आपने कोई संशोधन नहीं किया। यह कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है। पंचायती राज के अध्ययन के बारे में कहा गया है कि अशोक मेहता कमेटी की रिपोर्ट आने पर टू टायर या थ्री टायर सिस्टम किया जायगा। कोआपरेटिव और नगरपालिकाओं के चुनाव की बात भी इसमें कही गई है। लेकिन आप नौ महीने हो गये इनके चुनाव नहीं कराये गये। ढाई रुपये पर हैड पंचायतों को देने की बात कही, साथ ही साथ आपका यह भी कर्त्तव्य था कि नगरपालिका क्षेत्र में भी आप यह घोषणा करते। आज राजस्थान के शहरों में नगरपालिकाओं की दशा देखें तो अत्यन्त शोचनीय है। इसलिये मैं सरकार को यह निवेदन करना चाहता हूं कि नगरपालिकाओं के चुनाव शीघ्रातिशीघ्र कराये जायं और नगरपालिकाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिये सरकार कोई योजना लाये।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में सहकारी समितियों के चुनाव के बारे में भी बात कही गई है। बहुत अच्छी बात है कि सहकारिता विभाग को एक कर्मठ आदमी के हाथ में दिया गया है जो भ्रष्ट लोग हैं, सहकारिता के क्षेत्र में राजस्थान में दो जिले बहुत ज्यादा भ्रष्ट हैं, एक तो भरतपुर का जिला जो सहकारिता का सबसे बड़ा गढ़ है, जहां पर सहकारिता का जन्म हुआ है, वह भ्रष्टाचार का अड्डा है। आपको मानना चाहिए कि आठ महीने पहले की गई भ्रष्टाचार उन्मूलन की घोषणा

(श्री शिवचरण सिंह)
के बावजूद मैं वहां के संसद सदस्य और विधान सभा सदस्य की बात कहना चाहता हूं, आज दलगत भावना से ऊपर नहीं उठ सके....

श्री विरदमल सिंघवी (जोधपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, जो यहां उपस्थित नहीं हैं संसद सदस्य उनके विरुद्ध कोई बात कहना उचित नहीं है।

श्री शिवचरणसिंह : जो यहां मौजूद हैं उनकी सुन लें। अभी मेरे मित्र कौशलजी बोले थे, वे आरोप लगा रहे थे, लेकिन मेरा कोई आरोप नहीं है, जनता पार्टी के एक माननीय सदस्य का आरोप है। किस प्रकार आप घोषणाओं की क्रियान्विति चाहते हैं। मैं बराबर वालों की मिसाल देना चाहता हूं लेकिन आप अपने साथियों की बात कहलवाना चाहते हैं' आप आपस में क्यों नहीं कहते।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : साल भर बाद कहेंगे।

श्री शिवचरणसिंह : मैं बोलने में होशियार हूं, मैं सब कह लूंगा।

अन्त्योदय की योजना का मैं स्वागत करता हूं, जिस मन्शा से शुरू की जा रही है उसका तो मैं स्वागत करता हूं, लेकिन उसको आपने जो स्वरूप दिया है, जो बैकग्राउण्ड है इसके पीछे, उसके बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं। डिफरेन्ट एजेन्सी के जरिये राज्य सरकार ने इसके लिए कोई प्रावधान नहीं रखा है। डिफरेन्ट एजेन्सी से लोन की व्यवस्था आज भी है, भेड़ों के लिए, खेती के उपकरणों के लिये लोन की व्यवस्था आज भी है। जिनको जमीन दी जाती है, दो बीघा, ढाई बीघा और तीन बीघा से ज्यादा जमीन उनके पास नहीं है। हमारे देश में 90 पर्सेंट आदमी गरीब हैं। आज दूसरा धन्धा करने वाले सुखी हैं और खेती करने वाले भूखों मरते हैं। आढ़त करने वाले महलों में रहते हैं लेकिन हिन्दुस्तान की खेती कभी भरपेट रोटी नहीं देती, कपड़ा नहीं देती। किसान आज भी गरीब है और पावर्टी लाइन के नीचे है। इस योजना का कन्स्ट्रक्टिव स्वरूप होना चाहिए, हम लोगों से भी सलाह लेते तो कन्स्ट्रक्टिव सुझाव देते जिसका अच्छा फायदा आम जनता को मिलता।

आपने भू-राजस्व अभियान की बात कही। हमारे देश में मैकाले पैटर्न ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है। लार्ड मैकाले ने जिस प्रकार की शासन व्यवस्था चलाई वही आज हमारे यहां चल रही है। आपके मिनिस्टर्स नहीं जानते तो मुझसे सीख लेते इन्सपेक्शन कैसे होता है। रेवेन्यू मिनिस्टर का कर्त्तव्य था कि रेवेन्यू विभाग को टोन करते। फोर्मेलिटीज पूरी नहीं हुई यह बड़ी शर्म की बात है। जमीन रजिस्ट्री से बेचते हैं, बाप मर जाता है तो स्यू-मोटो नाम बदलना चाहिए। आप अभियान के जरिये सारे प्रशासन को चलाना चाहते हैं तो इन सफेद हाथियों को निकालें, ऐसा कोई तरीका अपनायें। प्रशासन पर काबू करने पर अकर्मण्य हैं। अभियान के जरिये सारा काम करवाना चाहते हैं, यह प्रशासन की कमजोरी है। अगर मन्त्री स्तर के लोग अभियान में जाने लगेंगे तो यह कोई स्वागत योग्य निर्णय

(श्री शिवचरण सिंह)
नहीं है, इस सारे अभियान के अन्दर मैं यह निवेदन करना चाहता हूं,

श्री सूर्यनारायण चौधरी : वह तो आपका छोड़ा हुआ मिला ।

श्री प्रद्युम्नसिंह : आप को जुम्मे जुम्मे चार दिन हुए हैं मन्त्री बने अभी टाइम लगेगा सीखने में।

श्री शिवचरणसिंह : उनका तो काला मुंह हुआ, हम नहीं चाहते कि काला मुंह हो आपका, मैं आपका सफेद मुंह चाहता हूं । मैं आपकी नेकनामी चाहता हूं।

उपाध्यक्षजी, राजस्व अभियान के बाद जिसके लिए रतनलालजी रोज कहते हैं, आप इस बात की घोषणा करते कि सारे राजस्थान में सैटलमेंट होगा । कन्सोलीडेशन की घोषणा कर देते । उन सारे कामों को करते जो भूमि सुधार के लिए जरूरी हैं । आपने सीलिंग कानून की चर्चा नहीं की, कन्सोलीडेशन की चर्चा नहीं की, बन्दोबस्त की चर्चा नहीं की ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं अपने दल की ओर से बोल रहा हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : आपके दो सदस्यों की ओर सूची आई है ।

श्री शिवचरणसिंह : आज नहीं बोलेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष : अगर आप ज्यादा समय लेंगे तो वे नहीं बोल सकेंगे ।

श्री प्रद्युम्नसिंह : आप जैसे उदार उपाध्यक्ष से ऐसी आशा नहीं है ।

श्री शिवचरण सिंह : कहीं बेरोजगारी की बात नहीं कही गई है । बेरोजगारी मिटाने के बारे में घोषणा-पत्र में और पिछले अभिभाषण में कहा था कि हम रोजगार देंगे लेकिन अफसोस है कि कोई रोजगार की बात नहीं। अच्छा होता अगर जनता सरकार महाराष्ट्र कांग्रेस सरकार का अनुकरण कर बेरोजगारी भत्ते की योजना की घोषणा करती । अगर कांग्रेस सरकार का अनुकरण नहीं किया तो आपके जो दोस्त हैं बंगाल में मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी के उनका अनुकरण करते । उन्होंने बेरोजगारी भत्ते की घोषणा की है। उसका भी अनुकरण नहीं करते तो उत्तर प्रदेश जनता सरकार का अनुकरण करते । उसने बैकवर्ड क्लासेज की लिस्ट रिवाइज की है, उसने इस बात की कोशिश की कि बैकवर्ड क्लासेज को ज्यादा से ज्यादा रोजगार दिया जाए । उसने सूची रिवाइज करके इस बात की घोषणा की है कि 15 प्रतिशत नौकरियां बैकवर्ड क्लासेज को देंगे । उसने माली, गूजर, राजपूत, अहीर इत्यादि को शामिल किया है । आप सरकार पर दबाव डालकर गरीबों के लिए कुछ करें । आप चाहते हैं कि देश में सर्विसेज में वही लोग आएं जो 300 वर्ष से चले आ रहे हैं। हिन्दुस्तान में 4 जाति हैं जो हमेशा राज करती आई हैं । ब्राह्मण, कायस्थ, जैन व अग्रवाल । जब हिन्दू और मुसलमानों का पहले जमाने में राज था तब भी ब्राह्मण थे, अंग्रेजों के राज्य में आई.सी.एस. रहे, कांग्रेस के राज में भी वही लोग रहे और जनता के राज में भी वही लोग हैं । आप गरीबों को नहीं लेना चाहते । आप बैकवर्ड क्लासेज की लिस्ट को रिवाइज करें, और शिड्यूल्ड कास्टस के लोगों को ज्यादा से

(श्री शिवचरण सिंह)

ज्यादा सर्विसेज में हिस्सा दें, तब तो माना जाएगा कि गरीबों को कुछ दिलाना चाहते हैं, बाकी घिसे पिटे कांग्रेस के कार्यक्रम रट लिए, उसी तरह का भाषण दे दिया . .

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री प्रद्युम्न सिंह : अब क्लास स्ट्रगल पर आ रहे हैं ।

श्री शिवचरण सिंह : सामने जो मंत्रीजी बैठे हैं उनके सम्बन्ध में कह रहा हूँ ।

मुख्य मंत्री कहते चले आ रहे हैं कि औद्योगिक विकास होना चाहिए । यह कैसे होगा ? आपकी औद्योगिक विकास की योजना डिफेक्टिव है । आपने 11 जिले इंडस्ट्रियली बैकवर्ड घोषित किए हैं । आप कहते चले आ रहे हैं कि सभी जिलों को बैकवर्ड घोषित करायेंगे । इस अभिभाषण से बढ़कर कौनसा अच्छा मौका होगा जब सारे राजस्थान को बैकवर्ड घोषित करेंगे ? आपने छः महीने पहले पत्र लिखा उसका जवाब नहीं आया । आप एक बात तो करते कि कृषि भूमि को गैर कृषि भूमि में कन्वर्ट करने में कोई दिक्कत नहीं आये । अगर आपमें हिम्मत है और राजस्थान में औद्योगिक विकास चाहते हैं तो हरियाणा व दिल्ली की तरह कृषि भूमि को किसी भी काम के लिए फ्री कर दीजिये । वहां कोई कन्वर्शन की जरूरत नहीं होती । कोई परमिशन की जरूरत नहीं होती । हरियाणा, दिल्ली और पंजाब में कृषि भूमि पर भी चाहे उद्योग लगाए..

श्री उपाध्यक्ष : कृपया समाप्त करें ।

श्री शिवचरण सिंह : एक दो मिनट ।

इसी तरह यदि आप किसान की भलाई चाहते हैं तो इस सदन में पशु व कृषि का बीमा कराने की योजना लाते । इसी प्रकार बिक्री कर समाप्त करने की बात आपने की थी उसकी भी चर्चा नहीं है । चुंगी के लिए कमेटी बिठा दी, आयोग बिठा दिया । ये आयोग क्यों बिठाते हो ? आपके पास सरकार है, खतम कर दो ।

श्री प्रद्युम्नसिंह : With a single strok of pen

श्री शिवचरण सिंह : आपने अगर कोई अच्छा काम किया है तो केवल एक । पंचायत राज व सहकारिता विभाग एक हरिजन मंत्री को दिया और गृह विभाग, जिसमें सबसे बड़ी समस्यायें हैं, भी हरिजन साथी को दिया । यह काम तो जनता पार्टी ने दिखाने के लिए किया लेकिन कबूतर के पर काट दिए. .

श्री बाऊदयाल जोशी : आपका अनुभव क्या है ?

(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : आपको तो मंत्री भी नहीं बनाया ।

श्री शिवचरण सिंह : खनिज मंत्री ने ग्लाद्स की घोषणा की है लेकिन दुःख की

(श्री शिवचरणसिंह)

बात है कि आपको सेक्रेटेरियट ने धोखा दिया है। 15–16 तारीख को खुली नीलामी हो रही है। आज भी ठेकेदारी प्रथा को आप रखना चाहते हैं। गरीबों को नहीं देना चाहते हैं। आपने हिंडौन में दिया है, धौलपुर में दिया है जहां नहीं देना चाहिए। आप उदयपुर के इलाके में दें, करौली इलाके में दें। अगर हिम्मत होती तो घोषणा करते कि मोनोपोली को समाप्त करेंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस अभिभाषण का विरोध करता हूं और जो मैंने सुझाव दिए हैं उनको मानने के लिए प्रार्थना करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गुरुशरण छाबड़ा।

श्री गुरुशरण छाबड़ा (सूरतगढ़) : मैं कल बोलूंगा। मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री माणकलाल ठाकोर।

श्री माणकलाल ठाकोर (नैनवा) : उपाध्यक्ष महोदय, जनता सरकार धन्यवाद की पात्र है केवल इस बात के लिए कि अभी हाल में पंचायत चुनाव हुए। इसमें कोई संदेह नहीं वे चुनाव दलगत आधार पर नहीं लड़ने की घोषणा की गई थी किंतु फिर भी सभी पक्षों ने यह प्रयत्न किया कि अधिक से अधिक उनके समर्थक इन चुनावों में जीतकर आयें...

श्री प्रद्युम्न सिंह : और आपके हार गए।

श्री माणकलाल ठाकोर : इसके बाद जब हम लोग क्षेत्रों में गए तो हमें कहीं भी यह सुनने को नहीं मिला कि राजस्थान मंत्रिमंडल का कोई सदस्य भ्रष्टाचारी है या रिश्वतखोर है। पहले जब जाते थे तो अधिकांश मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे और जनता यह महसूस करती थी कि कांग्रेस का मंत्रिमंडल एक भ्रष्ट मंत्रिमंडल है....

श्री प्रद्युम्न सिंह : यह गलत है।

श्री माणकलाल ठाकोर : इसलिए जो स्वच्छ प्रशासन देने की बात मंत्रिमंडल ने कही, जिसको आप थोथा बता रहे हैं, मैं कहता हूं कि सबसे ऊपर बैठे हुए लोग, जिनका अनुकरण करना नीचे के अधिकारियों और कर्मचारियों का कर्त्तव्य है, तो स्वच्छ हैं। इसके लिए तो वे धन्यवाद के पात्र हैं।

अन्त्योदय योजना के संबंध में केवल हमारे देश में ही नहीं विदेश में भी चर्चा हो रही है...

श्री प्रद्युम्न सिंह : क्या बात है !

श्री माणकलाल ठाकोर : उपाध्यक्ष महोदय, हमारी जो अन्त्योदय योजना है...

श्री जयकृष्ण शर्मा (रामगढ़) : यह अन्त्योदय योजना तो हमारे 20 सूत्री कार्यक्रम का बच्चा है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप अभी यह कह रहे थे कि हमारी अन्त्योदय योजना की विदेशों

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

में तारीफ हुई है। वह कौन से अखबारों में है ? नाम तो बता दें। हलाहल झूठ बोल रहे है। यह तो बिल्कुल सफेद झूठ है। It is white lie.

(व्यवधान)

श्री माणकलाल ठाकोर : आप जो मुझे बीच में बोल कर टोक रहे हैं, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं और विधायकों के बोलते वक्त आपने इतना भी कष्ट नहीं किया था। आपको काफी देर से तवालत हो रही है। मैं जानता हूं, आप नवयुवक हैं और आपने नवयुवक होने के नाते काफी काम किया है। आप युवक कांग्रेस के कार्यकर्ता की तरह अपना कर्तव्य पालन कर रहे हैं।

(व्यवधान)

मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि आप उम्र से नवयुवक हैं पर आदत से आप वृद्ध हैं।

तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, अन्त्योदय योजना जो है हमारी उसकी विदेशों में काफी तारीफ हुई है। आज वहां पर यह एक चर्चा का विषय बनी हुई है। आज अन्त्योदय योजना का फल भी हमें कुछ अंशों में जरूर मिल रहा है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय, देश के अन्दर एक ऐसी स्थिति आ गई थी कि अगर हम इस अन्त्योदय योजना को शुरू नहीं करते तो देश में गरीब लोग क्रांति करते, एक जिहाद छेड़ते। लेकिन जनता पार्टी की सरकार ने उस जिहाद को शांतिपूर्ण तरीके से रोकने के लिए अन्त्योदय योजना को लागू करके उन गरीबों को ऊपर उठाने की कोशिश की है जो बहुत ही नीचे वर्ग के व्यक्ति हैं। हमने जो यह योजना चालू की इसके फल भी हमें मिल रहे हैं। इसका ही नतीजा है कि विपक्ष में बैठे लोग मुझे इसके लिए बीच बीच में टोक रहे हैं। मैं यहां पर थोड़ी उनकी प्रशंसा भी कर देता हूं जिससे कि वह प्रसन्न हो जावें। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि हमारी सरकार इस अन्त्योदय योजना का ढोल पीट रही है कि हमें अत्यधिक सफलता इसमें मिली है और हमने गरीबों की गरीबी मिटा दी है। इसके बारे में मैं यह निवेदन करना चाहूंगा, मैं इस तर्क को मानने को तैयार नहीं हूं कि गरीबों की गरीबी मिटा दी गई है। यहां पर मैं इतना जरूर नवयुवक माननीय सदस्य को निवेदन कर दूं कि जिस प्रकार की स्थिति पिछली सरकार के समय पैदा हो गई थी, वह स्थिति पैदा होने का कारण यह था कि एक ही व्यक्ति हिन्दुस्तान का तानाशाह बनने जा रहा था। जो हमारे देश के लोकतन्त्र को बरबाद करने जा रहा था उसकी आप लोग यहां तारीफ कर रहे हैं। मैं आप लोगों की तरह उनका ××× या चमचा नहीं हूं। आप मुझे बीच बीच में टोक रहे हो इसके लिए मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि अन्त्योदय योजना जो है वह बहुत ही अच्छी योजना

××× उपाध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार शब्द अपलोपित किया गया।

(श्री माणकलाल ठाकोर)

है और इससे गरीबों का भला हुआ है। पर यहां पर मैं इतना जरूर कहूंगा कि जहां दूसरे जिलों में इस अन्त्योदय योजना को कहीं अधिक सफलता मिली है वहां पर हमारे बून्दी जिले में नाम मात्र की सफलता ही अन्त्योदय योजना को मिली है। जितना भी काम हमारे यहां पर बूंदी जिले में अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत हुआ उसमें जिन जिन प्रशासनिक अधिकारियों ने और विधायकों ने भाग लिया वह सभी धन्यवाद के पात्र हैं। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, हमारे बून्दी जिले के पास कोटा जिला है जो कि बिलकुल उसके समीपवर्ती इलाका है वहां पर गरीबों को धन्धा करने के लिए कर्जा दिलाया गया पर हमारे यहां बून्दी जिले में गरीब लोगों को धन्धा करने के लिए कर्जा नहीं दिया गया। उपाध्यक्ष महोदय, कर्जा नहीं दिये जाने के कारण कुछ विशेष हैं। हमारे बून्दी जिले में अन्त्योदय के अन्तर्गत कर्जा देने के वास्ते मीटिंग भी दो बार बुलायी गयी पर स्थगित करनी पड़ी। इसका कारण यह था कि बैंक वालों ने यह कह कर पैसे देने से मना कर दिया कि जब तक वह व्यक्ति कोई जमानत देने वाला उसका खड़ा नहीं करे या सरकार खुद उसकी जमानत नहीं दे तब तक उसको लोन नहीं दिया जा सकता। अब, उपाध्यक्ष महोदय, वह गरीब व्यक्ति कहां से जमानत लावे? उसकी जमानत भी कौन दे? जब जमानत नहीं तो बैंकों ने कर्जा देने से मना कर दिया। यह हमारे राष्ट्रीयकृत बैंक हैं। आज स्थिति उन गरीबों की यह है कि जहां मीटिंग होने वाली थी वहां पर वे आ गए तो वापस जाने का किराया तक उनके पास नहीं था। तो वह जमानत कहां से लावें। बैंकों के द्वारा पैसा देने में असमर्थता प्रगट करने के कारण मीटिंग स्थगित करनी पड़ी। जब हमने निर्धन लोगों को ऊपर उठाने की बात की है, बीड़ा उठाया है तो फिर हमें उन्हें कर्जा भी बैंक से दिलाना चाहिये।

इसी सम्बन्ध में एक बात और निवेदन करना चाहता हूं, जो कि अन्त्योदय योजना के समान ही है। हमारे बून्दी जिले में एक केशोरायपाटन शुगर मिल है जो कि कई सालों से है। खुश किस्मती से यहां पर सहकारिता व उद्योग मंत्रीजी विराजमान हैं। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो केशोरायपाटन शुगर मिल है यह कोआपरेटिव मिल है। इसमें सारे शेयर्स जो हैं वह हमारे बून्दी जिले के और खास तौर से नैनवा और हिण्डोली तहसील के लोगों के हैं। वहां पर मजदूरों और लोगों को लिखित रूप से यह पर्चे बांटे गये थे कि आप गन्ना ज्यादा से ज्यादा उगायें। वह सारा गन्ना केशोरायपाटन शुगर मिल वाले खरीद लेंगे। उन गरीब लोगों ने गन्ने का अधिक मात्रा में उत्पादन किया लेकिन ऐसा हुआ कि उन गरीब काश्तकारों का गन्ना भी पूरा नहीं उठाया गया जब कि पर्चे इस आशय के पहले बांटे गये थे कि हर काश्तकार का गन्ना उठाया जायगा और मिल तब तक बन्द नहीं होगी जब तक कि हर काश्तकार का गन्ना नहीं उठाया गया हो। लेकिन मुझे बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज गरीबों के पास वह गन्ना पड़ा है और केशोरायपाटन शुगर मिल वालों ने गन्ना उन गरीब काश्तकारों का लेना बन्द कर दिया है। गत 15 तारीख से ही, मैं आपको मुख्य रूप से मेरे इलाके की बात निवेदन करना चाहता हूं कि नैनवा और हिण्डोली क्षेत्र के

(श्री माणकलाल ठाकोर)

कई काश्तकारों का गन्ना पड़ा हुआ है। आप चाहें तो मैं उन पर्चों को आपके सामने प्रस्तुत कर सकता हूं। जो पर्चे बांटे गये थे उनमें कहा गया था कि हर काश्तकार का गन्ना लिया जायेगा इसलिए अधिक से अधिक गन्ना उत्पादन किया जाय। मेरे पास मैनेजिंग डाइरेक्टर केशोरायपाटन शुगर मिल का लैटर मौजूद है। जब उन्होंने सारा का सारा गन्ना खरीदने के पर्चे बांटे तो क्या कारण है कि उन्होंने गन्ना खरीदना बन्द कर दिया? अभी चुनाव हुआ है और इसके हफ्ते भर बाद में ही यह आदेश निकले हैं। इस सम्बन्ध में हमने केन्द्रीय सरकार के राज्य मंत्री श्री कृष्ण कुमार गोयल और हमारे कोटा के राजस्थान के राजस्व मंत्री जी श्री पुरुषोत्तम मंत्रीजी से भी निवेदन किया। उन्होंने इसके लिए काफी सहयोग भी दिया पर उसके बावजूद कुछ भी नहीं हो सका।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

मेरा आपके माध्यम से राज्य सरकार से यह अनुरोध है कि जिन गरीब काश्तकारों के पास गन्ना पड़ा है उसको जल्दी से जल्दी उठाने की कार्यवाही की जानी चाहिए। पहले गरीब काश्तकारों की सूची बनाकर उनका गन्ना उठाया जाना चाहिये। बड़े बड़े काश्तकारों का तो गन्ना उठा लिया गया पर गरीबों का गन्ना अभी तक उनके पास ही है।

इसके साथ ही मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि अभी कुछ समय पहले राजस्थान के मन्त्रिमण्डल की बैठक कोटा में हुई थी। उसमें यह घोषणा की गयी थी कि...

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

उपाध्यक्ष महोदय, यह भी अन्त्योदय योजना की ही तरह है।

तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि मंत्रिमण्डल की बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि एक शुगर मिल और बून्दी में खोली जायेगी। इसके लिए पहले भी कागजी कार्यवाही चली थी लेकिन अभी तक उसका कुछ भी नहीं हुआ। ऐसी स्थिति नजर आ रही है कि जो कागजी कार्यवाही पहले बून्दी में शुगर मिल खोलने की चल रही थी वह भी शायद अब बन्द हो गयी है। इसलिए वहां पर शुगर मिल अविलम्ब रूप से खोल देनी चाहिये।

इसके साथ ही यह भी निवेदन कर देना चाहता हूं कि बूंदी में एक उद्योग और खोलने की घोषणा की गयी थी। उसके सम्बन्ध में कागजी कार्यवाही हो रही है। विद्युत मंत्रीजी यहां नहीं हैं लेकिन मैं आपकी मार्फत उन्हें निवेदन कर देना चाहता हूं कि उन्होंने लाखेरी में 132 के. वी. लाइन और एक लाइन 33 के. वी. की और खींच कर खास तौर से नैनवा में प्लाण्ट लगाने की घोषणा की थी। अब तक वहां पर कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है। मैंने सुना है कि जो प्लाण्ट 132 के. वी. का लाखेरी में लगाने को था उसको दूसरे जिले में ले जाया गया है। यदि ऐसा किया गया है तो इसकी प्रतिक्रिया बहुत भयंकर होगी।

पिछली बार भी मैंने एक निवेदन किया था। भूतपूर्व विधि मंत्री और वर्तमान विधि मंत्री दोनों आपस में बातें कर रहे हैं। मैं वर्तमान विधि मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि नैनवा में दो साल पहले मुन्सिफ मजिस्ट्रेट का तबादला हुआ और

(श्री माणक लाल ठाकोर)

उसके बाद से अब तक किसी भी मुन्सिफ मजिस्ट्रेट की वहां पर नियुक्ति नहीं की है, दूसरी जगह से मुन्सिफ मजिस्ट्रेट वहां पर आकर काम करते हैं। वहां दो हजार मुकदमे पेन्डिंग हैं। यदि इतने मुकदमे दूसरे जिले में या किसी बड़े शहर में पेन्डिंग होते तो वहां पर चार मुन्सिफ मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति होती लेकिन वहां पर एक भी मुन्सिफ मजिस्ट्रेट की नियुक्ति नहीं हो रही है। लोग न्याय के लिये चिल्लाते हैं। लोगों की न्याय में आस्था मिटती चली जा रही है। इसका क्या परिणाम होगा, यह मैं निवेदन कर देने की स्थिति में नहीं हूं। इसके साथ ही यह कह देना चाहता हूं।

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं और राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है उसका समर्थन करता हूं। मैं कहना तो बहुत चाहता था लेकिन अनुशासन के नाम पर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : धन्यवाद।

श्री बालकृष्ण थानवी।

श्री बालकृष्ण थानवी (फलौदी) : उपाध्यक्ष महोदय, जो राज्यपालजी ने सदन में अभिभाषण दिया है उसका मैं आम तौर पर समर्थन करता हूं। लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जिनकी ओर मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

1 अप्रेल को पूरे राजस्थान में शराबबन्दी लागू की जाय यह इस अभिभाषण में कहीं पर भी नहीं है। पहले यह बताया गया था कि रे प्रदेश में नशाबन्दी की जायगी मगर पिछले दिनों अखबारों में यह पढ़ा, आबकारी मंत्रीजी के नाम से यह पढ़ा कि इसमें चार साल का समय लगेगा जब कि इससे पूर्व दो साल की बात कही गई थी। पूर्ण नशाबन्दी करने के लिये शराबबन्दी अभी न की जाय और देर से की जाय, इसके पीछे एक दलील दी जाती है और वह यह है कि इससे बहुत बड़ा घाटा होने वाला है। भारत सरकार ने 6 करोड़ और 9 लाख रुपये इस साल राजस्थान को अधिक देने की घोषणा अपने बजट में की है। इसके अलावा सातवें वित्त आयोग ने भी राजस्थान को और राशि देने की बात कही है। इसके उपरान्त भी हम कब तक चलायेंगे? शराबबन्दी न करने की बात कहें, यह बात समझ में नहीं आ रही है। इससे सर्वोदयी और शराबबन्दी के पक्षपाती लोगों में घोर असंतोष पैदा हुआ है। शराबबन्दी के आन्दोलन में मैं भी सन् 1968 से लगातार रहा हूं, जेलें भी भोगी हैं इसलिये मैं मानता हूं कि शराबबन्दी करना आम गरीब के हित में है। अन्त्योदय योजना की कार्यान्विति के लिये भी शराबबन्दी अत्यावश्यक है। केवल पैसे के अभाव में शराबबन्दी न की जाय, यह दलील भी थोथी है। अगर हम यह मान लें कि शराबबन्दी पैसे के लोभ के कारण न की जाय तो शायद राजाओं के जमाने में जैसी कुछ गलत बातें होती थीं उन्हीं को अपनाने के लिये हम कहीं आगे न बढ़ जायं, ऐसी स्थिति आगे न आ जाय।

उपाध्यक्ष जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा और आपकी मार्फत माननीय मुख्य मंत्रीजी

(श्री बाल कृष्ण थानवी)
से निवेदन करूंगा कि राजाओं के जमाने में हाकिम अर्थात् सरकारी नौकर जितने भी होते थे उनको कुछ भी नौकरी की एवज में नहीं दिया जाता था और उनके पद ठेके पर उठाये जाते थे। यह जोधपुर राज्य की बात है। जिसकी जितनी बोली ज्यादा होती थी उसी के नाम हाकिमी नीलाम हो जाती थी। अगर हम शराबबन्दी करने के लिए पैसे की बात करते हैं तो आगे जाकर कहीं ऐसी गलत व्यवस्था में हम भी न उलझ जायें और यह गलती न कर बैठें। निवेदन करने का तात्पर्य यह है कि कांग्रेसी राज्य में अधिकांश कांग्रेसी एम. एल. ए. चूंकि शराब पीते थे इसलिए शराबबन्दी की बात तो करते थे लेकिन उसको वे कार्यरूप में परिणित नहीं कराते थे। पर जनता पार्टी में तो ऐसी बात नहीं है फिर भी जनता सरकार के आने के बाद यह असह्य स्थिति देखते हैं तो जरा दिल घबरा जाता है। सन् 1968 में जब हमने शराबबन्दी के लिए आन्दोलन शुरू किया था उस समय मुख्य मंत्रीजी सुखाड़ियाजी थे। उन्होंने घोषणा की थी कि चार साल में पूर्ण शराबबन्दी कर दी जावेगी। चार साल तो निकल गये और पांच साल उसके ऊपर और हो गये लेकिन शराबबन्दी तो अभी तक नहीं हुई अतः और अधिक देरी की बात अब हम सहन नहीं करेंगे। इसलिये 1 अप्रेल, 78 से पूर्ण शराबबन्दी की जाय, यह हमारा आग्रह है।

हमने अन्त्योदय की योजना और भू-राजस्व के बारे में बहुत कुछ बातें कहीं। एक बात जो कटु है, मैं सदन के सामने लाना चाहता हूं। इससे पूर्व मैं मेड़ता सिटी गया था। वहां जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की एक बैठक भूतपूर्व एम. एल. ए. श्री गोरधन जी सोनी, जो कि नाथूरामजी मिर्धा को हरा कर विधान सभा में पहले चुन कर आये थे, के यहां हुई थी जिसमें कार्यकर्ताओं ने लान्छित किया था कि मुख्य मंत्रीजी धोखे में हैं। वे सभाओं में खड़े होकर यह कहते हैं कि "अन्त्योदय और भू-राजस्व अभियान में अगर किसी परिवार या अन्य किसी अधिकारी ने कोई रिश्वत ली हो तो वे बतायें ताकि मैं अपने साथ उन्हें कार में लेकर जाऊं और सब कुछ ठीक-ठाक कर दूं"–मगर भू-राजस्व और अन्त्योदय योजना में हमारे वहां के तहसीलदार और पटवारियों ने हजारों रुपये रिश्वत के लिये हैं।

(समय–समाप्ति–सूचक घण्टी)

इसी तरह के धोखे में रह कर देश से प्रजातान्त्रिक प्रणाली कांग्रेस ने समाप्त कर दी थी। जनता के सहयोग से जनता पार्टी को उसे पुनः लाने का श्रेय मिला-उसके बारे में कुछ बातें निवेदन करना चाहता हूं और वह यह कि जिस प्रकार से बिहार और गुजरात में आन्दोलन हुए छात्रों के और अपनी शर्तों के अनुसार लोकनायक श्री जयप्रकाश नारायण ने सम्पूर्ण क्रान्ति की बागडोर अपने हाथ में ली उसमें 18 साल की उम्र के वयस्क को मतदान का अधिकार देने की बात भी थी। उस आन्दोलन की खास बात यह भी थी कि जो जनप्रतिनिधि सत्ता में रहकर गलत काम कर रहे हों, उनको वापस बुलाने का जनता को अधिकार होगा। मुझे अफसोस है कि इस दिशा में अब तक केन्द्रीय–प्रान्तीय सरकार ने कुछ भी नहीं किया और न ही राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में भी इसका कोई संकेत है।

श्री सम्पतराम (गृह मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, सदन के सामने अर्ज करना चाहूंगा, हमारी कल्पना यह थी, अन्त्योदय योजना के तहत जो भी काम हुए हैं, राज्य अधिकारियों ने बड़ी ईमानदारी से किये हैं, कोई भी माननीय सदस्य इस बारे में रिश्वतखोरी की शिकायत भिजवायेंगे तो उसकी जांच करवाई जायेगी।

(व्यवधान)

श्री श्योपतसिंह मकासर : Please let him say, Let him express,

श्री अब्दुल हादी : सच्चाई कहने दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्यों को अधिकार है। फिर भी माननीय मंत्री महोदय ने जो सुझाव दिया है, माननीय सदस्य उसका पालन करें।

श्री बालकृष्ण थानवी : जिन भाइयों ने मेड़ता सिटी की बैठक में अन्त्योदय कार्यक्रम की क्रियान्विति में भ्रष्टाचार की बात कही, शिकायत भिजवाने की भी थी उनसे मैं प्रयास करूंगा। आप तसल्ली रखें।

राजस्थान में आपातकाल स्थिति थी उस समय भयंकर अत्याचार किये गये कांग्रेस की तरफ से। अभी जो कांग्रेसी भाई व श्री रघुनाथ विश्नोई जोर जोर से बोल रहे थे और आरोप लगा रहे थे ....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

भ्रष्टाचार करने का जनता पार्टी के सांसद पर, मैं पूछना चाहता हूं कि पुखराज मोकरिया एवं उनके एक अन्य साथी से जो सांचौर के ही रहने वाले हैं और जिन्हें सैन्ट्रल जेल जोधपुर में मीसा बन्दी बनाकर रखा गया था, को जेल से छुड़वाने के नाम पर क्या श्री रघुनाथ विश्नोई ने हजारों रुपये रिश्वत के नहीं लिये ? उन्हीं के माध्यम से प्रदेश के तत्कालीन मुख्य मंत्रीजी श्री हरिदेव जोशी से बात की जाकर प्रति व्यक्ति 50 हजार रुपये लेने की बात तय की गई थी और इसी सिलसिले में बाद में क्या ओम मेहता व जनार्दन सिंह गहलोत, संजय गांधी के बीकानेर आगमन के मौके पर बात करके उपरोक्त दोनों मीसाबन्दियों को छोड़ने के लिए एक लाख रुपये रिश्वत के लेकर युवक कांग्रेस के बीकानेर अधिवेशन के एक सप्ताह के भीतर भीतर उन्हें जेल से नहीं छोड़ा गया था ?

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

श्री खेत सिंह जी भी काफी चुटकियां लेते हैं मगर उन्होंने भी काफी गड़बड़ियां की हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं निवेदन करूंगा कि आप बोलते वक्त सावधानी बरतें, किसी सदस्य के प्रति इस तरह की भाषा का प्रयोग न करें।

श्री बालकृष्ण थानवी : उपाध्यक्ष जी, जैसे इन्होंने आरोप लगाये, मेरे पास जो जवाबी तथ्य हैं उनके आधार पर मैंने निवेदन किया है।

श्री माधोसिंह (रेवदर) : यह आरोप आप खुद लगा रहे हैं।

श्री अब्दुल अजीज (मकराना) : माननीय सदस्य के बारे में तसल्ली कर लें।

93

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप अपना भाषण समाप्त करें।

श्री बालकृष्ण थानवी : पानी की समस्या के बारे में निश्चित रूप से मेरे क्षेत्र में काफी कमी है, जिसे जल्दी से जल्दी दूर किया जाना चाहिए।

फलोदी क्षेत्र में कालेज नहीं है। कांग्रेस सरकार ने भी बार-बार वायदा किया था मगर कालेज नहीं खोला गया। जनता पार्टी के एक भाई ने भी यह आरोप लगाया है कि शिक्षा मंत्री अधिकांश जोधपुर के थे। अतः वहां शिक्षा का प्रसार ज्यादा किया गया, जो कि गलत है। फलोदी में कालेज ....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

न खोलने की बात उनकी शिक्षा प्रसार नीति का एक नमूना है। फलोदी में कालेज खोला जायगा यह सुनिश्चित है।

अब चूंकि समय कम है, अपना भाषण समाप्त करूंगा। राज्यपाल महोदय को धन्यवाद देने का जो प्रस्ताव है उसका मैं समर्थन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री एच.एन. शर्मा ! आपने कहा, केवल पांच मिनट लूंगा, इसलिये आप पांच मिनट लेंगे।

श्री एच. एन. शर्मा (बेगूं) : कल भी कन्टीन्यू करना पड़ेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल के द्वारा जो अभिभाषण सदन में दिया गया है उसके लिए प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करते हुए अपने विचार माननीय सदस्यों और माननीय उपाध्यक्ष के माध्यम से राज्य सरकार के सामने पेश करना चाहता हूं। माननीय राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण की शुरुआत, जनता पार्टी का किस प्रकार से निर्माण हुआ, उससे की है। वह बरबस ही हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं कि तीस सालों में किस तरह देश उन्नत हुआ। मुझे एक उदाहरण याद आता है उस मकड़ी के जाले का जिसको अगर हम ध्यान से देखें तो छोटे-छोटे कीड़े मकोड़े उस जाले में फंस जाते हैं। उसके बाद वे जाले से बाहर निकलने के लिए तड़फड़ाते हैं, अन्त में क्या होता है, प्राणांत होता है। उसी प्रकार 30 साल के शासन में हम जाले में फंस गये थे और हम छटपटा रहे थे अधिकारों की स्वतन्त्रता के लिए, उस तानाशाही को खतम करने के लिये। हमारे भारतवर्ष की जनता ने 30 साल की आजादी के बाद संकल्प लिया, एक प्रतीज्ञा ली। इन तीस सालों में एक साल ऐसा आया, जिस प्रकार आपने देखा होगा, जो लोग तीर्थ स्थान पर जाते हैं, वे कुछ न कुछ छोड़ कर आते हैं, कोई केला खाना छोड़कर आता है, कोई कुछ, उसी प्रकार से भारतवर्ष की जनता ने एक संकल्प लिया, एक प्रतिज्ञा ली और उस प्रतिज्ञा को कार्य रूप में परिणत किया, लोक-सभा के चुनावों में और विधान सभा के चुनावों में प्रजातन्त्र की सरकार को कामयाब बनाया, उसके लिए जनता का आभारी हूं।

आपने देखा, जनता पार्टी के शासन में राजस्थान में ही नहीं, सारे भारतवर्ष में चन्द महीनों में हम तीव्र गति से आगे बढ़े हैं। हम सोचना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं और काफी समझ लिया है। सीख करके कार्य रूप में परिणित करना चाहते हैं।

(श्री एच. एन. शर्मा)

हम केवल कहने-सुनने में विश्वास नहीं करते, करने में विश्वास करते हैं। कैलाश मेघवाल, जो मंत्री हैं, ने पिछले सत्र में घोषणा की थी कि हम पंचायतों के चुनाव करायेंगे। हमारे सदस्य खेतसिंहजी ने चुटकी ली थी कि घोषणा कर रहे हैं, देखें, कब होते हैं। मुख्य मन्त्री जी का आभारी हूं जिन्होंने एक ऐसे नवयुवक को अपने मंत्रिमण्डल में लिया जो सजग है, कहना ही नहीं जानता, करना भी जानता है। कहने के अनुसार, पंचायतों के चुनाव करवाये। आपने देखा, पंचायतों के चुनावों में जो पिछला माहौल था, जिन्होंने 13 सालों में अपनी जड़ें मजबूत कर ली थीं, उनको जनता ने साफ कर दिया और 70 और 80 पर्सेंट के बीच में जनता ने जनता उम्मीदवारों को चुनकर भेजा है। इससे पता चलता है कि पिछली सरकार के कारनामों को जनता भूली नहीं। मैं कहना चाहता हूं, आपने देखा कि पिछले बीस सूत्री कार्यक्रम के तहत गांव में पटवारी जाता था, अध्यापक जाता था तो क्या करता था, गांव-गांव से पांच-पांच व्यक्तियों के नाम लिखता था, अन्त्योदय योजना के लिये नहीं, नसबन्दी के लिए। लेकिन हमारी जनता पार्टी की सरकार के आने के बाद, चन्द समय के अन्दर ही अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत पटवारी गांव-गांव गया, टीचर गांव-गांव गया, उन्होंने पांच-पांच नाम लिखे, नसबन्दी के लिए नहीं, उन गरीबों के जो गरीबी की रेखा के नीचे जी रहे हैं उनको जीवन के साधन उपलब्ध कराने के लिये। अन्त्योदय योजना के लिए पांच-पांच आदमियों के नाम लिखे। उपाध्यक्ष महोदय, जब पिछली सरकार ने कहा कि हम गरीबी खतम करते हैं तो उसने गरीबों की नसबन्दी की। लेकिन जनता पार्टी की सरकार ने चन्द समय में, गरीबी को हटाने का संकल्प लिया है। पटवारी गांव गांव गये गरीबी को हटाने के लिए। वह काम उन्होंने किया। हम आगे बढ़े हैं गरीबी को हटाने के लिये। हम पांच-पांच नाम...

श्री उपाध्यक्ष : पांच बज रहे हैं। सदन की कार्यवाही कल प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म. प. 5.00 बजे बृहस्पतिवार दिनांक 2 मार्च, 1978 के म. पू. 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

परिशिष्ट संख्या–1

(तारांकित प्रश्न संख्या 1 के आंकड़े)

डिविजन वार भिक्षुकों के आंकड़े

क्र.सं.	नाम डिविजन	1971 की जनगणना के अनुसार भिक्षुकों की संख्या		
		पुरुष	महिला	योग
1.	जयपुर डिविजन	16121	3700	19821
2.	जोधपुर डिविजन	9734	2865	12599
3.	उदयपुर डिविजन	5237	2115	7352
4.	बीकानेर डिविजन	3192	798	3990
5.	कोटा डिविजन	2943	585	3528
	महा योग	37227	10063	47290

परिशिष्ट संख्या–2

(तारांकित प्रश्न संख्या 2 की सूची)

राज्य में थाना इन्चार्ज, जो अनुसूचित जाति के हैं, की सूची

(1) श्री बंशीधर पुत्र रामप्रताप	सीकर	–	थाना आट्ट
(2) श्री सी. एल. तंवर पुत्र चन्दराम	भरतपुर	–	थाना पहाड़ी
(3) श्री ईश्वर सिंह पुत्र हजारी सिंह	कोटा	–	थाना सुल्तानपुर
(4) श्री झम्मनलाल पुत्र जयकिशन सिंह	कोटा	–	थाना जेयला
(5) श्री लीलाराम पुत्र श्री किशन सहाय	जयपुर	–	थाना ग्रामपुरा
(6) श्री घनश्याम लाल	कोटा	–	थाना किशनगंज
(7) श्री आनन्दी लाल	भीलवाड़ा	–	थाना शंकरगढ़

परिशिष्ट संख्या–3

(तारांकित प्रश्न संख्या 5 की सूची)

विधान सभा प्रश्न सं. 15 प्रपत्र क

पाली निर्वाचन क्षेत्र के निम्नलिखित ग्राम ऐसे हैं जहां पर पीने का पानी अपर्याप्त अथवा खारा है। (जहां पर किसी न किसी प्रकार की जल समस्या पाई जाती है) एवं अभी तक जल योजनाओं से लाभान्वित नहीं है।

क्रम सं. 1	ग्रामों के नाम 2	क्रम सं. 1	ग्रामों के नाम 2
1.	लाम्बड़ा	25.	कलाली
2.	अख्तरी	26.	तिजारा
3.	खेड़ खुर्द	27.	मंगला
4.	पंच पद्रिया	28.	देमावासी
5.	खुटाणी	29.	अरटिया
6.	मण्डावास	30.	ढाबर कलां
7.	मोरडिया	31.	भांकरीवाला गांव
8.	पंकरिया	32.	जीलडा
9.	हीरावास	33.	माडपुरिया
10.	सांजी	34.	गंगासर
11.	नेहरा	35.	बिम्वाड़ा
12.	बीन्जा	36.	रामा
13.	सिराणा	37.	भिण्डर
14.	रांती	38.	भन्योलाई
15.	रूकरा	39.	सोमानिया
16.	व्याद	40.	खेतावास
17.	उम्दरा	41.	ऊटवां
18.	दूदली	42.	आकोली
19.	बीमली पटेला	43.	पेनावा
20.	लालकी	44.	सकेतरा
21.	एटां	45.	सुन्डेलाव
22.	सांवलता कलां	46.	गुढा प्रतापसिंह
23.	सांवलता खुर्द	47.	मिनियाटी
24.	भुरयासनी	48.	भंवरी

Page No 98

98

1	2	1	2
49.	सोनई मंजी	63.	गुडावीच
50.	घट्टेचिपा	64.	टेंवलकी खुर्द
51.	भोलेलाव	65.	जावली कलां
52.	नीमली खेड़ा	66.	साडावास
53.	शुमावड़ा	67.	सकूनी
54.	सम्पा	68.	गुडेन गिरधारी
55.	पाडरला कलां	69.	प्रतापगढ़
56.	बलियावास	70.	पाडरली तुरका
57.	पाडरला खुर्द	71.	बलराई
58.	मखनावारा	72.	गुडा खेरली
59.	खाटी खेड़ा	73.	नन्नवाना यापन
60.	सांकड़ावास	74.	गुडन दुरमापास
61.	गुडानरखा	75.	कल्याणपुरा
62.	साली	76.	दीवान्दी

जिला आयोजना समिति पाली द्वारा वर्ष 1977–78 के लिए पाली तहसील में जल आयोजना में प्रस्तावित ग्रामों की सूची ।

क्र. सं.	जल योजना का नाम	सम्मिलित किये गये ग्राम जो पाली तहसील के हैं
(1)	क्षेत्रीय जल योजना नाथा गांव भावनगर	(1) भावनगर (2) गोडावास (3) डेरी (4) रामगढ की ढाणी (5) पटेलों की ढाणी (6) पैनावा (7) मुकन्दगढ़ (8) सोंकरदा (9) गुडा प्रतापसिंह (10) सूंडकलाव (11) साली
(2)	भाखरी वाला पार्ट III	(1) भींतरा (2) भगेसर (3) सोवानिया (4) सपूनी (इस योजना में 6 ग्राम सोजत तहसील के भी सम्मिलित किये गये हैं)
(3)	क्षेत्रीय जल योजना बूमादड़ा–खेतावास	(1) बूमादड़ा (2) खेतावास (3) इन्द्रानगर (4) पूनामठ (5) भूमलाई (6) भीखा भाट की ढाणी (7) सोंपा (8) महादेव की ढाणी

(इस योजना में ग्राम सोवानिया एवं भगेसर को भी सम्मिलित किया गया है जो कि जल योजना भाखरी वाला पार्ट III में भी सम्मिलित है)

परिशिष्ट-4

समयाभाव के कारण सदन में न पूछे जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर

राजकीय अस्पतालों में कार्यरत पोस्ट-ग्रेजुएट सी. ए. एस.

7. श्री सूर्य प्रकाश डोडा (खेरवाड़ा): क्या स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि सन् 1970 में राज्य के राजकीय अस्पतालों में वरिष्ठ एवं कनिष्ठ विशेषज्ञों के साथ कार्यरत पोस्ट-ग्रेजुएट सी. ए. एस. को क्रमशः 60 प्रतिशत एवं 40 प्रतिशत बैंड अलाट करने का अधिकार था ? यदि हां, तो क्या उसमें अब परिवर्तन किया गया है ? क्या यह पूर्ण सुविधाजनक है ?

उत्तर

जी हां। केवल कनिष्ठ विशेषज्ञों के पास यह अधिकार था। 1975 में परिवर्तन किया गया जो आमतौर से सुविधाजनक है।

राज्य सचिवालय के कर्मचारी एवं अधिकारी

8. श्री रामकरणसिंह (कोटपुतली) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य सचिवालय के कर्मचारी व अधिकारी क्या राजस्थान सरकार के अधीन हैं ? यदि हां, तो इनके स्थानान्तरण की राज्य सरकार ने क्या नीति बना रखी है ?

(2) क्या सचिवालय सेवा का कर्मचारी तहसील स्तर पर स्थानान्तरित किया जा सकता है ? यदि नहीं, तो यह असमानता क्यों है ? क्या राज्य सरकार यह भेदभाव मिटायेगी ?

उत्तर

(1) जी हां। सचिवालय के कर्मचारियों व अधिकारियों का स्थानान्तरण प्रशासनिक सुविधा को दृष्टि में रखते हुए सचिवालय के एक विभाग/अनुभाग से अन्य विभाग/अनुभाग में किसी भी समय किया जा सकता है। आवश्यकता पड़ने पर इनको अन्य राजकीय संस्थानों/स्वायत्त संस्थाओं में कुछ समय के लिए प्रतिनियुक्ति पर भी नियोजित किया जा सकता है।

(2) जी नहीं। सचिवालय अपने में स्वयं एक सम्पूर्ण विभाग है जिसकी विभिन्न श्रेणी के पदों के लिए सेवा नियम बने हुए हैं। इन नियमों के अनुसार सचिवालय के कर्मचारियों/अधिकारियों का स्थानान्तरण सचिवालय सवर्ग के पदों पर ही किया जा सकता है। इसमें किसी भेदभाव या असमानता की कोई बात नहीं है।

ग्राम वालेर तहसील खण्डार की जलप्रदाय योजना

9. श्री चुन्नीलाल (खंडार) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि तहसील खण्डार के ग्राम वालेर की जल प्रदाय योजना की सिक्योरिटी फीस जमा करवाई गई है ?

(श्री चुन्नीलाल)

यदि हां, तो अब तक कार्य प्रारम्भ क्यों नहीं हुआ ?

(2) क्या ग्राम बालेर की पेयजल समस्या परिस्थिति एवं जन संख्या को देखते हुए विचारणीय नहीं है ? यदि हां, तो इसमें विलम्ब क्यों हो रहा है ?

(3) क्या राज्य सरकार उक्त पेयजल समस्या को हल करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) सिक्योरिटी फीस की कोई राशि जमा नहीं होती है। जन सहयोग की 3500/– की धनराशि वर्ष 1973 में जमा हुई। जिला आयोजना समिति द्वारा इस ग्राम की योजनाओं हेतु कोई सिफारिश नहीं की गई।

(2) विभागीय मानदण्डों के अनुसार यह गांव समस्याग्रस्त गांव की श्रेणी में नहीं आता है।

(3) जिला आयोजना समिति की सिफारिश के आधार पर योजना पर विचार किया जाता है।

पुलिस कर्मचारियों को वेतन एवं अन्य सुविधायें

10. श्रीमती नारंगी देवी (किशनगंज) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि पुलिस कर्मचारियों का वेतन अन्य विभाग के कर्मचारियों की अपेक्षा कम है ?

(2) क्या यह सही है कि थाना क्षेत्र में पुलिस कान्सटेबल्स को कोई यात्रा भत्ता या किराया नहीं दिया जाता ?

(3) क्या यह सही है कि पुलिस कान्सटेबल्स को सरेन्डर लीव नहीं दी जाती ?

(4) क्या यह सही है कि पुलिस में सब-इन्सपेक्टर से डिप्टी एस. पी. तक वर्दी भत्ता सालाना 45/- से 60/- रुपये तक दिया जाता है, जब कि आई.पी. एस. अधिकारियों को इससे दस गुना अधिक दिया जाता है और वर्दियों में कोई विशेष अन्तर नहीं होता ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार वर्दी भत्ता बढ़ाने की योजना पर विचार कर रही है ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) कान्सटेबल को निश्चित यात्रा भत्ता के रूप में 15/– मासिक मिलते हैं। इसके अलावा और कोई राशि अपने क्षेत्र में यात्रा करने पर यात्रा भत्ता या दैनिक भत्ते के रूप में नहीं मिलती। क्षेत्र से बाहर जाने पर नियमानुसार यात्रा व दैनिक भत्ता मिलता है।

(3) जी नहीं। अन्य राज कर्मचारियों की भांति कान्सटेबल भी सरेन्डर लीव पाने के हकदार हैं।

(4) जी हां। सब-इन्सपेक्टर व इन्सपेक्टर को 45/– वार्षिक व उप अधीक्षक पुलिस व अपर पुलिस अधीक्षक को क्रमश: 60/– व 80/– वार्षिक वर्दी भत्ता दिया जाता है। यह सही है कि भारतीय पुलिस सेवाओं के अधिकारियों को वर्दी भत्ता इनसे काफी अधिक मिलता है। पुलिस विभाग में कार्यरत अधिकारियों का वर्दी भत्ता बढ़ाने का मामला विचाराधीन है।